छत्तीसगढ़ विधान सभा

(षष्ठम्)

खण्ड – 7

फरवरी–मार्च, 2026 सत्र

के

प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

(दिनांक 13 जुलाई, 2026 को सदन में प्रस्तुत)

(प्रस्तावना)

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के अध्याय–7 के नियम–51 के अनुसार इस संकलन में फरवरी–मार्च, 2026 सत्र हेतु नियत बैठकों की प्रश्नोत्तर सूचियों में मुद्रित अपूर्ण उत्तरों का संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित पूर्ण उत्तरों का संकलन सम्मिलित किया गया है। साथ ही यथासमय प्राप्त पृथक वितरित एवं पुनरीक्षित उत्तरों को भी मुद्रित कराया गया है ।

शासन द्वारा पूर्व में दी गयी जानकारी बड़े कोष्टक [................................] के अंदर मुद्रित है । इस संकलन में सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जल संसाधन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जन शिकायत निवारण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, उच्च शिक्षा, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेल एवं युवा कल्याण, वाणिज्य एवं उद्योग, वाणिज्यिक कर (आबकारी), श्रम, गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, आवास एवं पर्यावरण, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा महिला एवं बाल विकास विभागों के प्रश्न एवं यथासमय विभागों से प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची के शुद्धि पत्रों की सूची सम्मिलित की गयी है।

रायपुर,
दिनांक : 07 जुलाई, 2026.

दिनेश शर्मा
सचिव

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	फरवरी—मार्च, 2026 सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर	1—39
2.	फरवरी—मार्च, 2026 सत्र के प्रश्नोत्तरों से संबंधित परिशिष्ट	40—85
3.	फरवरी—मार्च, 2026 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्रों की सूची	86—121

फरवरी-मार्च, 2026 सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को देय सुविधाएं

[सामान्य प्रशासन]

1. (क्र. 190) श्री धर्मजीत सिंह : क्या मुख्यमंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वतंत्रता संग्राम में छ.ग. से कुल कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भाग लिया था ? उनकी संपूर्ण जानकारी देवें? (ख) कंडिका "क" के कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्तमान में जीवित हैं एवं कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का निधन हो गया है? (ग) कंडिका "क" के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृतियों एवं उनके योगदान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शासन द्वारा उनके नाम से क्या-क्या किया गया है एवं उनके परिजनों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृतियों एवं उनके योगदान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संबंधित जिला कार्यालय द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जीवन परिचय एवं स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान का विवरण संकलित कर प्रदर्शित किया जा रहा है तथा कुछ स्वतंत्रा संग्राम सेनानियों के नाम से संबंधित जिलों के अंतर्गत आने वाले शासकीय स्कूल, कॉलेज, उद्यान, सड़क मार्ग, चौक-चौराहा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नामकरण किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को नियमानुसार निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही है:-

1. मृत स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के परिवार के सदस्य को आजीवन मासिक सम्मान निधि।
2. परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में प्राथमिकता।
3. पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों के लिए उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु आरक्षण।
4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मरणोपरांत उनके अंत्येष्ठि हेतु सहायता राशि।
5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सहायता एवं उपचार।**]**

(क) जिला कार्यालयों से प्राप्त जानकारी अनुसार स्वतंत्रता संग्राम में छ.ग. से कुल 1649 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भाग लिया था। जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जिला कार्यालयों से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान में कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जीवित नहीं हैं।

मुख्यमंत्री जनदर्शन के दौरान प्राप्त शिकायतें/निराकरण

[जन शिकायत निवारण]

2. (क्र. 225) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या मुख्यमंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी, 2024 से जनवरी, 2026 तक मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन कब-कब आयोजित किए गए? जन समस्या निराकरण के लिए कुल कितने आवेदन पंजीकृत हुए? कितने हितग्राहियों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई? तिथिवार, शिकायतों के विवरण सहित विभागवार जानकारी बतावें? (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार प्राप्त

शिकायतों/समस्याओं में से निराकृत/लंबित/निराकरण हेतु प्रचलन में विभागवार, तिथिवार प्राप्त शिकायतों का सम्पूर्ण विवरण दीजिए? (ग) जनवरी, 2026 की स्थिति में जिला कार्यालयों में लंबित शिकायतों/समस्याओं की जानकारी लंबित होने के कारणों सहित प्राप्त शिकायतों के स्त्रोत के विवरण सहित विभागवार सम्पूर्ण जानकारी बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : [(क) जनवरी 2024 से जनवरी 2026 तक मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन दिनांक 27-06-2024, 04-07-2024, 08-08-2024, 19-09-2024, 13-11-2025 एवं 08-01-2026 को आयोजित किया गया है। जन समस्या निराकरण के लिए कुल 9415 आवेदन पंजीकृत हुए हैं। सभी हितग्राहियों ने अपनी समस्यायें दर्ज कराई। तिथिवार शिकायतों के विवरण सहित विभागवार जानकारी प्रपत्र अनुसार है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]** (क) जनवरी 2024 से जनवरी 2026 तक मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन दिनांक 27-06-2024, 04-07-2024, 08-08-2024, 19-09-2024, 13-11-2025 एवं 08-01-2026 को आयोजित किया गया है। जन समस्या निराकरण के लिए कुल 9415 आवेदन पंजीकृत हुए हैं। सभी हितग्राहियों ने अपनी समस्यायें दर्ज कराई। तिथिवार शिकायतों के विवरण सहित विभागवार जानकारी प्रपत्र अनुसार है। (ख) एवं (ग) की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

दुर्गम क्षेत्रों में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना

[गृह]

3. (क्र. 503) श्री सुशांत शुक्ला : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना हेतु नीति बनाई गई है ? यदि हाँ तो प्रति उपलब्ध करावें ? (ख) क्या नियमानुसार प्रश्नांश "क" के अधिकारियों को दुर्गम / ग्रामीण/ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेवा अनिवार्य है ? यदि हाँ तो न्यूनतम कितने वर्ष की सेवा आवश्यक है ? विवरण प्रदान करें ? (ग) प्रश्नांश "ख" के नियमानुसार कितने राजपत्रित अधिकारियों की सेवा अवधि में 03 फरवरी, 2026 तक एक भी बार दुर्गम / ग्रामीण / नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थापना नहीं की गयी है ? कितने अधिकारी 5 वर्षों से अधिक समय से दुर्गम / नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ हैं ? नाम , पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? (घ) क्या दुर्गम/ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेवा प्रदान नहीं करने वाले अधिकारियों को उन क्षेत्रों में पदस्थ करने तथा दुर्गम/ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 5 वर्षों से अधिक सेवा प्रदान करने वाले अधिकारियों को शहरी/ सामान्य क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने हेतु कोई कार्य योजना है ? यदि हाँ तो योजना का क्रियान्वयन कब तक कर लिया जावेगा ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : [(क) जी नहीं । प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना की जाती है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नाधीन अवधि तक दुर्गम/ग्रामीण/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एक बार भी पदस्थापना नहीं होने की जानकारीतथा 5 वर्ष से अधिक समय से दुर्गम/ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारियों की जानकारी विस्तृत है। जानकारी संकलित की जा रही है।(घ) जी नहीं। राज्य

पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**]** (क) जी नहीं । प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना की जाती है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ''ग'' की जानकारी संलग्न **प्रपत्र-''अ'' एवं प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। (घ) जी नहीं। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - एक

रायपुर के फार्म हाउसों में अवैध गतिविधियों, रेव पार्टियों पर की गई कार्रवाई

[गृह]

4. (क्र. 527) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) , यह बताने की कृपा करेंगे कि रायपुर जिले में 2024-25 से लेकर दिनांक 30 जनवरी, 2026 की स्थिति में कितने फार्म हाउसों पर अवैध गतिविधियों, शराबखोरी, रेव पार्टी की शिकायतों पर कब-कब क्या कार्रवाई की गई है ? फार्म हाउस का नाम, संचालनकर्ता के नाम एवं की गई कार्रवाई की पूर्ण जानकारी बतायें ? फार्म हाऊस में व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने के क्या नियम/निर्देश है? जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : [प्रश्नाधीन अवधि की जानकारी संलग्न ''प्रपत्र'' अनुसार है। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 (1) के अधीन प्रत्येक ऐसा प्रदायकर्ता व्यवसायी, जो वस्तुओं व सेवाओं या दोनों का कर योग्य प्रदाय करता है, जिसका वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार बीस लाख रुपये से अधिक है तथा प्रत्येक ऐसा प्रदायकर्ता व्यवसायी, जो केवल वस्तुओं के अनन्य प्रदाय करता है, जिसका वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार चालीस लाख रुपये से अधिक है, उक्त अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत राज्य कर विभाग छत्तीसगढ़ में जीएसटी पंजीकरण के लिए दायी होता है। उपरोक्त प्रदायकर्ता व्यवसायी या स्वैच्छिक पंजीकरण चाहने वाले व्यवसायियों द्वारा छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 8 (1) के तहत जीएसटी पंजीयन के लिए आवेदन जीएसटी पोर्टल (www.gst.gov.in) पर ऑनलाइन फॉर्म REG-01 के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इस आवेदन के दस्तावेजों का सत्यापन नियम 9 के माध्यम से किया जाता है तथा आवश्यक होने पर नियम 25 के तहत, व्यवसायिक परिसर का भी भौतिक सत्यापन किया जाता है। उपरोक्त जीएसटी पंजीयन आवेदन के सत्यापन के पश्चात छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 10 (1) के अनुसार फॉर्म REG-06 में जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।**]** प्रश्नाधीन अवधि की **जानकारी संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। फार्म हाऊस में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के संबंध में शासन के प्रचलित नियम एवं प्रावधान निम्नानुसार हैं:-(1) कृषि से गैर कृषि प्रयोजन हेतु (विकास योजना में निर्धारित भूमि उपयोग के अनुरूप) छ0ग0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 के अनुसार भूमि स्वामी के द्वारा व्यपवर्तन के लिए आवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रस्तुत किया जाता है। भूमि की व्यपवर्तन पर देय प्रीमियम के लिए वर्ग अनुसार दर निर्धारित है एवं धारा-59 के अनुसार निर्धारित वार्षिक भू-राजस्व जमा किये जाने का प्रावधान है। (2) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 132 की

उप-धारा (6) के खण्ड (ग) सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिक अधिनियम, 1961(क्र. 37 सन् 1961) की धारा 127 की उप धारा (6) के खण्ड (ग) सहपठित धारा 355 तथा 356 अन्तर्गत राज्य सरकार, नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कोई भी व्यापार करने के विनियमन के लिए बनाये गये नियमों अनुसार ''नगरीय निकाय क्षेत्र में किसी भी परिसर (फार्म हाऊस सहित) में व्यावसायिक गतिविधियों हेतु ट्रेड लायसेंस लिया जाना अनिवार्य है। (3) छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 55 में भवनों के निर्माण की अनुमति दिए जाने का प्रावधान है तथा धारा 77 अन्य कर अंतर्गत व्यावसायिक कर लिए जाने का प्रावधान है किंतु फार्म हाऊस में व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने हेतु अनुमति लिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। (4) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 (1) एवं धारा 25, के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार के आधार पर जी.एस.टी. पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है।

<u>परिशिष्ट - दो</u> **[पुनरीक्षित उत्तर]**

<u>प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना हितग्राहियों का जाब कार्ड डिलीट होने के कारण अप्राप्त राशि</u>

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

5. (क्र. 601) श्री दलेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) , यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना हितग्राहियों का जाब कार्ड डिलेट हो जाने के कारण वर्ककोड जनरेट नहीं होने या अन्य किन-किन कारणों से कितने हितग्राहियो की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि अंतरण शेष है? इनआवास अपूर्ण शेष राशि की जिलेवार जानकारी देते हुए इनका निराकरण कब तक कर लिया जावेगा ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : [प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का जॉब कार्ड डिलीट हो जाने, वर्क-कोड जनरेट नहीं होने या अन्य कारणों से हितग्राहियो की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त की राशि अंतरण शेष की जानकारी **निरंक** है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण/मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर हितग्राहियों को किश्तों की राशि अंतरण किया जाता है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता।**]** जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। जाग कार्ड डिलेट, वर्ककोड जनरेट नहीं होने संबंधी तकनीकी समस्या की जानकारी प्राप्त होने पर त्वरित निराकरण कर कार्यवाही की जा रही है।

<u>परिशिष्ट - तीन</u>

<u>प्रदेश में बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक वितरण</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

6. (क्र. 704) श्री धरमलाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विगत 3 वित्तीय वर्ष एवं इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश में बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक वितरण में स्टॉक रजिस्टर, पीओएस मशीन एवं भौतिक सत्यापन में अंतर पाया गया है? इन

प्रकरणों/मामलों में जिलेवार कितने विक्रेताओं व कृषि सेवा केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया? किन-किन विक्रेताओं व कृषि सेवा केंद्रों के लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त किए गए हैं? (ख) क्या इन अनियमितताओं से संबंधित मामलों में किसी भी जिले में एफआईआर दर्ज की गई है? यदि हाँ, तो उसका विवरण देवें ? (ग) क्या कंडिका क अनुसार प्रकरणों/मामलों में संबंधित विभागीय अधिकारियों व निरीक्षण दल की जिम्मेदारी भी निर्धारित की गई है? यदि हाँ, तो की गई कार्रवाई का विवरण देवें ? (घ) प्रश्नांश क अनुसार अवधि में प्रदेश में बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक वितरण के संबंध में कब, किसके द्वारा, किस संबंध में एवं किसको शिकायत की गई तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई ? दोषी कौन पाया गया ? शिकायतवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी संकलित की जा ही है। (घ) जानकारी संकलित की जा ही है।**]** (क) पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से केवल रासायनिक उर्वरकों का ही वितरण किया जाता है। विगत 03 वर्ष (2022-23 से 2024-25) एवं इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 31.01.2026 तक उर्वरक वितरण में स्टॉक रजिस्टर, पी.ओ.एस. मशीन एवं भौतिक सत्यापन में अंतर पाए जाने के प्रकरणों में जारी कारण बताओं नोटिस तथा लाइसेंस निलंबन एवं निरस्तीकरण की वर्षवार, जिलावार, विक्रय केंद्र कृषि सेवा केन्द्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है।** (ख) इन अनियमितताओं से संबंधित मामलों में दर्ज एफ.आई.आर. की वर्षवार, जिलावार, विक्रय कृषि सेवा केन्द्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है।** (ग) कंडिका "क" की अवधि में विभागीय बीज उर्वरक कीटनाशी निरीक्षकों द्वारा उनको सौपे गए दायित्वों का पालन किया गया है और दायित्वों के पालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता संबंधी तथ्य विभाग के संज्ञान में नहीं आया है। (घ) प्रश्नांश "क" की अवधि में प्रदेश में बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक वितरण के संबंध में प्राप्त शिकायत एवं की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, एवं प्रपत्र-स अनुसार है।**

जिला खैरागढ़–छुईखदान–गंडई के अंतर्गत संचालित शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

7. (क्र. 714) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला खैरागढ़–छुईखदान–गंडई के अंतर्गत कितने शासकीय अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र /उपस्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं? इन संस्थाओं में स्वीकृत पद, कार्यरत पद एवं रिक्त पदों की स्थिति क्या है? पदवार, संस्थावार विवरण दें। (ख) उक्त स्वास्थ्य केंद्रों में वर्ष 2023-24, 2024-2025, 2025-26 में दवाइयों एवं चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति हेतु कितना बजट स्वीकृत व व्यय किया गया? मदवार, व्ययवार जानकारी देवे। (ग) जिले में संचालित शासकीय अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत व रिक्त हैं? जिले में विशेषज्ञ चिकित्सको की कमी दूर करने हेतु शासन

द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गई है? जानकारी प्रदान करे। (घ) खैरागढ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कब तक जी जाएगी? जानकारी प्रदान करे ।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : [(क) जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के अंतर्गत 01 जिला अस्पताल, 01 सिविल अस्पताल, 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 83 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। उक्त संस्थाओं में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की पदवार, संस्थावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"अ"** अनुसार है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"ब"** अनुसार है। (ग) जिले में संचालित शासकीय अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"स"** अनुसार है। रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अनुमति के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।**]** (क) जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के अंतर्गत 01 जिला अस्पताल, 01 सिविल अस्पताल, 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 83 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। उक्त संस्थाओं में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की पदवार, संस्थावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"अ" अनुसार है**।(ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"ब" अनुसार है**।(ग) जिले में संचालित शासकीय अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"स" अनुसार है।** रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अनुमति के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।(घ) छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र दिनांक 28.08.2008 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खैरागढ़ को 50 बिस्तर सिविल अस्पताल में उन्नयन कर संचालित किया जा रहा है। अतएव पृथक से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में नक्सल पुनर्वास नीति

[गृह]

8. (क्र. 721) श्री विक्रम मंडावी : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह), यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ में नक्सल पुनर्वास नीति क्या है? कितने ईनामी नक्सलियों ने इस नीति के तहत वर्ष 2023-24 से अब तक आत्म समर्पण किया है? आत्म समर्पित नक्सलियों पर घोषित ईनाम की राशि का किन-किन को भुगतान किया गया है? वर्षवार, नाम, पता एवं राशि के विवरण सहित बतावे ? (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार अब तक घोषित ईनाम की राशि में से कितना भुगतान किया जा चुका है? और कितना भुगतान किया जाना शेष है? विवरण सहित जानकारी पृथक-पृथक नाम सहित देवे? (ग) आत्म समर्पित नक्सलियों के पनुर्वास पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है? जानकारी वर्षवार बतावे?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : [(क) आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़े जाने के उद्देश्य से राज्य में आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति बनायी गई है। पुनर्वास नीति अंतर्गत वर्ष 2023-24 से दिनांक 09.02.2026 तक कुल 1496 ईनामी नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। आत्मसमर्पित ईनामी नक्सलियों को प्रदाय की गई ईनाम राशि की वर्षवार, नामवार एवं पता सहित **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के अनुसार अब तक घोषित ईनाम की

राशि में से 05 लाख रूपये का भुगतान किया जा चुका है तथा 04 करोड़, 25 लाख ईनामी राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है। पृथक-पृथक नाम सहित **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]** (क) आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़े जाने के उद्देश्य से राज्य में आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति बनायी गई है। पुनर्वास नीति अंतर्गत वर्ष 2023-24 से दिनांक 09.02.2026 तक कुल 2937 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है, उनमें से 1496 ईनामी तथा 1441 गैर ईनामी हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों में से 2754 को प्रारंभिक तौर पर प्रोत्साहन राशि 10 करोड़, 35 लाख, 80 हजार का भुगतान किया गया है। कुल 1496 ईनामी आत्मसमर्पित नक्सलियों के पद के विरूद्ध घोषित ईनाम राशि 49 करोड़, 39 लाख, 50 हजार रूपये में से 02 आत्मसमर्पित ईनामी नक्सली को 05 लाख रूपये की ईनाम राशि का भुगतान किया गया है। आत्मसमर्पित ईनामी नक्सली को भुगतान की गई राशि विवरण नाम, पता सहित **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''अ'' अनुसार है**।(ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार 1496 ईनामी नक्सलियों में से 1349 ईनामी नक्सलियों को प्रारंभिक तौर पर कुल राशि 05 करोड़, 64 लाख, 45 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि तथा 02 ईनामी नक्सलियों को 05 लाख रूपये ईनाम राशि का भुगतान किया गया है। कुल 1494 आत्मसमर्पित नक्सलियों के पद के विरूद्ध घोषित ईनाम राशि 49 करोड़, 34 लाख, 50 हजार रूपये ईनाम राशि का प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। राज्य स्तरीय समिति द्वारा ईनामी आत्मसमर्पित नक्सलियों के अनुशंसित 92 प्रकरण जिला स्तरीय कमेटी को भुगतान हेतु प्रेषित किये गये हैे, जिसकी सूची नाम सहित **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''ब'' अनुसार है**। आत्मसमर्पित ईनामी नक्सलियों के शेष 1402 प्रकरणों में घोषित ईनाम राशि राज्य स्तरीय समिति के विचारण उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। (ग) आत्म समर्पित नक्सलियों के पुनर्वास पर अब तक की गई खर्च की **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''स'' अनुसार है।**

<u>**परिशिष्ट - चार**</u> **[पुनरीक्षित उत्तर]**

<u>कृषि उपकरण एवं सामग्री की खरीदी व्यय राशि</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

9. (क्र. 787) श्री ओंकार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 दिनांक 04/02/2026 तक में, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, महासमुंद एवं रायपुर में किसानों को वितरण हेतु कृषि उपकरण एवं सामग्री की खरीदी पर कुल कितनी राशि व्यय की गई? क्या खरीदी से पूर्व हितग्राहियों से आवेदन/पंजीयन प्राप्त किए गए थे? हितग्राहियों के चयन का आधार क्या था ? (ख) उक्त अवधि में कृषि उपकरण एवं सामग्री की खरीदी में क्या भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया? यदि हाँ, तो कितनी मात्रा की खरीदी ई-टेंडर प्रक्रिया से तथा कितनी मात्रा की खरीदी मैन्युअल अथवा बिना ई-टेंडर के की गई? टेंडर प्रक्रिया में सम्मिलित समस्त आपूर्तिकर्ता संस्थाओं के नाम, प्रोपराइटर का नाम एवं चयनित आपूर्तिकर्ताओं का जिला-वार विवरण दें? (ग) क्या यह सत्य है कि बाजार मूल्य की तुलना में अत्यधिक दरों पर कृषि उपकरण एवं सामग्री की खरीदी की गई, जिससे शासन को आर्थिक क्षति हुई? यदि हाँ, तो बाजार दर एवं क्रय दर का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें? (घ) उक्त खरीदी पर किए गए व्यय में कुल कितनी राशि ऑडिट में आपत्तिजनक (ऑडिट आपत्ति योग्य) पाई गई है?

कितनी ऑडिट आपत्तियों का निराकरण किया जा चुका है तथा शेष लंबित आपत्तियों के निराकरण न होने का मुख्य कारण क्या है? विस्तार से बताएं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।**]** (क) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, महासमुंद एवं रायपुर में कृषि संचालनालय अंतर्गत विभागीय योजनाओं एवं जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में (दिनांक 04.02.2026 तक) किसानों को वितरण हेतु उपकरण क्रय पर क्रमशः राशि रू. 118.01 लाख, रू. 187.22 लाख एवं रू. 236.55 लाख तथा सामग्री क्रय पर क्रमशः राशि रू. 601.50 लाख, रू. 812.95 लाख एवं रु. 756.50 लाख व्यय किये गये। जिलावार वर्षवार, योजनावार उपकरण एवं सामग्री क्रय पर व्यय राशि तथा हितग्राहियों के चयन के आधार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** चूंकि विभागीय योजनाओं के अंतर्गत सामग्रियों का वितरण प्रदर्शन हेतु चयनित किसानों को किया गया है, अतः आवेदन अथवा पंजीयन की आवश्यकता नहीं थी। जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत वितरण किसानों से प्राप्त आवेदन के आधार पर ही किया गया है। उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संचालनालय अंतर्गत किसानों को वितरण हेतु कृषि उपकरण एवं सामग्री की खरीदी पर राशि रु. 1109.12 लाख व्यय की गई। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	वर्ष	कृषि उपकरण खरीदी पर व्यय (लाख में)	बीज खरीदी पर व्यय (लाख में)	पौध खरीदी पर व्यय (लाख में)	खाद/दवा खरीदी पर व्यय (लाख में)	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	2023-24	533.26	117.26	4.80	100.00	755.32
2	2024-25	0.36	153.79	8.70	132.77	295.62
3	2025-26	0.00	17.72	40.46	0.00	58.18
योग		**533.62**	**288.77**	**53.96**	**232.77**	**1109.12**

खरीदी के पूर्व हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त कर पंजीयन किया गया है। हितग्राहियों का चयन भूमि की उपलब्धता, सिंचाई व्यवस्था, फसल को पशुओं से सुरक्षा हेतु फेसिंग की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए "पहले आओ पहले पाओं" के आधार पर किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे क्रमशः प्रपत्र- अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है।** (ख) जी हाँ। संचालनालय कृषि अंतर्गत ई-टेंडर, मैन्युअल पद्धति या बिना ई टेंडर (शासकीय संस्थाओं यथा छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय) के माध्यम से क्रय किये गये उपकरण एवं सामग्री की मात्रा, टेंडर प्रक्रिया में सम्मिलित समस्त आपूर्तिकर्ता संस्थाओं के नाम, प्रोपराईटर का नाम एवं चयनित आपूर्तिकर्ताओं के नाम की जिलेवार, वर्षवार, योजनावार, उपकरण/सामग्रीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे क्रमशः प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स, प्रपत्र-द एवं प्रपत्र-ई अनुसार है।** उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संचालनालय अंतर्गत कृषि उपकरण एवं

सामग्री की खरीदी में भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है। ई-टेंडर प्रक्रिया तथा मैन्युअल आधार पर खरीदी की गई सामग्री की मात्रा एवं संस्थाओं का नाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे क्रमशः प्रपत्र- अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है।** (ग) जी नहीं, बाजार मूल्य की तुलना में अत्याधिक दरों पर कृषि उपकरण एवं सामग्री की खरीदी नहीं की गई है। अतः शेष जानकारी निरंक है। (घ) प्रश्नांश 'क' की अवधि में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, महासमुंद एवं रायपुर में संचालनालय कृषि अंतर्गत उपकरण एवं सामग्री क्रय पर किए गए व्यय के संबंध में दिनांक 20.02.2026 तक किसी भी प्रकार की ऑडिट आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष जानकारी निरंक है। संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी अंतर्गत उक्त खरीदी पर किए गए व्यय में राशि रु. 142.00 लाख ऑडिट आपत्ति योग्य पाई गई। ऑडिट आपत्ति का निराकरण प्रक्रियाधीन है।

कृषि विभाग के द्वारा किसानों को वितरण करने हेतु उपकरण एवं सामग्री खरीदी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

10. (क्र. 868) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा एवं रायपुर के अंतर्गत कृषि विभाग के द्वारा किसानों को वितरण करने हेतु उपकरण एवं सामग्री खरीदी पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ? क्या खरीदी के पूर्व हितग्राहियों से आवेदन या रजिस्ट्रेशन प्रारंभिक रूप से प्राप्त कर लिया गया था ? हितग्राहियों के चयन का आधार क्या रहा है ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अंतर्गत कृषि उपकरण एवं सामग्री की खरीदी में भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है ? यदि हां, तो कितनी राशि की खरीदी ई टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से अथवा कितनी राशि की खरीदी मैन्युअल पद्धति या बिना ई टेंडर के माध्यम से की गई ? चयनित आपूर्तिकर्ताओं की संस्थाओं की जानकारी देवें ? (ग) प्रश्नांश(क) अंतर्गत विभाग द्वारा किए गए व्यय में कुल कितनी राशि ऑडिट में आपत्ति योग्य (ऑडिट आपत्ति) पाई गई है ? क्या ऑडिट आपत्ति का निराकरण अब तक कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो इसका मुख्य कारण क्या है, विस्तार से बताएं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**]** (क) कृषि संचालनालय अंतर्गत जिला बलौदाबाजार-भाटापारा एवं रायपुर में विभागीय योजनाओं एवं जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 (दिनांक 04.02.2026 तक) में किसानों को वितरण करने हेतु उपकरण क्रय पर क्रमशः राशि रू. 72.96 लाख, रू. 34.11 लाख एवं रू. 142.05 लाख तथा सामग्री क्रय पर क्रमशः राशि रू. 182.14 लाख, रू. 352.55 लाख एवं रू. 129.60 लाख व्यय किये गये। वर्षवार, जिलावार, योजनावार व्यय तथा हितग्राहियों के चयन के आधार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** चूकिं विभागीय योजनाओं के अंतर्गत सामग्रियों का वितरण प्रदर्शन हेतु चयनित किसानों को किया गया है। अतः आवेदन अथवा पंजीयन की आवश्यकता नहीं थी। जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत वितरण किसानों से प्राप्त आवेदन के आधार पर ही किया गया है। उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संचालनालय अंतर्गत किसानों को वितरण हेतु कृषि उपकरण एवं सामग्री की खरीदी पर राशि रु. 878.59 लाख व्यय की गई। जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	वर्ष	कृषि उपकरण खरीदी पर व्यय (लाख में)	बीज खरीदी पर व्यय (लाख में)	पौध खरीदी पर व्यय (लाख में)	खाद/दवा खरीदी पर व्यय (लाख में)	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	2023-24	392.29	89.96	0.00	82.97	562.22
2	2024-25	0.00	136.58	5.04	129.77	271.39
3	2025-26	0.00	12.86	29.12	0.00	41.98
योग		**392.29**	**239.40**	**34.16**	**212.74**	**878.59**

खरीदी के पूर्व हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त कर पंजीयन किया गया है। हितग्राहियों का चयन भूमि की उपलब्धता, सिंचाई व्यवस्था, फसल को पशुओं से सुरक्षा हेतु फेंसिंग की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए "पहले आओ पहले पाओं" के आधार पर किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे क्रमशः प्रपत्र- क, प्रपत्र-ख, प्रपत्र-ग एवं प्रपत्र-घ अनुसार है।** (ख) जी हाँ। संचालनालय कृषि अंतर्गत ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से वर्ष 2023-24 में किसी भी उपकरण सामग्री का क्रय नहीं किया गया है, वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में (दिनांक 04.02.2026 तक) क्रमशः राशि रू. 77.08 लाख एवं 220.59 लाख का क्रय किया गया है। मैन्युअल पद्धति या बिना ई-टेंडर (शासकीय संस्थाओं यथा छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय) के माध्यम से वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 (दिनांक 04.02.2026 तक) क्रमशः राशि रू. 255.10 लाख, 309.59 लाख एवं 51.06 लाख का क्रय किया गया है। चयनित आपूर्तिकर्ताओं की जिलावार, वर्षवार, योजनावार, उपकरण/सामग्रीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब एवं स अनुसार है।** संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी अंतर्गत ई-टेंडर प्रक्रिया तथा मैन्युअल आधार पर खरीदी की गई सामग्री की मात्रा एवं संस्थाओं के नाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे क्रमशः प्रपत्र- क, प्रपत्र-ख, प्रपत्र-ग एवं प्रपत्र-घ अनुसार है।** (ग) प्रश्नांश 'क' की अवधि में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा एवं रायपुर में विभाग द्वारा उपकरण एवं सामग्री क्रय पर किए गए व्यय के संबंध में दिनांक 20.02.2026 तक किसी भी प्रकार की ऑडिट आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

<u>अमानक कृषि आदानों का वितरण तथा कार्यवाही</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

11. (क्र. 915) डॉ. चरण दास महंत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिसम्बर, 2023 से जनवरी, 2026 की अवधि में खाद, बीज, कीटनाशक दवाईयों तथा अन्य कृषि आदानों के अमानक होने के कितने-कितने प्रकरण पाए गए और उनमें क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) अमानक सामग्रियों के निर्माता कौन-कौन थे? (ग) प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को कृषि आदानों की आपूर्ति किन-किन एजेन्सियों के द्वारा की जाती है? एजेन्सीवार आदानों/सामग्रियों के नाम बताएं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी संकलित की जा ही है।**]** (क) दिसम्बर, 2023 से जनवरी, 2026 की अवधि में अमानक उर्वरक (रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व), बीज तथा कीटनाशी रसायनों के अमानक प्रकरणों एवं की गई कार्यवाही की आदानवार, वर्षवार, जिलावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित अमानक उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी रसायनों के निर्माता कंपनियों की आदानवार, वर्षवार, जिलावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।** (ग) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कृषि आदानों की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं /एजेन्सियों की आदान सामग्रियों के नाम सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।**

प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब निर्माण एवं देशी-विदेशी मदिरा में मिलावट
[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

12. (क्र. 1011) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन को प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब निर्माण एवं देशी-विदेशी मदिरा में मिलावट की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (ख) यदि हाँ, तो विगत दो वित्तीय वर्षों (2023-24,2024-25) एवं अप्रैल 2025 से दिसम्बर 2025 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) उक्त अवधि में मिलावटी शराब के कारण किसी प्रकार की जनहानि अथवा स्वास्थ्य संबंधी घटनाएँ घटित हुई हैं, यदि हाँ, तो उनका विवरण दे? (घ) मिलावट करने वालों के विरुद्ध कितने प्रकरण पंजीबद्ध किए गए तथा कितने दोषियों पर दंडात्मक कार्यवाही की गई? (ङ) भविष्य में प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में मिलावटी शराब पर प्रभावी रोक लगाने हेतु शासन द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : [(क) जी हां। (ख) विगत दो वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25) एवं अप्रैल 2025 से दिसम्बर 2025 तक आबकारी विभाग को अवैध शराब निर्माण के 51 शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र अ** अनुसार है। इसी प्रकार देशी-विदेशी मदिरा में मिलावट के 459 शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ब** अनुसार है। पुलिस विभाग को उक्त अवधि में अवैध शराब निर्माण के 197 शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र स** अनुसार है। इसी प्रकार देशी-विदेशी मदिरा में मिलावट के कोई भी शिकायतें पुलिस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। (ग) उक्त अवधि में मिलावटी शराब के कारण किसी प्रकार की जनहानि अथवा स्वास्थ्य संबंधी घटनाएँ घटित नहीं हुई हैं। (घ) मिलावट करने वालों के विरुद्ध विगत दो वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25) एवं अप्रैल 2025 से दिसम्बर 2025 तक विभाग द्वारा 07 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए तथा 24 दोषियों पर दंडात्मक कार्यवाही की गई। (ङ) भविष्य में प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में मिलावटी शराब पर प्रभावी रोक लगाने हेतु दुकान प्रभारी अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से मदिरा दुकानों की जांच की जा रही है। शिकायत दर्ज कराने हेतु टोल फ्री नम्बर 14405 दुकानों में चस्पा किया गया है, जिस पर नियमित निगरानी रखी जा रही है। मनपसंद ऐप में भी ग्राहकों को मदिरा दुकान व शराब के संबंध में शिकायत करने की

सुविधा प्रदान की गई है। आबकारी कार्यपालिक अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने एवं निरीक्षण दौरान प्राप्त अनियमितता पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।**]** (क) जी हां। (ख) विगत दो वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25) एवं अप्रैल 2025 से दिसम्बर 2025 तक आबकारी विभाग को अवैध शराब निर्माण के 51 शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार है।** इसी प्रकार देशी-विदेशी मदिरा में मिलावट के 07 शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब अनुसार है।** पुलिस विभाग को उक्त अवधि में अवैध शराब निर्माण के 197 शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र स अनुसार है।** इसी प्रकार देशी-विदेशी मदिरा में मिलावट के कोई भी शिकायतें पुलिस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। (ग) उक्त अवधि में मिलावटी शराब के कारण किसी प्रकार की जनहानि अथवा स्वास्थ्य संबंधी घटनाएँ घटित नहीं हुई हैं। (घ) मिलावट करने वालों के विरुद्ध विगत दो वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25) एवं अप्रैल 2025 से दिसम्बर 2025 तक विभाग द्वारा 02 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए तथा 08 दोषियों पर दंडात्मक कार्यवाही की गई। (ङ) भविष्य में प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में मिलावटी शराब पर प्रभावी रोक लगाने हेतु दुकान प्रभारी अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से मदिरा दुकानों की जांच की जा रही है। शिकायत दर्ज कराने हेतु टोल फ्री नम्बर 14405 दुकानों में चस्पा किया गया है, जिस पर नियमित निगरानी रखी जा रही है। मनपसंद ऐप में भी ग्राहकों को मदिरा दुकान व शराब के संबंध में शिकायत करने की सुविधा प्रदान की गई है। आबकारी कार्यपालिक अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने एवं निरीक्षण दौरान प्राप्त अनियमितता पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

[पुनरीक्षित उत्तर]

प्रदेश के राज्यीय /राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की शासकीय विभागों में भर्ती

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

13. (क्र. 1038) श्री अजय चंद्राकर : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में राज्यीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किन-किन खेलों के, कितने खिलाड़ी हैं तथा इनमें से कितने खिलाड़ी, किन-किन राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्य के खिलाड़ियों को क्या-क्या सुविधायें राज्य सरकार या एसोसिएशन द्वारा दी जाती है? (ख) खेल विभाग द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी योजना अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषणा के संबंध में क्या नियम-निर्देश हैं और कितनी अवधि के दौरान घोषणा करने का नियम है तथा किन-किन वर्षो में कितने खिलाड़ियों को उत्कृष्ट घोषित किया गया है? खिलाड़ियों को शासकीय पदों में भर्ती हेतु क्या नियम-निर्देश हैं तथा इनमें से कितने खिलाड़ियों की भर्ती विगत तीन वर्षों में की गयी है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : [(क) जानकारी संलग्न **''प्रपत्र अ''** एवं **''प्रपत्र ब''** अनुसार। (ख) खेल विभाग द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी योजना अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषणा के संबंध में "छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त करने की नीति, 2007" तथा "छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त करने के नियम 2010" प्रचलित है। उक्त नीति में "शासन

को प्रतिवर्ष उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने का प्रावधान है। घोषित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की संख्या **''प्रपत्र स''** अनुसार।विगत तीन वर्षों में विभागों द्वारा भर्ती की जानकारी निरंक है। **शेष विभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है।]** (क) **जानकारी संलग्न ''प्रपत्र अ'' एवं ''प्रपत्र ब'' अनुसार।** (ख) खेल विभाग द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी योजना अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषणा के संबंध में "छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त करने की नीति, 2007" तथा "छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त करने के नियम 2010" प्रचलित है। उक्त नीति में "शासन को प्रतिवर्ष उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने का प्रावधान है। घोषित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की संख्या **संलग्न ''प्रपत्र स'' अनुसार**। विगत तीन वर्षों में विभागों द्वारा भर्ती की जानकारी **जानकारी संलग्न ''प्रपत्र द'' अनुसार**।

परिशिष्ट - पाँच

प्रदेश में खरीफ एवं रबी फसल का उत्पादन

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

14. (क्र. 1057) श्री अजय चंद्राकर : क्या राजस्व मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 31 जनवरी, 2026 की स्थिति में कितने हेक्टयर/एकड़ कृषि योग्य भूमि है? कितने सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र हैं? वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक खरीफ एवं रबी फसल का रकबा (हेक्टेयर/एकड़ में) एवं कुल उत्पादन व औसतन प्रति एकड़ उत्पादन (मेट्रिक टन/क्विंटल में) कितना-कितना रहा है? फसलवार, वर्षवार, जिलावार अलग-अलग बतायें? (ख) छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद से कृषि योग्य कितने हेक्टेयर की भूमि का डायवर्सन, किन-किन क्षेत्रों के उपयोग के लिये किया गया? 17.02.2026 तक कृषि योग्य भूमि में कितने हेक्टेयर/एकड़ की कमी आयी है या बढ़ी है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]** (क) प्रदेश में 31 जनवरी, 2026 की स्थिति में 5016487 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। जिसमें से 1861563 हेक्टेयर सिंचित एवं 3154924 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र है। वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक खरीफ एवं रबी फसल का रकबा एवं कुल उत्पादन की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं ब अनुसार है। (ख) छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद से कृषि योग्य 45924.3162 हेक्टेयर भूमि का डायवर्सन आवासीय, औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रयोजन में किया गया। तद्नुसार दिनांक 17.02.2026 तक कृषि योग्य 45924.3162 हेक्टेयर भूमि में कमी आयी है।

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम अंतर्गत बीज उत्पादन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

15. (क्र. 1059) श्री अजय चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक किसानों द्वारा खरीफ/रबी फसलों के लिये कितनी-कितनी मात्रा में मांग की गयी? मांग के अनुरूप बीज की उपलब्धता कितनी रही तथा बीज उपलब्ध कराने की अवधि क्या तय की गयी है? (ख) उक्त वर्ष में खरीफ/रबी फसल के लिये बीज निगम अंतर्गत कितने किसान एवं किन-किन निजी संस्थाओ ने पंजीयन

कराया गया तथा किसान/बीज निगम का फर्म/निजी संस्थाओं द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी फसलों का उत्पादन किया गया? कितनी-कितनी राशि, किस दर पर, कितनी अवधि के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गयी? (ग) राज्य में बीज उत्पादन व आत्मनिर्भरता के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये तथा इसके लिये क्या नीति एवं कार्यक्रम किये गये तथा उसका परिणाम क्या रहा? इसके लिये कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया है? किन-किन कार्यो के लिये कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? उक्त वर्षवार अलग-अलग बतायें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी संकलित की जा ही है।**]** (क) वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक खरीफ रबी मौसम में कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा आँकलित प्रमाणित बीज मांग तथा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई बीज की मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** मांग अनुसार खरीफ सीजन में बीजों का भण्डारण माह अप्रैल से माह जून तक एवं रबी सीजन माह मे अक्टूबर से माह दिसम्बर तक किया जाता है। (ख) छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु निजी संस्थाओं का पंजीयन नही किया जाता है। प्रश्नाधीन अवधि मे बीज निगम अंतर्गत कृषक प्रक्षेत्रों में लिए गए बीज उत्पादन कार्यक्रम में पंजीकृत किसान, फसलवार उत्पादित बीज एवं निर्धारित दर पर कृषकों को किए गए भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** निगम प्रक्षेत्रों में किए गए बीज उत्पादन, पंजीकृत रकबा एवं उत्पादित बीज मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय ने रखे प्रपत्र-स अनुसार है।** निर्धारित बीज उर्पाजन दर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।** (ग) राज्य में बीज उत्पादन व आत्मनिर्भरता के लिए विभाग द्वारा विभिन्न राज्य पोषित एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत प्रावधानित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रश्नांकित अवधि में कुल 27875 कृषकों को बीज उत्पादन कार्यक्रम विषय पर विस्तृत प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप ही प्रश्नांकित अवधि में बीज निगम के माध्यम से कुल 41717 किसानों द्वारा 14.37 लाख क्विं. प्रमाणित बीज का उत्पादन किया गया। साथ ही विभिन्न विभागीय योजनांतर्गत विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन पर उत्पादन अनुदान दिए जाने का भी प्रावधान है। वर्ष 2025-26 से अक्ती बीज संवर्धन योजनांतर्गत तिलहन फसलों के बीज उत्पादन पर पूर्व में दिए जाने वाले राशि रू. 1000/- प्रति क्वि. उत्पादन अनुदान की राशि में वृद्धि कर राशि रू. 1500/- प्रति कि. अनुदान प्रावधानित किया गया है, इसी प्रकार दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 10 वर्ष के अंदर की किस्मों के बीज उत्पादन पर अनुदान की राशि रू. 1000/- में वृद्धि कर राशि रु. 5000/- प्रति क्वेि. अनुदान प्रावधानित किया गया है। प्रशिक्षण एवं उत्पादन अनुदान का दर्शवार बजट प्रावधान एवं कुल व्ययित राशि की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र-इ अनुसार है।**

<u>विभाग द्वारा सामग्री खरीदी एवं फर्मों को भुगतान</u>
[महिला एवं बाल विकास]

16. (क्र. 1120) श्री अनुज शर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 से दिनांक 10/02/26 तक विभाग द्वारा कितनी सामग्री की खरीदी निविदा/कोटेशन

अथवा सामान्य मांग पत्र के माध्यम से की गई? विवरण प्रदान करें? (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार क्या किसी फर्म का सामग्री प्रदाय करने उपरांत भी राशि का भुगतान लंबित है? यदि हां तो क्यों? (ग) क्या किसी अन्य फर्म को भुगतान की स्वीकृति मिलने पश्चात किया जाने वाला भुगतान अन्य फर्म को कर दिया गया था? यदि हां तो क्या इस कृत्य हेतु दोषी कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांक 'क' अनुसार प्रश्नांक दिनांक तक सामग्री खरीदी की स्वीकृति आदेश एवं भुगतानवार फर्म का विवरण प्रदान करें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है। **]** (क) प्रश्नांक अवधि में विभाग द्वारा निविदा/कोटेशन अथवा सामान्य मांग पत्र के माध्यम से खरीदी गइ सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार** है।

<u>महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत "दिशा दर्शन / दिशा भ्रमण" कार्यक्रम का आयोजन</u>

[महिला एवं बाल विकास]

17. (क्र. 1315) श्री ओंकार साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा वर्ष 2023 से दिनांक 10/02/2026 तक धमतरी, कांकेर एवं बालोद जिलों में "दिशा दर्शन/दिशा भ्रमण" कार्यक्रम आयोजित किया गया है? यदि हाँ, तो स्वीकृत बजट तथा बजट के विरुद्ध व्यय का जिला-वार विवरण दें ? (ख) उक्त कार्यक्रमों में सम्मिलित समस्त महिलाओं/सदस्यों का विधिवत पंजीयन किया गया था अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? (ग) उक्त कार्यक्रमों हेतु स्वीकृत कुल बजट, मदवार एवं जिला-वार व्यय विवरण एवं इस अवधि में की गई जांच/ऑडिट की स्थिति, लंबित ऑडिट के कारण तथा अग्रिम राशि के आहरण एवं समायोजन की जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : [(क) जी हाँ! स्वीकृत बजट तथा बजट के विरूद्ध व्यय का जिलावार**जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसारहै।** (ख) जी हाँ! शेष प्रश्न उद्‌भूत नहीं होता। (ग) उक्त कार्यक्रमों हेतु स्वीकृत कुल बजट, मदवार एवं जिलावार व्यय का **विवरण प्रपत्र 'अ' अनुसार संलग्न है।** इस अवधि में जांच/ऑडिट लंबित नहीं है। अग्रिम राशि के आहरण एवं समायोजन की जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है।]** (क) जी हाँ, आयोजित किया गया है। स्वीकृत बजट तथा बजट के विरूद्ध व्यय का जिलावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (**ख) दिशा दर्शन योजना के दिशा-निर्देशानुसार समस्त महिलाओं/सदस्यों का विधिवत पंजीयन के संबंध में ऐसे महिला स्व-सहायता समूह की इच्छुक महिलाओं को चिन्हांकित किया जाकर भ्रमण कार्यक्रम हेतु सूचीबद्ध किया जाता है, जिसका गठन हुए कम से कम एक वर्ष पूर्ण हो एवं उनकी बचत, अंतःऋण, बैंकिंग संबंधी गतिविधियां नियमित हो तथा जो आय उपार्जन गतिविधि प्रारंभ करना चाहते हो अथवा आर्थिक गतिविधि में संलग्न हों, अतः शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। (ग) उक्त कार्यक्रमों हेतु स्वीकृत कुल बजट, मदवार एवं जिलावार व्यय का **विवरण प्रपत्र 'अ' अनुसार संलग्न है।** इस अवधि में जिलों को दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम से संबंधित कोई भी

शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण जाँच लंबित नहीं है, ऑडिट की स्थिति के संबंध में **जानकारी प्रपत्र 'ब' अनुसार संलग्न है।** अग्रिम राशि के आहरण एवं समायोजन की **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'स' अनुसार है।**
परिशिष्ट - छः [**पुनरीक्षित उत्तर**]

जिला-जशपुर अंतर्गत मदिरा दुकानों में विक्रय
[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

18. (क्र. 1366) श्रीमती गोमती साय : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जशपुर अंतर्गत वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2026 तक आबकारी विभाग द्वारा देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में किन-किन ब्रांडो का शराब कितनी-कितनी मात्रा में क्रय किया गया तथा कितनी-कितनी मात्रा में विक्रय हुआ, ब्रांडवार जानकारी देवें? (ख) क्या जिले के मदिरा दुकानों में क्रय-विक्रय में निर्धारित दरों से अधिक मूल्य वसूली, अनियमितता आपूर्ति अथवा स्टॉक में हेर-फेर की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण देवें? (ग) क्या भविष्य में मदिरा के क्रय-विक्रय में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु कोई विशेष निगरानी व्यवस्था अथवा ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली लागू किये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : [(क) जिला जशपुर अंतर्गत वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2026 तक आबकारी विभाग द्वारा देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में ब्रांडवार क्रय एवं विक्रय की गई शराब की मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार है।** (ख) जिला जशपुर के मदिरा दुकानों में क्रय-विक्रय में निर्धारित दरों से अधिक मूल्य वसूली, अनियमितता आपूर्ति अथवा स्टॉक में हेर-फेर की प्राप्त शिकायतों एवं उन शिकायतों पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब अनुसार है।** (ग) मदिरा के क्रय-विक्रय में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु ट्रेक एवं ट्रेस सिस्टम निगरानी व्यवस्था लागू है।**]** (क) जिला जशपुर अंतर्गत वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2026 तक आबकारी विभाग द्वारा देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में ब्रांडवार क्रय एवं विक्रय की गई शराब की मात्रा की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र अ** अनुसार है। (ख) जिला जशपुर के मदिरा दुकानों में क्रय-विक्रय में निर्धारित दरों से अधिक मूल्य वसूली, अनियमितता आपूर्ति अथवा स्टॉक में हेर-फेर की प्राप्त शिकायतों एवं उन शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ब** अनुसार है। (ग) मदिरा के क्रय-विक्रय में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु ट्रेक एवं ट्रेस सिस्टम निगरानी व्यवस्था लागू है।

[पुनरीक्षित उत्तर]

राज्य में संचालित शासकीय विश्वविद्यालय/अर्धशासकीय विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय
[उच्च शिक्षा]

19. (क्र. 1534) श्री पुरन्दर मिश्रा : क्या राजस्व मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में कुल कितने शासकीय विश्वविद्यालय/अर्धशासकीय विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं एवं इन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कितने महाविद्यालय हैं ? विवरण देवें? (ख) क्या राज्य में संचालित

अर्धशासकीय/निजी विश्वविद्यालयों द्वारा सभी विषयों के लिये छात्र-छात्राओं का प्रवेश लिया जाता है किन्तु उनके पास स्वीकृत सभी विषयों के प्रोफेसर नहीं हैं ? यदि हां, तो विवरण देवें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : [(क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अ एवं ब अनुसार है। निजी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कोई महाविद्यालय संबद्ध नहीं है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।**]** (क) **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।** निजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोई महाविद्यालय संबद्ध नहीं है। (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - अ एवं प्रपत्र - ब अनुसार है।**

<u>कृषि भूमि का परिवर्तन किए बिना मोबाइल टॉवर की स्थापना</u>
[इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी]

20. (क्र. 1697) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या मुख्यमंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि को बिना परिवर्तन किये, गैर कृषि कार्य में उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो किस नियम के तहत ? यदि नहीं तो किस नियम के तहत? (ख) क्या ग्रामीण क्षेत्र के कृषि भूमि को बिना परिवर्तन के मोबाइल टॉवर की स्थापना की जा सकती है? हाँ तो किस नियम के तहत ? (ग) वर्ष 2023-24 से दिनांक 30.10.2025 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो में कितने मोबाइल टॉवर स्थापित हैं तथा इनमें से कितने टॉवर्स को कृषि भूमि को बिना गैर कृषि भूमि परिवर्तन के संचालित किया जा रहा है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : [जानकारी एकत्र की जा रही है।**]** (क) कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार "छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि को गैर कृषि कार्य में उपयोग करने (व्यपवर्तन) का प्रावधान है। यदि ग्राम की जनसंख्या 2000 से कम है तो व्यपवर्तन की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।" (ख) कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार "छत्तीसगढ़ राज्य में दूरसंचार अवसंरचना के विकास के लिए तारमार्ग के अधिकार (राईट ऑफ वे) की नीति 2021 के अनुसार सभी प्रकार की भूमि एवं भवनों पर दूरसंचार टॉवर स्थापित किये जा सकते हैं चाहे वे किसी भी उपयोग की प्रकृति के हो। दूरसंचार टॉवर की स्थापना के उद्देश्य से किसी भी भूमि या भवन के उपयोग की प्रकृति को बदलने की आवश्यकता नहीं है" तारमार्ग का अधिकार (राईट ऑफ वे) की नीति 2021 राज्य में 31 दिसंबर 2024 तक लागू थी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में भारत सरकार दूरसंचार (मार्ग का अधिकार) नियम, 2024 लागू हैं। (ग) कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार "पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/पंचा-381/FINACC/220/2026-DIR दिनांक 05/03/2026 के अनुसार वर्ष 2023-24 से दिनांक 30/10/2025 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 2379 मोबाईल टॉवर स्थापित है।"

<u>राज्य शासन के विभागो में प्रदर्शनी उद्घाटन, बड़े समारोह के लिए टेंट एवं प्रचार-प्रसार की व्यवस्था</u>
[वाणिज्य एवं उद्योग]

21. (क्र. 1746) श्री राजेश मूणत : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन से संबंधित विभागों में प्रदर्शनी, उद्घाटन या बड़े-बड़े समारोह के लिए ईवेंट कंपनी, टेंट

प्रचार-प्रसार की व्यवस्था के संबंध में क्या नार्म्स है? इस कार्यो को करने के लिए क्या निविदा आमंत्रित की जाती है या कोटेशन के माध्यम से भाव आमंत्रित कर कार्य संपादन करा लिया जाता है? विवरण देवें। (ख) जिलो में होने वाली प्रदर्शनी उद्घाटन या अन्य समारोहों के लिए भी कार्य निविदा आमंत्रण कर कराया जाता है अथवा रेट कांट्रेक्ट आधार पर या कोटेशन के माध्यम से कराया जाता है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : [विभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]** (क) राज्य शासन से संबंधित विभागों में प्रदर्शनी, उद्घाटन या बड़े-बड़े समारोह के लिए ईवेंट कंपनी, टेंट प्रचार-प्रसार सम्बन्धी क्रय के लिए छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 में प्रावधान **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** प्रचार प्रसार के सम्बन्ध में, **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** स्थायी वित्त निर्देश 11/2025 जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 के नियम 4 में क्रय के मूल्य के आधार पर कोटेशन एवं निविदा की कार्यवाही हेतु प्रावधान हैं। (ख) जिला स्तर पर भी छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 के प्रावधान अनुसार कार्य संपादन किया जाता है।

रायपुर के न्यू स्वागत विहार कॉलोनी को अवैध घोषित किए जाने के पश्चात भूमि का अधिग्रहण उपरांत नामांतरण, पुनः आवंटन एवं पंजीयन

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

22. (क्र. 1805) श्री संदीप साहू : क्या राजस्व मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के संज्ञान में यह तथ्य है कि रायपुर के न्यू स्वागत विहार कॉलोनी को अवैध घोषित किए जाने के पश्चात भूमि का अधिग्रहण तो किया गया, परंतु अधिग्रहण उपरांत नामांतरण, पुनः आवंटन एवं पंजीयन की कोई स्पष्ट प्रक्रिया वर्तमान अधिनियमों एवं नियमों में निर्धारित नहीं है? (ख) क्या यह सत्य है कि नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कॉलोनाइज़र का पंजीकरण) नियम, 1999 में विक्रय विलेख को शून्य घोषित किए जाने के पश्चात की कार्यवाही (नामांतरण, पंजीयन एवं आवंटन) के संबंध में स्पष्ट प्रावधानों का अभाव है? (ग) क्या प्लॉट धारकों द्वारा पूर्व में अदा किए गए स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क के समायोजन अथवा छूट के संबंध में शासन द्वारा अब तक कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं? यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं? (घ) क्या यह भी तथ्य है कि भुईया पोर्टल एवं ई-कोर्ट सॉफ्टवेयर में ऐसे प्रकरणों में नामांतरण हेतु कोई तकनीकी विकल्प उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण प्रकरणों का ऑनलाइन निस्तारण बाधित हो रहा है? (ड) क्या रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के ले-आउट में सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के अभाव, नाला/मार्ग संबंधी तकनीकी त्रुटियों एवं ले-आउट संशोधन की स्थिति अभी तक अस्पष्ट बनी हुई है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : [जानकारी एकत्र की जा रही है।**]** (क) जी हां। राज्य शासन के निर्णय दिनांक 26-09-2023 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1999 के अंतर्गत ग्राम बोरियाकला का रकबा क्रमशः 10.556 हेक्टेयर एवं रकबा 15.601 हेक्टेयर तथा ग्राम सेजबहार का रकबा 16.419 हेक्टेयर का प्रबंधन सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रायपुर) द्वारा अपने हाथों में लिया गया। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु

नियमों एवं प्रक्रिया के संबंध में परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) परीक्षण किया जा रहा है। (ग) प्लॉट धारकों द्वारा पूर्व में अदा किये गये स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क के समायोजन अथवा छूट के संबंध में पंजीयन विभाग से कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है। छूट के संबंध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में प्रक्रियाधीन नहीं है। **(घ)** छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109 एवं 110 में भूमि के वैध अंतरण के आधार पर नामांतरण किये जाने का प्रावधान है तथा ऑनलाईन भुईया पोर्टल एवं ई-कोर्ट में भी उपरोक्त अंतरण के आधार पर नामांतरण करने का विकल्प उपलब्ध है। **(ङ)** ले-आउट के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत समुचित कार्यवाही की जावेगी।

महासमुंद स्थित ऑयल इंडस्ट्रीज
[वाणिज्य एवं उद्योग]

23. (क्र. 1820) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश के महासमुंद जिला अंतर्गत के. एन. आयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड आश्रम रोड महासमुंद व मेसर्स के एन आयल मिल इंडस्ट्रीज (भागीदार फर्म) महासमुंद का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं संचालक का नाम व इसके अलावा अन्य इंडस्ट्रीज कौन-कौन से हैं, प्रत्येक का नाम क्या-क्या हैं? प्रत्येक इंडस्ट्रीज की संचालन तिथि, क्षेत्रफल (खसरा रकबा) तथा संचालकों के नाम बताएं ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लिखित ऑयल इंडस्ट्रीज के संबंध में जनवरी, 2023 से 31.01.2026 तक कब-कब एवं किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुईं? उन पर क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार एवं तिथिवार बतायें? (ग) क्या के.एन. ऑयल इंडस्ट्रीज की कुर्क संपत्ति का अवैध एवं अनियमित नामांतरण/हस्तांतरण कर राजस्व की हानि की गई? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो उक्त भूमि का वर्तमान स्वामित्व, भौतिक स्थिति, प्राप्त शिकायतें तथा उन पर की गई कार्यवाही का वर्षवार एवं तिथिवार बतायें? उक्त ऑयल इंडस्ट्रीज के भूमि प्रकरण की समुचित जांच एवं निराकरण कब तक किया जाएगा?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : [जानकारी एकत्र की जा रही है।**]** (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश के महासमुंद जिला अंतर्गत फर्म मेसर्स के.एन.ऑयल इंडस्ट्रीज, महासमुंद, पंजीयन क्रमांक-1333, वर्ष 1967-68, दिनांक 16.11.1967 पर पंजीकृत है। उक्त फर्म की रचना में दिनांक 01.10.2022 से परिवर्तन करने की सूचना दिनांक 02.02.2024 को प्राप्त होने पर दिनांक 07.02.2024 को रिकार्ड में सम्मिलित किया गया है, जिसमें वर्तमान में निम्नांकित भागीदारों के नाम दर्शाया गया है:- (1) निर्मला देवी श्रीश्रीमाल, (2) धरमचंद श्रीश्रीमाल, (3) कविता देवी श्री श्रीमाल,(4) राजेश कुमार श्री श्रीमाल, (5) मेसर्स गजशक्ति एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड (संचालक-श्री राजमल जैन पिता श्री तेजमल जैन)। इसके अलावा जिला-महासमुन्द के अंतर्गत अन्य इंडस्ट्री पंजीयक, फर्म एवं सोसायटी में पंजीकृत नहीं है। के.एन.ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से प्राप्त जानकारी अनुसार, उनका वर्तमान में परिवर्तित नाम सुमांगी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर है, कंपनी का पंजीयन संख्या U15143CT1995PTC009214, संचालकों के नाम श्री मांगली लाल जैन, रायपुर, एवं श्री फुलेश्वर साहू, महासमुंद है। इनका उद्योग विभाग में पंजीयन नहीं हुआ है। फर्म मेसर्स के.एन. ऑयल इंडस्ट्रीज के नाम पर, फरवरी 2020 में जिला एवं तहसील महासमुंद, ग्राम महासमुंद स्थित भूमियों का संविलयन कर खसरा क्रमांक 15003, रकबा 4.235 हेक्टेयर दर्ज किया गया,

यह भूमि जनवरी, 2008 में, के.एन. ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से फर्म मेसर्स के.एन.ऑयल इंडस्ट्रीज को अंतरित हुई थी। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लिखित ऑयल इंडस्ट्रीज के संबंध में जनवरी, 2023 से 31.01.2026 तक प्राप्त शिकायतों का **विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** (ग) वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) ने याचिका क्रमांक 3927/2011 में दिनांक 23.02.2017 एवं याचिका क्रमांक 7/2007 में दिनांक 22.03.2018 को, क्रेडा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र वैध मान्य करते हुए एवं कर निर्धारण को अपास्त करते हुए व्यवसायी मेसर्स के.एन.ऑयल इण्डस्ट्रीज, महासमुंद के पक्ष में निर्णय दिया गया है। अतः बकाया वसूली शेष नहीं है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार, वर्तमान राजस्व अभिलेख में महासमुंद स्थित भूमि खसरा नंबर 15003/1, रकबा 2.555 हे. भूमि के.एन.ऑयल इंडस्ट्रीज भागीदार राजेश कुमार पिता धरमचंद जैन के नाम पर दर्ज है। भौतिक रूप से खसरा नंबर 15003 में वर्तमान में मेघबसंत कॉलोनी स्थित है। उक्त खसरे की अन्य बटा नंबर एवं भूमिस्वामियों का **विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** शिकायतों का विवरण अंश (ख) अनुसार है।

डोंगरगांव नगर पंचायत के अंतर्गत स्वीकृत कार्य
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

24. (क्र. 1829) श्री दलेश्वर साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) , यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिला के वर्ष 2022-23 से 2024-25 में डोंगरगांव नगर पंचायत के अंतर्गत किन-किन मदो से स्वीकृत कार्यो की कार्य एजेंसी संजय संचेती, डोंगरगांव को किन-किन कार्यों हेतु कार्य आदेश जारी किया गया है ? उक्त कार्यो की कार्यआदेश, निविदा दिनांक, सत्यापन, मूल्यांकन, बिल प्रस्तुत एवं भुगतान की कार्यवार, अद्यतन जानकारी दिनांकवार देवे ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : [राजनांदगांव जिला के वर्ष 2022-23 से 2024-25 में डोंगरगांव नगर पंचायत के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग मदएवं अधोसंरचना मद से स्वीकृत कार्यो की कार्य एजेंसी संजय संचेती, डोंगरगांव को निर्माण कार्य एवं पाईपलाईन विस्तारके कुल 24 कार्यों हेतु कार्य आदेश जारी किया गया है।मदवार जानकारी निम्नानुसार हैः-

क्र	मद का नाम	कार्यों की संख्या
1	2	3
1	15वें वित्त आयोग	02
2	अधोसंरचना	22
योग-		24

उक्त कार्यों की कार्यादेश, निविदा दिनांक, सत्यापन, मूल्यांकन, बिल प्रस्तुति एवं भुगतान की कार्यवार, अद्यतन **जानकारी सलंग्न प्रपत्र अनुसार है।]** राजनांदगांव जिला अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक

डोंगरगांव नगर पंचायत में अधोसंरचना मद, 15वें वित्त आयोग मद, स्वच्छ भारत मिशन, छ.ग.राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण, राजगामी संपदा, विधायक निधि एंव समग्र शिक्षा से स्वीकृत कार्यो हेतु कार्य एजेंसी संजय संचेती, डोंगरगांव को कार्य आदेश जारी किया गया है। मदवार जानकारी निम्नानुसार हैः-

क्र	मद का नाम	कार्यों की संख्या
1	2	3
1	अधोसंरचना मद	22
2	15वें वित्त आयोग मद	02
3	स्वच्छ भारत मिशन	01
4	छ.ग.राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण	06
5	राजगामी संपदा	01
6	विधायक निधि	02
7	समग्र शिक्षा	01
	योग-	35

उक्त कार्यों की कार्यादेश, निविदा दिनांक, सत्यापन, मूल्यांकन, बिल प्रस्तुति एवं भुगतान की कार्यवार, अद्यतन **जानकारी सलंग्न प्रपत्र अनुसार है।**

परिशिष्ट - सात **[पुनरीक्षित उत्तर]**

खेल कोटे छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय पदों पर नियुक्ति

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

25. (क्र. 1836) श्री इंद्र साव : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी, 2024 से 31.01.2026 तक प्रदेश में विभिन्न खेलों में पदक प्राप्त करने वाले कितने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में खेल कोटे से किस-किस पद पर शासकीय नौकरी प्रदान की गई है ? वर्षवार जानकारी दें तथा शासन के विभिन्न विभागों में खेल कोटे से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी प्रदान करने के क्या मापदंड एवं नीति नियम हैं ? (ख) प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए तथा प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कहां-कहां पर किस-किस खेल के लिए स्टेडियम एवं मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया गया है ? जिलेवार एवं विकासखण्डवार जानकारी दें तथा प्रदेश के किन-किन स्थानों पर खेल-कूद के लिए नए स्टेडियम एवं मिनी स्टेडियम के निर्माण कार्य के प्रस्ताव लंबित है, लंबित प्रस्ताओं पर कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएंगी ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : [(क) प्रश्नावधिमें नियुक्ति संबंधी जानकारी संलग्न **''प्रपत्र अ''** अनुसार। शेष **विभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है**। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को

शासकीय नौकरी प्रदान करने हेतु "छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त करने के नियम 2010 प्रचलित है। (ख) जानकारी संलग्न "**प्रपत्र ब"** अनुसार।**]** (क) जानकारी संलग्न **"प्रपत्र अ"** अनुसार । विभागांतर्गत छ.ग. राज्य उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती 2010 के तहत भर्ती की कार्यवाही की जाती है। (ख) जानकारी संलग्न **"प्रपत्र ब"** अनुसार।

<u>परिशिष्ट - आठ</u>

<u>राज्य में शासन द्वारा घोषित/मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी</u>
[सामान्य प्रशासन]

26. (क्र. 1902) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या मुख्यमंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में शासन द्वारा घोषित / मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या कितनी है? कृपया जिलेवार नाम सहित सूची उपलब्ध करावें? (ख) क्या शासन स्तर पर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है? यदि हां तो कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? नाम सहित जानकारी देवें? (ग) क्या राज्य अथवा जिला स्तर पर स्वतंत्र दिवस एवं गणतंत्र दिवस समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के जीवित संतानों / परिजनों को आमंत्रित कर सम्मान किये जाने का कोई प्रावधान है? यदि हां तो उसका विवरण देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] (क)** जिला कार्यालयों से प्राप्त जानकारी अनुसार राज्य में शासन द्वारा घोषित/मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कुल संख्या 1649 है। जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जी हॉ। तीन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जानकारी निम्नानुसार है:- 1. स्व. रामकृष्ण तिवारी आत्मज सदासुख तिवारी, सदर बाजार रायपुर (छ.ग.)। 2. स्व. सुददेव पातर (पातर हल्बा), ग्राम भेलवापानी विकासखण्ड दुर्गूकोंदल, जिला उ.ब. कांकेर (छ.ग.)। 3. स्व. बाबू परमानंद, जिला सूरजपुर (छ.ग.)। **(ग)** जी नहीं।

<u>किसानों को समय पर उवर्रक एवं बीज उपलब्ध न हो पाना</u>
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

27. (क्र. 1940) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2025-26 में राज्य के अनेक किसानों को समय पर उवर्रक एवं बीज उपलब्ध नहीं हो पाया? यदि हॉ तो जिलेवार विवरण दे? (ख) कितने जिलों में बीज और उवर्रक की कमी होने की शिकायत प्राप्त हुई?जिले का विवरण दे? (ग) राज्य में जिलेवार बीज उर्वरक की आवश्यकता क्या थी और कितनी मात्रा में उपलब्ध कराया गया?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**]** (क) जी नही। (ख) खरीफ एवं रबी वर्ष 2025-26 में (दिनांक 28.02.2026 तक) बीज की कमी के संबंध में किसी भी जिले में कोई भी

शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः शेष जानकारी निरंक है। उर्वरक की कमी के संबंध में खरीफ 2025-26 में कुल 28 जिलों में शिकायतें प्राप्त हुई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** रबी 2025-26 में उर्वरक की कमी के संबंध में किसी भी जिले में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः शेष जानकारी निरंक है। (ग) खरीफ एवं रबी वर्ष 2025-26 (दिनांक 28.02.2026 तक) में बीज एवं उर्वरक की मांग तथा भण्डारण की मौसमवार-जिलावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे क्रमशः प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स, प्रपत्र-द एवं प्रपत्र-ई अनुसार है।**

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व द्वारा किये गये कार्य एवं व्यय

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

28. (क्र. 1942) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या पर्यटन मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा राज्य में कौन कौन से कार्य किये जाते है? (ख) वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में किये गये कार्य एवं व्यय का जिलेवार विवरण क्या है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : [(क) विभाग द्वारा प्रदेश के मंदिरों के जीर्णिद्वार, धर्मशाला का निर्माण, धार्मिक न्यास, सिन्धु दर्शन एवं मानसरोवर यात्रा, राजिम कुम्भ (कल्प) मेला, गिरोैधपुरी एवं लालपुर मेला, दामाखेड़ा मेला, बस्तर दशहरा, जशपुर दशहरा तथा डोगरगढ़ मेला संबधी कार्य संपादित किया जाता है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]** (क) विभाग द्वारा प्रदेश के मंदिरों के जीर्णोद्वार धर्मशाला का निर्माण, धार्मिक न्यास, सिन्धु दर्शन एवं मानसरोवर यात्रा, राजिम कुम्भ (कल्प) मेला, गिरौधपुरी एवं लालपुर मेला, दामाखेड़ा मेला, बस्तर दशहरा, जशपुर दशहरा तथा डोगरगढ़ संबधी कार्य संपादित किया जाता है।(ख) वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में किये गये कार्य एवं व्यय का निम्न जिले बालोद, सारंगढ- बिलाईगढ़, जगदलपुर, बीजापुर, दन्तेवाड़ा, दुर्ग, गरियाबंद, रायपुर, सूरजपुर, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, कबीरधाम, जशपुर, की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। शेष जिले की जानकारी "निरंक" है।

छ.ग. के देवस्थलों के जीर्णोद्धार, मरम्मत एव नवीनीकरण के लिए स्वीकृत बंटन एवं व्यय

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

29. (क्र. 2036) श्री बघेल लखेश्वर : क्या पर्यटन मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ०ग० में विभाग के द्वारा वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में देवस्थलों व प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं नवीनीकरण सहित अन्य कार्यों के लिए स्वीकृत बंटन व व्यय की स्थिति स्वीकृत वर्ष सहित कार्यवार जिलेवार जानकारी बतावें ? (ख) स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति बताने की कृपा करेंगे ?
पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : [(क)जानकारी एकत्रित की जा रही है।(ख)जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]** (क) एवं (ख) की जानकारी। जिला-रायपुर, जशपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, जगदलपुर, कोण्डागांव, बीजापुर, सुकमा, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, जांजगीर-चांपा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, महासमुंद, धमतरी, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, गरियाबंद,

बलौदाबाजार-भाटापारा से प्राप्त जानकारी अनुसार उत्तर **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।** शेष जिला की जानकारी "निरंक" है।

रासायनिक कीटनाशक, बायो-फर्टिलाईजर एवं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्सर की खरीदी
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

30. (क्र. 2167) श्री धरमलाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में कृषि विभाग द्वारा रासायनिक कीटनाशक, बायो-फर्टिलाईजर एवं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्सर की खरीदी की गई है? यदि हॉ तो किस - किस दर से खरीदी की गई? जिलेवार तुलनात्मक जानकारी देवें। (ख) वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेम पोर्टल के माध्यम से किस स्पेसिफिकेशन के मक्का बीज की जिलावार कितनी मात्रा में खरीदी किनसे व किस दर पर की गई तथा किन-किन को कितना-कितना भुगतान किया गया है? यदि हाईब्रिड मक्का बीज का भुगतान किया गया है तो IGKV द्वारा जारी जिले की DNA रिर्पोट की जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश 'क' व 'ख' अनुसार सामग्री व खरीदी के संबंध में क्या शिकायत की गई तथा इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है और कितनी शिकायतों पर कार्यवाही लंबित है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**] (क)** वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में संचालनालय कृषि अंतर्गत रासायनिक कीट नाशक, बायो-फर्टिलाइजर एवं माइकोन्यूट्रिएंट्स मिक्सचर की खरीदी की जिलावार, वर्षवार, उत्पादवार दर सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।** संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी अंतर्गत खरीदी की जिलावार, वर्षवार, उत्पादवार दर सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-क, प्रपत्र-ख एवं प्रपत्र-ग अनुसार है। (ख)** वित्तीय वर्ष 2025-26 में (दिनांक 20 फरवरी 2026 तक) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किए गए मक्का बीज की जिलावार, फर्मवार किस्म एवं भुगतान राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र द अनुसार है।** प्रमाणित बीज की निर्धारित अंकुरण एवं भौतिक शुद्धता सुनिश्चित करने बीज अधिनियम 1966 की धारा-14 (1) (a) एवं (b), बीज नियम 1968 के नियम 23 (c) तथा बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के खण्ड 13 (c) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नमूनों लिए जाते है तथा बीज अधिनियम 1966 की धारा-15 तथा बीज नियम 1968 के नियम 24, 25, 26, 29 एवं 30 में बताए गए तरीके अनुसार प्रमाणित बीज (जिसकी विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख बीज नियम 1968 के नियम 14 में किया गया है) का नमूना प्रयोगशाला को प्रेषित किया जाता है। बीज से संबंधित अधिनियम / नियम / आदेश बीजों के डी.एन.ए. परीक्षण संबंधित प्रक्रिया के विषय में मौन है, तथापि जिन जिलों द्वारा हाईब्रिडिटी (संकरता) परीक्षण हेतु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को नमूना प्रेषित किया गया है की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र-इ अनुसार है।** (ग) संचालनालय कृषि अंतर्गत प्रश्नांश 'क' अनुसार सामग्री एवं खरीदी के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः शेष जानकारी निरंक है। प्रश्नांश 'ख' अनुसार हाइब्रिड मक्का की क्रय प्रक्रिया में अनियमितता संबंधी एक शिकायत प्राप्त हुई है।

शिकायत की जांच प्रक्रियाधीन है। संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी अंतर्गत प्रश्नांश 'क' अनुसार सामग्री एवं खरीदी के संबंध में प्राप्त शिकायत की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र-ई अनुसार है।**

छत्तीसगढ़ प्रदेश में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM) योजना अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

31. (क्र. 2183) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM) योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में यंत्रवार एवं जिलावार निर्धारित लक्ष्य तथा लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि का विवरण वर्षवार एवं जिलावार बताएं ? (ख) छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिलों में प्रश्नांश (क) अंतर्गत योजना के लिए लक्ष्य निर्धारण किस आधार पर तथा किस प्राधिकारी द्वारा किया जाता है?क्या उक्त अवधि में निर्धारित लक्ष्य में कोई संशोधन किया गया? यदि हाँ, तो कब, कितना एवं किस आधार पर संशोधन किया गया?प्रारंभिक लक्ष्य (मात्रा) एवं संशोधित लक्ष्य का विवरण वर्षवार एवं जिलावार बताएं ? (ग) प्रश्नांश (क) की अवधि में छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि मशीनीकरण की दर में कितनी वृद्धि हुई? जिलावार एवं यंत्रवार विवरण दें।यदि वृद्धि नहीं हुई, तो इसके क्या कारण हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**]** (क) प्रदेश में सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैंकेनाइजेशन (एस.एम.ए.एम.) योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में यंत्रवार निर्धारित लक्ष्य तथा लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि की वर्षवार, जिलावार, घटकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत योजना के लिए लक्ष्य का निर्धारण भारत सरकार से स्वीकृत कार्ययोजना एवं गत वर्षों की प्रगति के आधार पर संचालक कृषि/अपर संचालक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा किया जाता है। जी हाँ, जिलों को निर्धारित प्रारंभिक भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध अधिक आवेदन प्राप्त होने तथा उन जिलों में जहाँ स्वीकृत आवेदनों के विरुद्ध कृषकों द्वारा कृषक अंश जमा नहीं किये जाने तथा वित्तीय वर्ष में लक्ष्य की शत्-प्रतिशत पूर्ति के दृष्टि से क्रियान्वयन एजेंसी बीज निगम (चैम्प्स प्रणाली) से प्राप्त लक्ष्य संशोधन प्रस्ताव अनुसार योजनांतर्गत लक्ष्य में संशोधन किया जाता है। वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में लक्ष्य में किए गए संशोधन की वर्षवार, जिलेवार, तिथिवार, घटकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** (ग) प्रदेश में उपलब्ध फार्मपावर की गणना केवल विभागीय अनुदान योजनाओं के अंतर्गत वितरित यंत्रों के आधार पर नहीं की जा सकती है। उक्त गणना अन्य कई कारकों जैसे जिले में उपलब्ध डीजल/पेट्रोल चलित पंप, कृषि मजदूरों की संख्या, पशुओं की संख्या तथा अनुदान के अतिरिक्त क्रय किये गये शक्ति स्त्रोत जैसे ट्रेक्टर, पावर टिलर एवं अन्य स्वचलित यंत्रों की संख्या के आधार पर की जाती है। वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में कृषकों द्वारा अनुदान पर क्रय किये गये यंत्रों के माध्यम से फार्मपावर में हुई वृद्धि का वर्षवार, जिलेवार, यंत्रवार विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।**

<u>महासमुंद जिला अंतर्गत SMSP योजना का क्रियान्वयन</u>
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

32. (क्र. 2184) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मैटेरियल (SMSP) – बीज ग्राम योजना अंतर्गत किन-किन फसलों हेतु कितना बीज वितरण लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा कितना बीज वितरित किया गया? वर्षवार, विकासखंडवार एवं राशि , मूल्य सहित बतायें? (ख) उक्त योजना अंतर्गत बीज निगम द्वारा निर्धारित दर, फसल अवधि, 4% कमीशन घटाकर बीज की वास्तविक दर, योजनांतर्गत प्रावधानित अनुदान की राशि/प्रतिशत, अनुदान का भुगतान किस मद में एवं कितनी राशि दी गई, अनुदान घटाने के पश्चात कृषक अंश की राशि, बीज की मात्रा फसलवार (रबी/खरीफ) तथा बीज निगम को किए गए भुगतान की राशि वर्षवार एवं विकासखंडवार बताएं ? (ग) उक्त अवधि में बीज की दर, बीज की गुणवत्ता/खराबी तथा बीज निगम को भुगतान में अनियमितता संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? उन पर क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार बतायें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**]** (क) महासमुन्द जिले में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मैटेरियल-बीज ग्राम योजना अंतर्गत वर्षवार, विकासखंडवार बीज वितरण का लक्ष्य, वितरित किये गये बीज की मात्रा, राशि एवं मूल्य की **जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।** (ख) उक्त योजना अंतर्गत बीज निगम द्वारा निर्धारित दर, फसल अवधि, 4% कमीशन घटाकर बीज की वास्तविक दर, योजनांतर्गत प्रावधानित अनुदान की राशि/प्रतिशत, अनुदान का भुगतान किस मद में एवं कितनी राशि दी गई, अनुदान घटाने के पश्चात कृषक अंश की राशि, बीज की मात्रा फसलवार (रबी/खरीफ) तथा बीज निगम को किये गये भुगतान की राशि का वर्षवार एवं विकासखंडवार **जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।** (ग) उक्त अवधि में सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल-बीज ग्राम योजना अंतर्गत बीज की दर, बीज की गुणवत्ता/खराबी तथा बीज निगम को भुगतान में अनियमितता संबंधी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

<u>राजनांदगांव के वि.ख. डोंगरगढ़ ग्राम आलीवारा में किसान सुविधा केन्द्र का संचालन एवं आवश्यक सेटअप</u>
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

33. (क्र. 2206) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजनांदगांव के वि.ख. डोंगरगढ़ ग्राम आलीवारा में संचालनालय कृषि के पत्र क्रं 711 दिनांक 04.10.2023 द्वारा किसान सुविधा केन्द्र के संचालन एवं आवश्यक सेटअप हेतु वित्तीय प्रस्ताव अनुपूरक बजट में प्रावधान करने की अपेक्षा की गई थी तथा विभागीय मंत्री द्वारा दिनांक 25.06.2025 को अपर प्रमुख सचिव (ए.पी.सी.) परीक्षण कर स्वीकृत करें उल्लेख किया गया है? यदि हां, तो उक्त पत्र एवं कार्य के समाधान के तारतम्य में संचालक, उपसंचालक कृषि एवं जिला कलेक्टर राजनांदगांव से शासन एवं

संचालक अंनुसंधान सेवाएं इं.गां.कृ्षि विश्वविद्यालय व अधिष्ठाता एस के एस.कृ्षि महाविद्यालय राजनांदगांव को किये गये पत्राचार एवं किये गये कार्यवाही की जानकारी, दिनांकवार, विभागवार, कार्यवाहीवार देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [जानकारी संकलित की जा रही है।**]** जी हाँ। संचालनालय कृषि के पत्र क्र. 711 दिनांक 04.10.2023 से संबंधित पत्राचार एवं कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** तथा माननीय विधायक डोंगरगांव के पत्र दिनांक 25.06.2025 (जिस पर माननीय कृषि मंत्रीजी द्वारा दिनांक 25.06.2025 को टीप अंकित की गई) से संबंधित पत्राचार एवं कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**
<u>परिशिष्ट - नौ</u>

<u>उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषणा, राज्य अलंकरण समारोह एवं स्पोर्टस कोटे से नौकरी</u>
[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

34. (क्र. 2220) श्री ब्यास कश्यप : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा विभागों में रिक्त पदों के 02 प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो वर्ष 2020 से 15.02.2026 तक उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में कुल कितनों को नियुक्ति दी गई? (ख) क्या यह सत्य है कि विगत लगभग 8 वर्षो से प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित नही किये गये हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? और कौन जिम्मेदार है? (ग) क्या '' राज्य अलंकरण समारोह'' पुनः प्रारंभ किया गया है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : [(क) जी हॉ। जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जी नहीं। दिनांक 17.05.2018 को 01 उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया है। 2018-19 एवं 2019-20 में जारी विज्ञापन के अनुवर्तन में उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषणा संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हॉ। प्रश्न का शेष भाग उपस्थित नहीं होता।**]** (क) जानकारी संलग्न **प्रपत्र** अनुसार । (ख) जी नहीं। दिनांक 17.05.2018 को 01 उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया है। 2018-19 एवं 2019-20 में जारी विज्ञापन के अनुवर्तन में उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषणा संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हॉ। प्रश्न का शेष भाग उपस्थित नहीं होता।
<u>परिशिष्ट - दस</u>

<u>राज्य में ग्रामों/शहरों और चौक तथा रास्तों के नामकरण एवं नाम परिवर्तन की प्रक्रिया</u>
[सामान्य प्रशासन]

35. (क्र. 2405) श्री अनुज शर्मा : क्या मुख्यमंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क)राज्य में ग्रामों/शहरों और चौक तथा रास्तों के नामकरण एवं नाम परिवर्तन की क्या प्रक्रिया है? (ख)दिसम्बर 2023 से दिनांक 31.01.2026 तक जिला - रायपुर में किन-किन स्थलों ,ग्रामों/शहरों एवं चौक,रास्तों के नामकरण या

नामपरिर्वन की कार्यवाही हुई?विवरण प्रदान करें? (ग)ग्रामों/शहरों के पूर्व में प्रचलित नामों के विरूपण होने के बाद पुनः प्राचीन नामकरण के लिये शासन द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : [(क) छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किये गये निर्देश तथा अनुदेश के भाग-4 के बिन्दु क्र. ''ढढ'' **(जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है)** में उल्लेखित ऐसे मामले, जो नगरों, ग्रामों, नदियों तथा रेल्वे स्टेशनों आदि के नाम परिवर्तन करने से संबंधित हो, भारसाधक मंत्री द्वारा विचार करने के पश्चात् संबंधित विभाग के सचिव द्वारा मुख्य सचिव के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी को समन्वय में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जाने के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सहमति/असहमति दी जाती है। तत्पश्चात् भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 130/53-पब्लिक दिनांक 11 सितंबर 1953 (जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है) एवं केन्द्रीय गृह मंत्री जी के पत्र क्रमांक 11/2/1993 एम. एण्ड जी दिनांक 19 फरवरी 1993 (जानकारी संलग्न प्रपत्र 'स' अनुसार है) में दिये गये निर्देशानुसार राज्य मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त कर, राज्य में ग्रामों/शहरों का नाम परिवर्तन हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किया जा कर राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने के निर्देश हैं। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) ग्रामों/शहरों के पूर्व में प्रचलित नामों के विरूपण होने के बाद पुनः प्राचीन नामकरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर उत्तरांश 'क' में उल्लेखित अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाती है।**]** (क) छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किये गये निर्देश तथा अनुदेश के भाग-4 के बिन्दु क्र. ''ढढ'' **(जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है)** में उल्लेखित ऐसे मामले, जो नगरों, ग्रामों, नदियों तथा रेल्वे स्टेशनों आदि के नाम परिवर्तन करने से संबंधित हो, भारसाधक मंत्री द्वारा विचार करने के पश्चात् संबंधित विभाग के सचिव द्वारा मुख्य सचिव के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी को समन्वय में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जाने के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सहमति/असहमति दी जाती है। तत्पश्चात् भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 130/53-पब्लिक दिनांक 11 सितंबर 1953 (जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है) एवं केन्द्रीय गृह मंत्री जी के पत्र क्रमांक 11/2/1993 एम. एण्ड जी दिनांक 19 फरवरी 1993 (जानकारी संलग्न प्रपत्र 'स' अनुसार है) में दिये गये निर्देशानुसार राज्य मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त कर, राज्य में ग्रामों/शहरों का नाम परिवर्तन हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किया जा कर राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने के निर्देश हैं। (ख) जानकारी 'निरंक' है। (ग) ग्रामों/शहरों के पूर्व में प्रचलित नामों के विरूपण होने के बाद पुनः प्राचीन नामकरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर उत्तरांश 'क' में उल्लेखित अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाती है।

<u>भारतमाला परियोजना में जांच व कार्यवाही की अद्यतन स्थिति</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

36. (क्र. 2431) श्री धरमलाल कौशिक : क्या राजस्व मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क)प्रदेश के क्षेत्रांतर्गत भारतमाला परियोजना में कब-कब, किसके द्वारा, किसके आदेश से जॉच कराई गई, जॉच प्रतिवेदन में क्या-क्या अनियमितता बताई गई व दोषी कौन-कौन पाया गया? प्रत्येक जॉच समिति में जांच के जॉच-प्रतिवेदन के संबंध में जानकारी/विवरण देवें। (ख)प्रश्नांश (क) अनुसार किन-किन अधिकारियों

द्वारा उक्त अनियमितताओं में अर्जित भूमि का पुनः मुआवजा, निजी भूमि का गलत मुआवजा, बैकडेट में बंटवारा व नामांतरण, भूमि स्वामी के बदले किसी अन्य को मुआवजा, निजी भूमि का गलत मुआवजा, उपखण्ड विभाजित व बटांकन कर मुआवजा देने की अनियमितता में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता की/स्वीकृति प्रदान की गई है व इनके विरूद्व क्या कार्यवाही की गई? पदनाम व नाम सहित जानकारी देवें। (ग)विगत 5 वर्षो में प्रश्नांश (क) परियोजनांतर्गत किन-किन खसरों के संबंध में क्या एवं किसकी शिकायत की गई तथा क्या इन शिकायतों पर जांच की गई, यदि नहीं, तो क्यों? खसरावार व शिकायतवार जानकारी देवें।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : [जानकारी एकत्र की जा रही है।**]** **(क)** भारत माला परियोजना में अनियमितता की जांच हेतु राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश दिनांक 18-03-2025 के अनुक्रम में आयुक्त, रायपुर संभाग द्वारा दिनांक 09-06-2026 एवं दिनांक 16-06-2026 को पांच समितियों को गठन कर जांच किया गया है, जिसका जांच प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** में है। दिनांक 02-03-2026 को पुनः एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी जांच प्रक्रियाधीन है। बिलासपुर संभागायुक्त द्वारा कलेक्टर, बिलासपुर के माध्यम से पत्र दिनांक 03-12-2025 के द्वारा जांच कराई गई, जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र -ब** में है। विभागीय आदेश दिनांक 18-03-2025 के अनुक्रम में आयुक्त, दुर्ग संभाग द्वारा पत्र दिनांक 26-03-2025 द्वारा कलेक्टर, जिला-दुर्ग एवं राजनांदगांव से जांच कराई गई। आयुक्त, बस्तर संभाग द्वारा पत्र दिनांक 21-03-2025 द्वारा संबंधित जिला-कलेक्टर से जांच कराई गई तथा आयुक्त, सरगुजा संभाग द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर से जांच कराई गई। इन तीनों (दुर्ग, सरगुजा एवं बस्तर) संभागों में अनियमितता नहीं पाई गयी। **(ख)** रायपुर संभाग अंतर्गत भू-अर्जन में मुआवजा निर्धारण एवं मुआवजा भुगतान में अनियमितता के संबंध जांच उपरांत निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई है :-

क्र.	**अधि. कर्मचारी का नाम**	**पदनाम**	**की गई कार्यवाही**
01	श्री निर्भय साहू	तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अभनपुर	निलंबित
02	श्री शशिकांत करे	तत्कालीन तहसीलदार, अभनपुर	निलंबित
03	श्री लखेश्वर प्रसाद किरण	तत्कालीन नायब तहसीलदार	निलंबित
04	श्री रोशनलाल वर्मा	तत्कालीन रा.नि. नायकबांधा	निलंबित

क्र.	अधि. कर्मचारी का नाम	पदनाम	की गई कार्यवाही
05	श्री दिनेश पटेल	तत्कालीन पटवारी, नायकबांधा	निलंबित
06	श्री जितेन्द्र साहू	तत्कालीन पटवारी, नायकबांधा	निलंबित
07	श्री लेखराम देवगन	तत्कालीन पटवारी, टोकरो	निलंबित
08	बसंती घृतलहरे	तत्कालीन पटवारी, मेलवाडीह	निलंबित
09	श्री आनंद कुमार निकोसे	तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग अभनपुर	निलंबित
10	श्री एस.पी. ठाकुर	अनुरेखक जल संसाधन विभाग, रायपुर	निलंबित

प्रकरण के संबंध में ई.ओ.डब्ल्यू (EOW) में अपराध क्रमांक 30/2025 धारा-7 (सी), 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, (यथा संशोधित) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 एवं 220, 467, 468, 471, 409, 120बी भा.द.वि. पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बिलासपुर संभाग अंतर्गत जिला बिलासपुर के प्रकरण की जांच में तत्कालीन हल्का पटवारी श्री सुरेश कुमार मिश्रा एवं तत्कालीन तहसीलदार श्री डी.एस. उईके के द्वारा अर्जित भूमि का गलत बंटवारा करने की अनियमितता पायी गई। प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। **(ग)** रायपुर संभाग में प्राप्त शिकायतों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र -अ** में है। शेष चार संभागों की जानकारी **निरंक** है।

<u>न्यू-स्वागत के विहार-कॉलोनी भूमि अधिग्रहण उपरांत नामांतरण, पुनः-आवंटन एवं पंजीयन</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

37. (क्र. 2492) श्री संदीप साहू : क्या राजस्व मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के संज्ञान में यह तथ्य है कि रायपुर की न्यू-स्वागत विहार-कॉलोनी को अवैध घोषित किए जाने के पश्चात भूमि का अधिग्रहण तो किया गया, परंतु अधिग्रहण उपरांत नामांतरण, पुनः-आवंटन एवं पंजीयन की कोई स्पष्ट प्रक्रिया वर्तमान अधिनियमों एवं नियमों में निर्धारित नहीं है? (ख) क्या यह सत्य है कि नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा छत्तीसगढ़ ग्राम-पंचायत (कॉलोनाइज़र का पंजीकरण) नियम, 1999 में विक्रय विलेख को शून्य घोषित किए जाने के पश्चात की कार्यवाही (नामांतरण, पंजीयन एवं आवंटन) के संबंध में स्पष्ट प्रावधानों का अभाव है? (ग) क्या भुंईया पोर्टल एवं ई-कोर्ट सॉफ्टवेयर में ऐसे प्रकरणों में नामांतरण हेतु

कोई तकनीकी विकल्प उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण प्रकरणों का ऑनलाइन निस्तारण बाधित है? (घ) क्या प्लॉट धारकों द्वारा पूर्व में अदा किए गए स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क के समायोजन अथवा छूट के संबंध में शासन द्वारा अब तक कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं? यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं? (ड) क्या रायपुर विकास प्राधिकरण के ले-आउट में सक्षम-अधिकारी के हस्ताक्षर के अभाव, नाला/मार्ग संबंधी तकनीकी त्रुटियों एवं ले-आउट संशोधन की स्थिति अभी तक अस्पष्ट बनी हुई है? क्या छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109–110 के अंतर्गत नामांतरण के प्रावधानों का पालन हो रहा है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : [जानकारी एकत्र की जा रही है।**]** (क) जीं हां। राज्य शासन के निर्णय दिनांक 26-09-2023 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1999 के अंतर्गत ग्राम बोरियाकला का रकबा क्रमश: 10.556 हेक्टेयर एवं रकबा 15.601 हेक्टेयर तथा ग्राम सेजबहार का रकबा 16.419 हेक्टेयर का प्रबंधन सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रायपुर) द्वारा अपने हाथों में लिया गया। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु नियमों एवं प्रक्रिया के संबंध में परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) परीक्षण किया जा रहा है। (ग) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109 एवं 110 में भूमि के वैध अंतरण के आधार पर नामांतरण किये जाने का प्रावधान है तथा ऑनलाईन भुंईया पोर्टल एवं ई-कोर्ट में भी उपरोक्त अंतरण के आधार पर नामांतरण करने का विकल्प उपलब्ध है। (घ) जी नहीं। (ड) ले-आउट के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत समुचित कार्यवाही की जावेगी।

<u>राज्य में भूमि खरीदी बिक्री के ऑटोमैटिक नामांतरण प्रक्रिया में हो रही अनियमितता</u>
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

38. (क्र. 2516) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या राजस्व मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2025 से लेकर 17 फरवरी, 2026 तक राज्य में भूमि की खरीदी-बिक्री के पश्चात हुए ऑटोमेटिक नामांतरण संबंधी प्रकरणों में विभिन्न प्रकार की शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो जिला-वार प्राप्त शिकायतों की संख्या का विवरण दें? (ख) क्या छोटे-बड़े झाड़ का जंगल, जलमग्न भूमि, चारागाह एवं घास मद जैसी शासकीय भूमि, पूर्व राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने के बावजूद वर्तमान अभिलेखों में अनुपस्थित होने के कारण उनकी रजिस्ट्री करने तथा तत्पश्चात ऑटोमेटिक नामांतरण भी कर दिया गया संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो ऐसे प्रकरणों की कुल संख्या, संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तथा अब तक की गई दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी दें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : [जानकारी एकत्रित की जा रही है। उत्तर प्राप्त होने पर पृथक से भेजा जावेगा।**]**(क) जी नहीं। राज्य में महासमुन्द जिले के उप पंजीयक कार्यालय सराईपाली में आटोमेटिक नामांतरण के संबंध में 02 शिकायत प्राप्त हुई है। शेष जिलों की जानकारी निरंक है। **प्रपत्र संलग्न।** (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - ग्यारह</u>

<u>ग्रामों का रिकार्ड दुरुस्तीकरण /बंदोबस्त</u>
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

39. (क्र. 2528) श्री सुशांत शुक्ला : क्या राजस्व मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में अंतिम बार रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण/ बंदोबस्त कब किया गया? उक्त कार्य संपूर्ण प्रदेश में किया गया था अथवा कुछ क्षेत्रों को छोड़ा गया था? यदि हां तो कारण बताएं? बंदोबस्त किए गये एवं नहीं किए गये क्षेत्रों की विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) क्या जिला बिलासपुर के गांवों के रिकॉर्ड में त्रुटि के कारण रजिस्ट्री /नामांतरण नहीं किये जाने अथवा खसरा रकबा का गलत नाम पर रिकार्ड में दर्ज होने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां तो कितनी-कितनी शिकायतें, कहां-कहां से प्राप्त हुई? तहसीलवार, ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश "ख" संबंधी त्रुटि सुधार हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां तो क्या-क्या कार्रवाई की गई? त्रुटि सुधार का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : [जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]** (क) प्रदेश में बंदोबस्त की कार्यवाही आजादी के पूर्व वर्ष 1920 के पश्चात प्रारंभ हुआ। विभिन्न जिलों में बंदोबस्त की कार्यवाही अलग-अलग समय में संपादित की गई थी। वर्तमान में कई जिलों में बंदोबस्त का कार्य प्रगतिरत है। छत्तीसगढ़ राज्य के कई सुदूरवर्ती वनांचलों में बंदोबस्त की कार्यवाही दुर्गम, नक्सल प्रभावित व पहुंचविहीन क्षेत्र होने से बंदोबस्त का कार्य नहीं किया जा सका। रिकार्ड दुरूस्तीकरण की कार्यवाही सतत् रूप से संपन्न की जा रही है। बंदोबस्त किये गये एवं नहीं किये गये क्षेत्रों की जिलेवार एवं सर्वेक्षित ग्रामों की तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) जिला बिलासपुर के राजस्व अभिलेखों में त्रुटि के कारण रजिस्ट्री/नामांतरण नहीं किये जाने अथवा खसरा-रकबा का गलत नाम पर रिकार्ड में दर्ज होने संबंधी शिकायतों की जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' अनुसार जानकारी निरंक है ।

<u>परिशिष्ट - बारह</u>

<u>खाद बीज एवं उर्वरक की आपूर्ति</u>
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

40. (क्र. 2647) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 15/02/2026 तक कौन-कौन से एवं कितनी-कितनी मात्रा में रासायनिक खाद/उर्वरक एवं बीज की मांग थी ? मांग के विरूद्ध कितनी-कितनी मात्रा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हुई ? उनमें से निजी संस्थाओं एव सरकारी संस्थाओं को किस अनुपात में देने का प्रावधान है और किस अनुपात में, कितनी-कितनी मात्रा में, किस दर पर निजी संस्थाओं को उपलब्ध कराया गया ? इन निजी संस्थाओं द्वारा किसानों को कितने मूल्यों पर विक्रय किया गया ? जानकारी अलग-अलग बतायें? (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार किसानों की मांग के अनुरूप कितनी-कितनी मात्रा में रासायनिक खाद/उर्वरक व बीज की कमी आयी एवं सहकारी संस्था को वितरण की गयी? रासायनिक खाद / उर्वरक एवं बीज को किसानों को कितनी-कितनी दरों पर विक्रय किया गया ? क्या कालाबाज़ारी, जमाखोरी एवं अनियमित वितरण पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।**]** (क) खरीफ वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में रासायनिक उर्वरकों की आंकलित मांग एवं केन्द्र सरकार द्वारा की गई आपूर्ति की वर्षवार मौसमबार, उर्वरकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** खरीफ मौसम के लिए कृषि विभाग द्वारा सहकारी एवं निजी क्षेत्र के लिए ऑकलित उर्वरक की मांग अनुसार सहकारी क्षेत्र में उर्वरक की आपूर्ति मार्कफेड द्वारा की जाती हैं। सहकारी समितियों में पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उर्वरक रेक की सामान्यतः 60 प्रतिशत मात्रा (आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई जाती है) मार्कफेड द्वारा भण्डारित की जाती है। वर्षवार-मौसमवार सहकारी एवं निजी क्षेत्र को उपलब्ध करायी गयी मात्रा एवं अनुपात की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार है।** उर्वरक कंपनी द्वारा निजी संस्थाओं को विक्रय किये गये उर्वरक की दर तथा निजी संस्थाओ के द्वारा किसानों को विक्रय किये गये उर्वरक की दर का वर्षवार, कंपनीवार, उर्वरकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** प्रश्नांकित अवधि में खरीफ मौसम की आंकलित बीज मांग एवं छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. (बीज निगम) द्वारा सहकारी समितियों तथा कृषि विभाग के विकासखण्ड स्तरीय कार्यालयों में की गई आपूर्ति की वर्षवार-मौसमवार, फसलवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।** बीज निगम अथवा राज्य सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र को बीज की आपूर्ति नहीं की जाती। (ख) प्रश्नाश 'क' की मांग के अनुरूप रासायनिक उर्वरक व बीज की कमी का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। निजी संस्थाओं एवं सहकारी समितियों से किसानों को विक्रय किये गये उर्वरक की दर कमशः **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब एवं द अनुसार है** तथा सहकारी समितियों/विभागीय कार्यालयों से किसानों को विक्रय/प्रदाय किये गये बीज की दर **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-इ अनुसार है।** जी हाँ. कालाबाजारी, जमाखोरी एवं अनियमित वितरण पर नियंत्रण के लिए विक्रय केन्द्रों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का वर्षवार-मौसमवार **विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ई अनुसार है।**

<u>जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में श्री सीमेंट और अन्य संयंत्रों के विस्तार को लेकर हुई जनसुनवाई</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

41. (क्र. 2727) श्री संदीप साहू : क्या राजस्व मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के प्रभावित गांवों जैसे खपराडीह, रिसदा और धनधनी में श्री सीमेंट और अन्य संयंत्रों के विस्तार को लेकर हुई जनसुनवाई में प्रभावित किसानों/ग्रामीणों ने बाजार मूल्य से कम मुआवजा, पुनर्वास एवं आजीविका के समुचित प्रावधान न होने तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता न दिए जाने संबंधी शिकायतें प्रस्तुत की हैं? (ख) उक्त जनसुनवाई में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों की कुल संख्या कितनी है? क्या इन पर विभाग द्वारा परीक्षण/जांच कराई गई है? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन की स्थिति क्या है? (ग) क्या रोजगार प्रदान करने के संबंध में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने की शर्तों का उल्लंघन किया गया है? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारियों/संयंत्र प्रबंधन के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित या की गई है? (घ) शासन द्वारा प्रभावित ग्रामों के लिए पुनर्वास, मुआवजा पुनर्निर्धारण एवं स्थानीय रोजगार सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : [जानकारी एकत्र की जा रही है।**]** (क) जी हां। जिला बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित मेसर्स एन.यू. विस्टा लिमिटेड (पूर्व नाम ईमामी सीमेंट लिमिटेड), ग्राम रिसदा एवं धनधनी, मेसर्स एन.यू. विस्टा लिमिटेड (पूर्व नाम ईमामी सीमेंट लिमिटेड), ग्राम ककरडीह एवं रिसदा एवं मेसर्स श्री रायपुर सीमेंट प्लांट (पूर्व नाम श्री सीमेंट लिमिटेड), ग्राम खपराडीह के क्षमता विस्तार परियोजनाओं की ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कराई गई लोकसुनवाई में किसानों/ग्रामीणों ने बाजार मूल्य से कम मुआवजा, पुनर्वास एवं आजीविका के समुचित प्रावधान न होने तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता न दिए जाने संबंधी आदि लिखित सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत किया है। (ख) ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् क्षमता विस्तार परियोजनाओं की छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कराये गये लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त किये गये लिखित सुझाव / आपत्ति की संख्या की जानकारी **संलग्न प्रपत्र के कालम 5 अनुसार** है। लोक सुनवाई के संबंध में प्राप्त सुझाव/आपत्ति को लोक सुनवाई के कार्यवाही विवरण सहित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मूलतः प्रेषित किया गया है। (ग) बलौदाबाजार-भाटापारा के प्रभावित गांवों जैसे खपरीडीह, रिसदा और ढनढनी में श्री सीमेंट एवं एन.यू. विस्टा लिमि. (इमामी सीमेंट लिमि.) स्थापित है। उपरोक्त सीमेंट संयंत्रों में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए उद्यम में राज्य के मूल निवासियों को तत्समय लागू उद्योग नीति में निहित प्रावधान के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया गया है। स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने की शर्तों का उलंघन नहीं किया गया है।(घ) ग्राम खपराडीह, रिसदा और ढनढनी में श्री सीमेंट, एन.यू. विस्ता सीमेंट कंपनी के द्वारा किसानों से आपसी सहमति से भूमि क्रय किया गया है, अतएव उक्त प्रभावित ग्रामों के लिए भूमि का मुआवजा पुनर्निर्धारण एवं पुनर्वास की कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

परिशिष्ट - तेरह

बीज निगम द्वारा किसानों को वितरित बीज का भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

42. (क्र. 2831) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में 15-02-2026 तक रबी और खरीफ सीजन में क्या बीज उत्पादक किसानों को उनके उत्पादों का भुगतान लंबित है? यदि लंबित है तो कितना? (ख) 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान बीज निगम में किसानों का पंजीयन एवं बीज उपार्जन (बीज निगम द्वारा) बढ़ा है अथवा घटा है? जानकारी दे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।**]** (क) विगत 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में 15.02.2026 तक रबी और खरीफ सीजन में उपार्जित बीजों का किसानों को भुगतान एवं लंबित राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में 15.02.2026 तक रबी और खरीफ सीजन में बीज निगम द्वारा पंजीयन एवं उपार्जन की **जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।**

परिशिष्ट - चौदह

शासकीय भूमि का पर्यटन/ धर्मस्व से लीज पर प्रदाय
[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

43. (क्र. 2850) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा : क्या पर्यटन मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में धर्मस्व विभाग के द्वारा किन-किन जिलों के पर्यटन स्थलों या सार्वजनिक स्थानों पर किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं/फ़र्म व निजी या सार्वजनिक सहकारी सोसायटियों को लीज पर भूमि दी गयी है? विवरण जिलेवार देवें? (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार उक्त भूमि स्थलों में कितने- कितने वर्षों के लिए किन-किन दरों पर कितनी-कितनी जमीनें शासन के द्वारा आवंटित की गयी है? जानकारी प्रदान करें? (ग) वर्ष 2025 में क्या कही शासकीय भूमि/लीज पर लिये जमीनों को पूर्णतः कब्जा/नामांतरण करने की शिकायतें मिली है? तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? बतावें?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है।(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]** (क) जानकारी निरंक है।(ख) जानकारी निरंक है।(ग) जानकारी निरंक है।

विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के किसानों को खाद, बीज एवं उर्वरक की आपूर्ति
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

44. (क्र. 2865) श्री बालेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के कृषकों द्वारा वर्ष 2024-25 से फरवरी, 2026 तक कौन-कौन से एवं कितनी-कितनी मात्रा में रासायनिक खाद, उर्वरक एवं बीज की मांग के विरूद्ध कितनी-कितनी मात्रा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हुई? उनमें से निजी संस्थाओं एवं सरकारी संस्थाओं को किस अनुपात में देने का प्रावधान है? किस अनुपात में कितनी-कितनी मात्रा में किस दर पर निजी संस्थाओं को उपलब्ध कराया गया? इन निजी संस्थाओं द्वारा किसानों को कितने मूल्यों पर विक्रय किया गया? जानकारी वर्षवार अलग-अलग बतावें? (ख) प्रश्नांक ''क'' किसानों की मांग के अनुरूप कितनी-कितनी मात्रा में रासायनिक खाद/उर्वरक व बीज की कमी आयी एवं सहकारी संस्था को वितरण की गयी? रासायनिक खाद/उर्वरक एवं बीज को किसानों को किस-किस दर पर विक्रय किया गया?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।**]** (क) विभाग द्वारा जानकारी का संधारण विधानसभा क्षेत्रवार नहीं अपितु विकासखण्डवार किया जाता है। विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर से संबद्ध विकासखण्ड जैजैपुर, मालखरौद एवं बम्हनीडीह हेतु वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में (28 फरवरी 2026 तक) रासायनिक उर्वरकों की आंकलित मांग एवं केन्द्र सरकार द्वारा की गई आपूर्ति की वर्षवार, विकासखण्डवार, उर्वरकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** खरीफ व रबी मौसम के लिए कृषि विभाग द्वारा सहकारी एवं निजी क्षेत्र के लिए आँकलित उर्वरक की मांग अनुसार सहकारी क्षेत्र में उर्वरक की आपूर्ति मार्कफेड द्वारा की जाती है। सहकारी समितियों में पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उर्वरक रेक की

सामान्यतः 60 प्रतिशत मात्रा (आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई जाती है) मार्कफेड द्वारा भण्डारित की जाती है। वर्षवार-मौसमवार सहकारी एवं निजी क्षेत्र को उपलब्ध करायी गयी मात्रा एवं अनुपात की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** उर्वरक कंपनी द्वारा निजी संस्थाओं को विक्रय किये गये उर्वरक की दर तथा निजी संस्थाओं के द्वारा किसानों को विक्रय किये गये उर्वरक की दर का वर्षवार, कंपनीवार, उर्वरकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।** छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. (बीज निगम) द्वारा बीजों का भंडारण सहकारी समितियों तथा कृषि विभाग के विकासखण्ड स्तरीय कार्यालयों में किया जाता है। बीज निगम अथवा राज्य सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र को बीज की आपूर्ति नहीं की जाती। प्रश्नांकित अवधि में खरीफ एवं रबी मौसम की आंकलित बीज मांग एवं बीज निगम द्वारा की गई आपूर्ति की वर्षवार, विकासखण्डवार, फसलवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश "क" की मांग के अनुरूप रासायनिक उर्वरक व बीज की कमी का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। निजी संस्थाओं एवं सहकारी समितियों से किसानों को विक्रय किये गये उर्वरक दर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द** तथा सहकारी समितियों/विभागीय कार्यालयों से किसानों को विक्रय/प्रदाय किये गये बीज दर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-इ एवं प्रपत्र-फ अनुसार है।**

प्रदेश में संचालित उद्योगों के द्वारा पर्यावरणीय नियम के उल्लंघन की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

45. (क्र. 2896) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वित्त मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग संचालित हैं ? जिलेवार उद्योगों की संख्या की जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश “क” के संचालित लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों के संचालन में क्या-क्या पर्यावरणीय नियम/ मापदंड निर्धारित हैं ? संचालित उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय नियम के पालन की जांच किन-किन बिंदुओं के आधार पर की जाती है? क्या वर्ष 2024 से फरवरी, 2026 तक बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, कोरबा एवं बलौदा बाजार जिला में संचालित उद्योगों की जांच की गई? यदि हां, तो जांच में क्या पाया गया? नियम विरुद्ध संचालित उद्योगों पर क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : [जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]** (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों के संचालन हेतु निम्नानुसार पर्यावरणीय नियम/मापदंड निर्धारित है:- (1) जल (प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत संचालन सम्मति प्राप्त किया जाना। (2) औद्योगिक एवं घरेलु दूषित जल के उपचार हेतु उपयुक्त दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना किया जाना। (3)उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप रखा जाना। (4) उपचारित दूषित जल का प्रक्रिया में पुनः चक्रीकरण/ उद्योग परिसर में पुनः उपयोग सुनिश्चित कर शून्य निस्सारण की स्थिति रखा जाना। (5) वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किया जाना। (6) चिमनी से प्रदूषकों का उत्सर्जन निर्धारित मानक के अनुरूप रखा जाना। (7) सम्मति शर्तो का पालन किया जाना। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उक्त मापदंडो के आधार पर उद्योगों की जाँच की जाती है। जी हाँ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - ब अनुसार** है।

कृषकों को दलहन तिलहन हेतु बीज वितरण
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

46. (क्र. 2898) श्री सुशांत शुक्ला : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 20 फरवरी, 2026 तक दलहन तिलहन की कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन से बीज कितने-कितने कृषकों को वितरित किए गये? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश “क” के वितरित बीज में से कितने कृषकों द्वारा बीज बोया गया? क्या राजस्व विभाग द्वारा इसकी गिरदावरी की गई एवं क्या राजस्व विभाग के गिरदावरी एवं कृषि विभाग के आंकड़ों का मिलान किया गया? यदि हां तो क्या पाया गया?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क)जानकारी संकलित की जा रही है। (ख)जानकारी संकलित की जा रही है।**]** (क) विभाग द्वारा जानकारी का संधारण विधानसभा क्षेत्रवार नहीं अपितु विकासखण्डवार किया जाता है। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से संबंद्ध विकासखण्ड बिल्हा एवं कोटा अंतर्गत वर्ष 2023-24 से फरवरी, 2026 तक दलहन तिलहन के कुल 521.88 क्विंटल बीज 3084 कृषकों को वितरित किये गये। विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश "क" के वितरित बीज में से सभी 3084 कृषकों द्वारा बीज बोया गया है। बोये गये बीज की गिरदावरी के संदर्भ में राजस्व विभाग (भू-अभिलेख) द्वारा अवगत कराया गया है की बीज वितरण के आधार पर गिरदावरी नहीं की जाती अपितु बोये गये फसलों की खसरावार गिरदावरी का कार्य किया जाता है, अतएव शेष जानकारी निरंक है।
<u>परिशिष्ट - पन्द्रह</u>

रायपुर ग्रामीण विधानसभा में स्थापित उद्योगों/संयंत्रों में प्रदूषण की रोकथाम हेतु उद्योगों में लगाये गये उपकरण
[आवास एवं पर्यावरण]

47. (क्र. 2904) श्री मोतीलाल साहू : क्या वित्त मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थापित कौन-कौन से उद्योगों/संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु कौन-कौन से विशेष यंत्र लगाये गए हैं तथा उससे प्रदूषण में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई ? उद्योगवार/संयंत्रवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) क्या प्रश्नांक ''क'' के संचालित उद्योगों में प्रदूषण की मात्रा को कम करने हेतु विभाग द्वारा उद्योगों में विशेष यंत्र लगाने हेतु अनिवार्य निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां तो प्रति उपलब्ध करावें ? (ग) प्रश्नांक ''क'' अंतर्गत संचालित उद्योगों का विगत तीन वर्षों में किस-किस स्तर के किन-किन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया ? निरीक्षण में कितने उद्योगों/संयंत्रों में निर्धारित पर्यावरणीय नियमों एवं विभागीय निर्देशों की अवहेलना पायी गई ? विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? वर्षवार, जानकारी उपलब्ध करावें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : [जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]**(क)रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वृहद / मध्यम श्रेणी उद्योग, जैसे ताप विद्युत संयंत्र, स्पंज आयरन, इण्डक्शन फर्नेस, रोलिंग मिल,

गैल्वेनाईजिंग एवं फेरो एलॉयज आदि इकाईयॉ स्थापित/संचालित हैं। उक्त इकाइयों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यकतानुसार ई.एस.पी./बैग फिल्टर/वेट स्क्रबर/ साइक्लोन सेप्रेटर स्थापित है। स्थापित किये जाने वाले ई.एस.पी. की दक्षता 99 से 99.99 प्रतिशत होती है, बैग हॉउस/बैग फिल्टर्स की दक्षता 96 से 99 प्रतिशत होती है। वेट स्क्रबर की दक्षता 80 से 90 प्रतिशत होती है। साइक्लोन सेप्रेटर की दक्षता 60 से 70 प्रतिशत होती है। तदानुसार स्थापित किये गये उपकरण के आधार पर वायु प्रदूषण में 60 प्रतिशत से 99.99 प्रतिशत की कमी होती है। उद्योगों में स्थापित प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर की उद्योगवार/संयंत्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - अ अनुसार** है।(ख)जी हॉ, प्रश्नांश क में उल्लेखित उद्योगों को वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर लागाये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति में शर्त दी गई है। जारी सम्मति की प्रति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - ब अनुसार** है। (ग)रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित वृहद/मध्यम उद्योगों का दिनांक 01.01.2023 से दिनांक 28.02.2026 तक की अवधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा किये गये निरीक्षण, पाई गई स्थिति एवं की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - स अनुसार** है।

कृषकों को कृषि उपकरण एवं ट्रैक्टर प्रदाय
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

48. (क्र. 2907) श्री मोतीलाल साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के कृषकों को किस योजना केे तहत कृषि उपकरण एवं ट्रैक्टर प्रदाय किया जाता है? उक्त योजना अंतर्गत कृषकों के चयन का मापदंड क्या-क्या है? (ख) उक्त योजनांतर्गत कृषकों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एवं अन्य कृषि सामग्री कितनी राशि में प्रदाय की जाती है ? उक्त सामग्री का बाजार मूल्य एवं सब्सिडी राशि सहित जानकारी प्रदाय करें ? (ग) उक्त कृषि उपकरण हेतु एजेंसी चयन की क्या प्रक्रिया है ? वर्तमान में जिला रायपुर एवं जिला-धमतरी हेतु चयनित एजेसियों की जिलेवार/उपकरण एवं सामग्रीवार जानकारी देवें ? (घ) जिला-रायपुर एवं धमतरी में वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 जनवारी, 2026 तक की स्थिति में कितने कृषकों को इस योजना के तहत ट्रैक्टर एवं हार्वेस्टर प्रदाय किया गया है ? विकासखंडवार कृषक के नाम व पता सहित जानकारी देवें ? (ड) उक्त योजनांतर्गत अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?यदि हां तो शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्रदान करें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) जानकारी संकलित की जा रही है (ख) जानकारी संकलित की जा रही है (ग) जानकारी संकलित की जा रही है (घ) जानकारी संकलित की जा रही है (ङ) जानकारी संकलित की जा रही है **]** (क) प्रदेश में कृषकों को विभागीय योजना 'कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना', 'राष्ट्री य बागवानी मिशन' एवं 'नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयल पॉम' के तहत ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें राज्य के सभी वर्ग और श्रेणी के कृषक पात्र हैं। चयन प्रक्रिया "प्रथम आवे, प्रथम पावे" के आधार पर होती है। उपरोक्त योजनाओं में कृषकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन को प्रथम आवे, प्रथम पावे के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। (ख) उपरोक्त योजनांतर्गत कृषकों को विभाग द्वारा यंत्र क्रय कर उपलब्ध नहीं कराया जाता, अपितु कृषक अपनी पसंद के पंजीकृत निर्माता/डीलर से यंत्र खरीदते हैं, जिस पर विभाग द्वारा योजना में निहित प्रावधान अनुसार

अनुदान दिया जाता है। उद्यानिकी विभाग द्वारा ट्रैक्टर (20HP तक) पर अधिकतम 2.00 लाख रुपये, पावर वीडर पर 70 हजार रुपये, और पावर टिलर पर 50 हजार रुपये तक का अनुदान देय है। कृषि विभाग द्वारा कृषकों को देय अनुदान का घटकवार, यंत्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। सामग्रियों के बाजार मूल्य की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। कृषि यंत्र उपकरणों के बाजार मूल्य संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- ब अनुसार** है। (ग) कृषि उपकरणों हेतु प्रदायकों का चयन चैम्प्स (CHAMPS) प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) प्रकाशित कर निर्माता कंपनियों और उनके राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर्स का पंजीयन राज्य स्तर पर किया जाता है। यह पंजीयन पूरे राज्य के लिए मान्य होता है, अतः रायपुर एवं धमतरी जिले के लिए अलग से एजेंसियों का चयन नहीं किया जाता। कृषक पंजीकृत प्रदायकों में से अपनी पसंद की एजेंसी का चुनाव स्वयं करते हैं। चयनित एजेंसियों की जिलेवार, उपकरणवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार** है। (घ) रायपुर एवं धमतरी जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 31 जनवरी, 2026 तक की स्थिति में कृषि विभाग की योजना के तहत कुल 23 कृषकों को ट्रैक्टर एवं हार्वेस्टर उपलबध कराया गया है। जिलेवार, विकासखंडवार कृषकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार** है। (ङ) जी हाँ, कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना के तहत वर्ष 2025-26 के ट्रैक्टर आवेदनों के संबंध में 14 मई, 2025 को ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों की जानकारी मिली है। इसके निवारण हेतु शासन के निर्देशानुसार पुराने आवेदनों को निरस्त कर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 09.10.2025 को पुनः नवीन आवेदन आमंत्रित किए गए। इस पूरी शिकायत और प्रक्रिया की विस्तृत जाँच वर्तमान में शासन द्वारा गठित समिति द्वारा प्रक्रियाधीन है।

Qjojh&ekpl] 2026 l= dk i'ukRRkjk lk lcf/kr ifjf'k"V

परिशिष्ट - एक

प्रश्न संख्या 3 (क्र. 503) की जानकारी

प्रपत्र -अ

03 फरवरी, 2026 तक एक भी बार दुर्गम/ग्रामीण/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थापना नहीं हुए राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की सूची

(गैर जिला, सेल एवं तकनीकी पदों को छोड़कर)

स.क्र.	अधिकारी का नाम	बैच	वर्तमान पदस्थापना
1	श्रीमती वर्षा मिश्रा	DD 2007	उप सेनानी 6वीं वाहिनी, छसबल, रायगढ़
2	श्रीमती सबा अंजुम	DD 2012	उप सेनानी प्रथम वाहिनी, छसबल, भिलाई
3	श्रीमती चंचल तिवारी	DD 2013	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज
4	श्रीमती गरिमा द्विवेदी उपाध्याय	DD 2013	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर
5	श्रीमती अनामिका जैन	DD 2014	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर
6	श्रीमती नीधि नाग	DD 2014	उप पुलिस अधीक्षक (विशा), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर
7	श्रीमती रश्मित कौर चावला	DD 2015	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (आईयूसीयूडब्ल्यू), बिलासपुर
8	सुश्री स्नेहिल साहू	DD 2015	एसडीओपी, सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़
9	सुश्री दीपिका मिंज	DD 2015	नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
10	श्रीमती कविता ठाकुर	DD 2016	सहायक सेनानी, 10वीं वाहिनी, छसबल, सूरजपुर
11	सुश्री नंदिनी	DD 2019	सहायक पुलिस आयुक्त, अजाक, पुलिस कमिस्नरेट, रायपुर (नगरीय)
12	श्री दिपेश सिंह बघेल	DD 2019	परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक, राज्य पुलिस अकादमी, चंदखुरी,
13	श्रीमती माया ओसवाल	INS-21	उप पुलिस अधीक्षक, मानवाधिकार आयोग, रायपुर
14	श्री फरहान कुरैशी	INS-21	उप पुलिस अधीक्षक, एसीबी/ईओडब्ल्यू, रायपुर
15	श्रीमती कौशिल्या साहू	INS-22	उप पुलिस अधीक्षक आईयूसीएडब्लयू, बेमेतरा
16	श्री आकाश चौधरी	DD-2024	परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर
17	सुश्री आस्था शर्मा	DD-2024	परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक, कोरबा
18	श्री दानेश्वर प्रसाद साहू	DD-2024	परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक, दुर्ग
19	श्री निशांत कुर्रे	DD-2024	परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक, अम्बिकापुर
20	श्री अजय कुमार नागवंशी	DD-2024	परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक, रायगढ़
21	श्री अमित कोशिमा	DD-2024	परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक, रायपुर
22	श्री किरण गुप्ता	INS-2025	उप पुलिस अधीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर
23	श्रीमती उषा सोंधिया	INS-2025	उप पुलिस अधीक्षक, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
24	श्रीमती स्नेहा गिरपूंजे	DD- 2025	परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक, राज्य पुलिस अकादमी, चंदखुरी,

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर

16/2/26

उप पुलिस अधीक्षक (प्रशासन)
पुलिस मुख्यालय
नवा रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट-ब

05 वर्षों से दुर्गम/नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पदस्थ राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की सूची

(गैर जिला बल एवं तकनीकी पदों को छोड़कर)

स.क्र.	अधिकारी का नाम	बैच	वर्तमान पदस्थापना
1	श्री अर्जुन कुमार कुर्रे	DD 2014	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, बस्तर
2	श्री कपिल चन्द्रा	DD 2014	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला-कोण्डागांव
3	श्री संजय ध्रुव	DD 2014	उप पुलिस अधीक्षक नक्सल आपरेशन, जिला-कबीरधाम
4	श्री घनश्याम कामड़े	DD 2015	एसडीओपी, भोपालनपट्नम, जिला-बीजापुर
5	श्री मोनिका सिंह परिहार	DD 2016	सहायक सेनानी, 17वी वाहिनी, छसबल, कबीरधाम
6	सुश्री आशारानी	DD 2017	एसडीओपी, खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई
7	श्री भूपत सिंह धनेश्री	DD 2017	एसडीओपी, पण्डरिया, जिला-कबीरधाम
8	सुश्री नेहा पवार	DD-2018	उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, जिला-मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
9	श्री तिलेश्वर प्रसाद यादव	DD-2018	एसडीओपी, आवापल्ली, जिला-बीजापुर
10	श्री विकाश टाकुर	INS 2018	उप पुलिस अधीक्षक, कैम्प कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, रेंज बस्तर
11	श्री काशी प्रसाद मरकाम	INS-2021	उप पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव
12	श्री सुशील मलिक	INS-2025	उप पुलिस अधीक्षक, बालक विरूद्ध अपराध शाखा, जिला- गरियाबंद

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
गृह विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर

उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन)
पुलिस मुख्यालय
नवा रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - दो

प्रश्न संख्या 4 (क्र. 527) की जानकारी

प्रपत्र

रायपुर जिले में 2024-2025 से लेकर दिनांक 30 जनवरी,2026 की स्थिति में कितने फार्म हाउसों पर अवैध गतिविधियों, शराबखोरी, रेव पार्टी की शिकायतों पर की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी :-

शिकायत का विवरण							की गई कार्यवाही				
क्र.	वर्ष	थाना	शिकायत प्राप्ति का दिनांक	फार्म हाउस में अवैध गतिविधियो का संक्षिप्त विवरण	फार्म हाउस का नाम/पूरा पता	संचालक का नाम/पूरा पता	अप.क्र.	धारा	कायमी दिनांक	गिरफ्तार आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2024	विधानसभा	25.04.2024	दिनांक घटना समय व स्थान को आरोपीगण द्वारा अवैध रूप से हुक्का पिलाते पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।	श्रीराम फार्म हाउस पिरदा	संजय गुप्ता पता श्रीराम फार्म हाउस पिरदा थाना विधानसभा रायपुर	244/24	21(1) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003	25.04.24	1. राजेन्दर कुमार कोली पिता रमेश कुमार कोली उम्र 28 साल पता समलाईट कालोनी हरीनगर दिल्ली 2. सेम्यूल मसीह पिता विनोद मसीह उम्र 21 साल पता जशनीकल थाना सकरोली जिला एटा (उत्तर प्रदेश) 3. नईम सैफी पिता हनीफ सैफी उम्र 20 साल पता लाईउद्दीन थाना प्रतापदुर जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश)	03/ 25.04.24
2	2024	विधानसभा	03.09.2024	दिनांक घटना समय को आरोपी द्वारा अवैध रूप से हुक्का परोसते हुए पकड़े जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।	सतपाल फार्म हाउस पिरदा	सतपाल सिंह पता सतपाल फार्म हाउस पिरदा थाना विधानसभा रायपुर	496/24	21 (1) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003	03.09.24	1. अरशद अली उर्फ मोन्टी पिता मन्जुर अली उम्र 24 साल पता इदगाह भाठा वार्ड न. 59 कब्रिस्तान के सामने थाना आजाद चौक जिला रायपुर	03.09.24
3	2024	विधानसभा	15.11.2024	दिनांक घटना समय को आरोपीगण अवैध रूप से हुक्का पीते पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।	सतपाल फार्म हाउस पिरदा	सतपाल सिंह पता सतपाल फार्म हाउस पिरदा थाना विधानसभा रायपुर	698/24	21(1) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003	15.11.24	1. शेखर याशर पिता शेख नवाबुद्दीन उम्र 29 साल 2. शोएब आलम पिता अली हैदर उम्र 29 साल पता दुर्गा नगर भगत सिंह चौक रायपुर 3. मनु शर्मा पिता ओमप्रकाश शर्मा उम्र 24 साल पता गायत्री नगर थाना खम्हारडीह जिला रायपुर 4. श्रेष्ठ शर्मा पिता स्व. अजय उम्र 24 साल पता सुन्दर नगर जिला रायपुर 5. अनमोल जदवानी पिता दिलीप जदवानी उम्र 24 साल पता राजवन के पीछे सिविल लाईन 6. विनेश लालवानी पिता देवपाल उम्र 29 साल पता अवंति बिहार थाना खम्हारडीह 7. संजय महानंद पिता अर्जुना महानंद उम्र 39 साल पता थाना टिकरापारा जिला रायपुर	07/ 15.11.24

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

शिकायत का विवरण							की गई कार्यवाही				
क्र.	वर्ष	थाना	शिकायत प्राप्ति का दिनांक	फार्म हाउस में अवैध गतिविधियो का संक्षिप्त विवरण	फार्म हाउस का नाम/पूरा पता	संचालक का नाम/पूरा पता	अप.क्र.	धारा	कायमी दिनांक	गिरफ्तार आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2025	तेलीबांधा	07.05.2025	दिनांक घटना समय को आदित्य फार्म हाउस में पार्टी में लोगों को अवैध रूप से हुक्का पिलाते पाये जाने पर संचालक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।	आदित्य फार्म हाउस फुण्डहर व्ही.आई.पी. रोड	आकाश सारथी पिता नारद सारथी उम्र 31 वर्ष साकिन आमापारा थाना आजाद चौक	266/25	4,21(1) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003	07.05.25	1. विकास सिंह बरोई पिता स्व. सुरेश सिंह उम्र 42 वर्ष सा. 227/से आर.बी. सी. रोड कलकत्ता 2. आकाश सारथी पिता नारद सारथी उम्र 31 वर्ष साकिन आमापारा थाना आजाद चौक	02/ 07.05.25 19.05.25
5	2025	तेलीबांधा	15.09.2025	दिनांक घटना समय को आरोपी द्वारा अवैध रूप से हुक्का उपलब्ध कराकर लोगों को हुक्का पिलाते हुए पाये जाने पर संचालक/मैनेजर के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।	आदित्य फार्म हाउस फुण्डहर व्ही.आई.पी. रोड	आकाश सारथी पिता नारद सारथी उम्र 31 वर्ष साकिन आमापारा थाना आजाद चौक	594/25	4,21(1) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003	15.09.25	1. हरनित सिंह चावला पिता सतनाम सिंह चावला उम्र 38 वर्ष साकिन श्याम नगर जल विहार कालोनी रायपुर	15.09.25
6	2025	विधानसभा	18.12.2025	हुल्लड़ कर गुण्डागर्दी करने की सूचना।	जेडी फार्म हाउस ग्राम पिरदा	अमन दुलानी पिता निर्मल दुलानी उम्र 29 वर्ष साकिन डॉल्फीन प्लाजा दलदल सिवनी थाना पण्डरी रायपुर	**प्रतिबंधात्मक कार्यवाही :-** दिनांक 18.12.25 को फार्म हाउस में हुल्लड़ कर गुण्डागर्दी की सूचना पर से फार्म हाउस के संचालक, 15 पुरूषों एवं 07 महिलाओं के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन न्यायालय पेश किया गया है।				

ifjf'k"V&rhu

i'u l[;k 5 ¼Ø-&601½ dh tkudkjh

प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2025–26 तक महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड डिलिट होने, वर्क कोड जनरेट नहीं होने या अन्य कारणों से प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, पीएम जनमन एवं मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त राशि जारी नहीं हुए हितग्राहियों की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड डिलिट होने के कारण								महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वर्क कोड जनरेट नहीं होने के कारण								महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत अन्य कारणों से							
		प्रथम किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	द्वितीय किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	तृतीय किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	चतुर्थ किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	प्रथम किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	द्वितीय किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	तृतीय किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	चतुर्थ किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	प्रथम किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	द्वितीय किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	तृतीय किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	चतुर्थ किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण																									
1	बालोद	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	बलौदाबाजार	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	बलरामपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	55	13.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	बस्तर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	435	108.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	बेमेतरा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	3.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	बीजापुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	बिलासपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	दंतेवाड़ा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	395	156.95	292	157.30	16	7.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	धमतरी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	54	9.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	दुर्ग	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	91	22.75	0	0.00
11	गरियाबंद	0	0.00	0	0.00	30	7.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	78	19.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	0	0.00	0	0.00	216	54.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	233	58.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	1.50	0	0.00
13	जांजगीर–चाम्पा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	56	13.90	0	0.00
14	जशपुर	0	0.00	0	0.00	429	107.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15	कांकेर	3	1.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1.20	0	0.00	43	10.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16	कबीरधाम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	7	2.80	6	3.30	8	2.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	2.75	0	0.00	150	60.00	37	20.35	53	13.25	1	0.15
18	कोण्डागांव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	कोरबा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	624	156.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्र.	जिला का नाम	महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड डिलिट होने के कारण								महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वर्क कोड जनरेट नहीं होने के कारण								महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत अन्य कारणों से							
		प्रथम किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	द्वितीय किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	तृतीय किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	चतुर्थ किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	प्रथम किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	द्वितीय किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	तृतीय किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	चतुर्थ किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	प्रथम किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	द्वितीय किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	तृतीय किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	चतुर्थ किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	कोरिया	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	135	33.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	महासमुंद	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरि–भरतपुर	0	0.00	0	0.00	2	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.50	0	0.00
23	मोहेला–मानपुर–अं. चौकी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	60	15.00	0	0.00
24	मुंगेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	286	71.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25	नारायणपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	141	56.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00
26	रायगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	190	47.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
27	रायपुर	0	0.00	0	0.00	359	89.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
28	राजनांदगांव	0	0.00	0	0.00	34	8.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	55	13.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	48	12.00	0	0.00
29	सक्ती	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	153	84.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30	सारगढ़–बिलाईगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
31	सुकमा	0	0.00	0	0.00	18	4.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	31	7.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
32	सूरजपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
33	सरगुजा	0	0.00	0	0.00	252	63.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	योग	**10**	**4.00**	**6**	**3.30**	**1348**	**337.00**	**0**	**0.00**	**398**	**158.15**	**292**	**157.30**	**2413**	**648.08**	**0**	**0.00**	**291**	**116.40**	**37**	**20.35**	**316**	**78.40**	**1**	**0.15**
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन)																									
1	बलौदाबाजार	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	बलरामपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12	2.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	बिलासपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	धमतरी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	गरियाबंद	0	0.00	0	0.00	18	14.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	6.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	जशपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	57	11.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	कांकेर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्र.	जिला का नाम	महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड डिलिट होने के कारण								महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वर्क कोड जनरेट नहीं होने के कारण								महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत अन्य कारणों से							
		प्रथम किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	द्वितीय किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	तृतीय किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	चतुर्थ किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	प्रथम किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	द्वितीय किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	तृतीय किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	चतुर्थ किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	प्रथम किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	द्वितीय किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	तृतीय किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)	चतुर्थ किश्त जारी नहीं हुए हितग्राहियों की संख्या	राशि रूपये (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	कबीरधाम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	0	0.00	0	0.00	1	0.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	1.60	1	0.60	0	0.00	6	1.20
11	कोण्डागांव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	कोरबा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	कोरिया	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14	महासमुंद	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरि–भरतपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16	मुंगेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	नारायणपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	रायगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	सरगुजा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	योग	0	0.00	0	0.00	19	15.20	58	11.60	0	0.00	0	0.00	8	6.40	16	3.20	4	1.60	1	0.60	0	0.00	6	1.20
मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण																									
निरंक																									

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
...ी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - चार

प्रश्न संख्या 8 (क्र. 721) की जानकारी

प्रपत्र – 'अ'

आत्मसमर्पित ईनामी नक्सली को भुगतान की गई ईनामी राशि

स.क्र.	नाम व पता	अनुशंसित ईनाम राशि	भुगतान राशि	राशि भुगतान दिनांक
1.	भीमा माड़वी पिता देवा माड़वी, निवासी ग्राम पटेलपारा कोमटपल्ली, थाना तर्रेम, जिला बीजापुर छ.ग.	02 लाख रूपये	02 लाख रूपये	04.10.2024
2.	कोसा उर्फ मासा उर्फ बुधरा माड़वी पिता स्व. हुर्रा माड़वी उम्र 39 वर्ष जाति मुरिया ग्राम गच्चनपल्ली बड़ेपारा थाना भेजी जिला सुकमा	03 लाख रूपये	03 लाख रूपये	12.08.2025

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
गृह (सी) शाखा
मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर

प्रपत्र "ब"

आत्मसमर्पित ईनामी नक्सलियों को ईनामी राशि भुगतान हेतु अनुशंसित प्रकरणों की जानकारी

क्र.	जिला	आत्मसमर्पित नक्सली	अनुशंसित ईनाम राशि	भुगतान राशि
		01.04.2023 से 31.03.2024 तक		
1.	बीजापुर	हरिश पदम उर्फ पोज्जा पिता स्व. बुधरू पदम उम्र 21 वर्ष जाति मुरिया साकिन पटेलपारा कोरसागुडा थाना बासागुड़ा जिला बीजापुर	02 लाख	प्रक्रियाधीन
2.	बीजापुर	लच्छू फरसा पिता स्व. लखमू फरसा उम्र 27 वर्ष जाति साकिन आदवाड़ा थाना जांगला जिला बीजापुर	05 लाख	प्रक्रियाधीन
3.	कांकेर	चंदन दर्रो उर्फ जीवन पिता स्व. लमक्ष्ण दर्रो उम्र 39 वर्ष जाति गोंड़ निवासी आलपरस थाना कोयलीबेड़ा जिला कांकेर	02 लाख	प्रक्रियाधीन
4.	कांकेर	धन्नु पद्दा पिता करवे पद्दा उम्र 22 वर्ष जाति गोड़ साकिन मुरसुलनापा थाना नारायणपुर	01 लाख	प्रक्रियाधीन
5.	नारायणपुर	अनथ उर्फ जयलाल कवाची पिता टूरलू कवाची निवासी कंदाड़ी थाना कोहकामेटा जिला नारायणपुर	05 लाख	प्रक्रियाधीन
		01.04.2024 से 31.03.2025 तक		
6.	सुकमा	कमलू प्रकाश उर्फ सन्नू (संगठन का नाम प्रकाश) पिता स्व. कमलू बुधरू उम्र लगभग 28 वर्ष जाति मुरिया निवासी बेनपल्ली टेकापारा थाना जगरगुडा जिला सुकमा	08 लाख	प्रक्रियाधीन
7.	सुकमा	कवासी मुडा पिता कवासी मादे उम्र 27 वर्ष जाति मुरिया निवासी आउटपल्ली थाना बासागुडा जिला बीजापुर	05 लाख	प्रक्रियाधीन
8.	सुकमा	सोडी गजेन्द्र उर्फ हड़मा पिता स्व. सोडी हुगां उम्र 25 वर्ष जाति मुरिया निवासी ग्राम बीराभट्टी थाना भेजी जिला सुकमा	05 लाख	प्रक्रियाधीन
9.	सुकमा	पेड़कम नागेश उर्फ एर्रा पिता पेड़कम एंका उम्र लगभग 38 वर्ष जाति मुरिया निवासी मंगलगुड़ा थाना किस्टाराम जिला सुकमा	08 लाख	प्रक्रियाधीन
10.	सुकमा	जयक्का उर्फ कोरसा आयते पिता कोरसा बुधरू उम्र लगभग 51 वर्ष जाति मुरिया निवासी पदेड़ा गायतापारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर	05 लाख	प्रक्रियाधीन
11.	नारायणपुर	सोनवा उर्फ डोसेल सलाम पिता बांडाराम उम्र 45 वर्ष जाति माड़िया साकिन ऐनमेटा थाना नारायणपुर जिला नारायणपुर	05 लाख	प्रक्रियाधीन
12.	कांकेर	लखमी पद्दा उर्फ जगोन्तीन पिता मंगलू पद्दा उम्र 20 वर्ष साकिन डोमांज थाना ओरछा जिला नारायणपुर	01 लाख	प्रक्रियाधीन
13.	कांकेर	सागर उर्फ गंगा दिड़दो पिता नंदा दिड़दो उम्र 25 वर्ष जाति गोंड़ साकिन वेरूम पंचायत पालेम थाना जिला सुकमा	01 लाख	प्रक्रियाधीन
14.	कांकेर	सुरजन्ना उर्फ सीताय कोर्राम उम्र 35 वर्ष जाति गोंड़ साकिन कोसलनार पंचायत कोगेंरा थाना धौड़ाई जिला नारायणपुर	05 लाख	प्रक्रियाधीन
15.	कांकेर	अंजू उर्फ सरिता शोरी पिता सोनाराम शोरी उम्र 26 वर्ष साकिन सुरेली थाना अंतागढ़ जिला कांकेर	01 लाख	प्रक्रियाधीन
16.	धमतरी	टिकेश वट्टी पिता पतिराम वट्टी उम्र 38 वर्ष ग्राम एकावरी थाना बोरई जिला धमतरी	05 लाख	प्रक्रियाधीन

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
गृह (सी) शाखा
मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर

	धमतरी	अजय उर्फ अघन सिंह (नुरेटी) मंडावी पिता फागूराम (नुरेटी) मंडावी उम्र 38 वर्ष ग्राम नेलसोड़ थाना सिकसोड़ जिला कांकेर	05 लाख	प्रक्रियाधीन
18.	धमतरी	प्रमिला उर्फ गणेशी नेताम पिता स्व.सोनू राम उम्र 32 वर्ष ग्राम गोना थाना सोभा जिला गरियाबंद	05 लाख	प्रक्रियाधीन
19.	नारायणपुर	कोसी उर्फ काजल उर्फ कविता पति रंजीत लेकामी उम्र 28 वर्ष जाति मुरिया साकिन डोडी तुमनार	02 लाख	प्रक्रियाधीन
20.	नारायणपुर	मैनू कोर्राम उर्फ हेमलाल कोर्राम पिता स्व.सुक्कु कोर्राम कौशलनार पंचायत कोगेरा थाना झाराघाटी जिला नारायणपुर	05 लाख	प्रक्रियाधीन
21.	नारायणपुर	अर्जुन उर्फ रंजीत लेकामी स्व.सुक्कु लेकामी जाति मुरिया उम्र 30 वर्ष ग्राम हुगा थाना बंगापाल नेलसनार जिला बीजापुर	03 लाख	प्रक्रियाधीन
22.	नारायणपुर	ताती गांधी उर्फ कमलेश उर्फ अरब पिता स्व. पाण्डू उम्र 35 वर्ष जाति मुरिया ग्राम कोरसागुडा थाना बासागुडा जिला बीजापुर	08 लाख	प्रक्रियाधीन
23.	बीजापुर	सामबती मड़कम पिता सुक्कू मड़कम उम्र 23 वर्ष जाति मुरिया साकिन मदपाल बटगुडेम थाना मिरतुर जिला बीजापुर	1 लाख	प्रक्रियाधीन
24.	बीजापुर	कु0 सुशीला उर्फ बुज्जी उर्फ विमला उर्फ विमला पिता लक्खू हेमला, उम्र 21 वर्ष, जाति-मुरिया, साकिन सावनार गुण्डापारा, थाना-गंगालूर, जिला-बीजापुर।	05 लाख	प्रक्रियाधीन
25.	बीजापुर	रमेश हेमला उर्फ मुन्ना हेमला पिता स्व. सुल्ले हेमला उम्र 42 वर्ष, जाति-मुरिया, साकिन-फुलादी स्कूलपारा, थाना-जांगला, जिला-बीजापुर।	5 लाख	प्रक्रियाधीन
26.	बीजापुर	मिटकी ककेम उर्फ सरिता ककेम पिता सन्नू उर्फ छन्नू ककेम उम्र 35 वर्ष, जाति-मुरिया, साकिन-तड़केल लोहरपारा, थाना-मिरतुर, जिला-बीजापुर।	08 लाख	प्रक्रियाधीन
27.	बीजापुर	सीनू पदम उर्फ चिन्ना पिता आयतू पदम उम्र 28 वर्ष, जाति-मुरिया, साकिन कोरसागुड़ा पदमपारा, थाना-बासागुड़ा, जिला-बीजापुर।	08 लाख	प्रक्रियाधीन
28.	सुकमा	रनसाय उर्फ मनोज उर्फ ओयाम बुस्का पिता स्व. कोसा उम्र लगभग 34 वर्ष जाति मुरिया निवासी जोन्नागुड़ा पटेलपारा थाना जगरगुण्डा वर्तमान निवासी बेदरे पटेलपारा जगरगुण्डा जिला सुकमा	08 लाख	प्रक्रियाधीन
29.	सुकमा	कवासी सोना पिता मूडा उम्र लगभग 30 वर्ष जाति मुरिया निवासी सल्लातोंगा थाना किस्टाराम जिला सुकमा	05 लाख	प्रक्रियाधीन
30.	सुकमा	सोड़ी सोमड़ी उर्फ मंजूला पिता स्व.सोड़ी हुंगा उम्र लगभग 32 वर्ष निवासी करीगुण्ड्म बड़ेपारा थाना चिंतागुफा जिला सुकमा	05 लाख	प्रक्रियाधीन
		01.04.2025 से 09.02.2026 तक		
31.	मोहला-मानपुर अं.चौकी	पवन तुलावी उर्फ सोमलाल पिता मंलिंगसाय तुलावी उम्र 37 वर्ष निवासी स्कूल पारा दोरदे थाना मदनवाड़ा जिला मोहला मानपुर	05 लाख	प्रक्रियाधीन
32.	मोहला-मानपुर अं.चौकी	पायके ओयम पति पवन तुलावी उम्र 27 वर्ष निवासी ताडबल्ला थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर	01 लाख	प्रक्रियाधीन
33.	मोहला-मानपुर अं.चौकी	रूपेश मंडावी उर्फ सुकदेव उम्र 34 वर्ष जाति गोड पिता मनकेर मंडावी निवासी कोपाटोला ग्रांम मुंजाल थाना मदनवाडा जिला मोहला मानपुर अं. चौकी	05 लाख	प्रक्रियाधीन
34.	गरियाबंद	दिलीप उर्फ संतु पिता स्व. धनसिंग उइके उम्र लगभग 30 वर्ष ग्राम केसकोडी थाना कोयलीबेडा जिला कांकेर	05 लाख	प्रक्रियाधीन
35.	गरियाबंद	मंजुला उर्फ लखमी पिता सुकडा मुचाकी उम्र लगभग 25 वर्ष ग्राम गोदीगुडा थाना गोलापल्ली जिला सुकमा	05 लाख	प्रक्रियाधीन
36.	सुकमा	पवन उर्फ कमलू हेमला पिता सुक्कू उम्र लगभग 35 वर्ष जाति मुरिया निवासी सावनार मूकापारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर	05 लाख	प्रक्रियाधीन

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
गृह (सी) शाखा

	सुकमा	कमला उर्फ बण्डी दुधी पिता स्व. दूधी कोसा (पति पवन उर्फ कमलू हेमला) उम्र 32 वर्ष जति मुरिया निवासी पामलूर थाना किस्टाराम जिला सुकमा	05 लाख	प्रक्रियाधीन
38.	सुकमा	माड़वी सुशीला पिता माड़वी बाबूराव उम्र लगभग 26 वर्ष जाति मुरिया निवासी ग्राम बडेकेडवाल थाना चितांगुफा सुकमा	05 लाख	प्रक्रियाधीन
39.	सुकमा	बण्डू उर्फ बण्डी सोड़ी पिता स्व. मंगडू उम्र 27 वर्ष जाति मुरिया निवासी आमापेंटा थाना किस्टाराम सुकमा	03 लाख	प्रक्रियाधीन
40.	सुकमा	कुंजाम रोशन उर्फ महादेव पिता जोगा उम्र लगभग 18 वर्ष जाति मुरिया निवासी भण्डारपदर थाना भेज्जी सुकमा	02 लाख	प्रक्रियाधीन
41.	सुकमा	दशरू उर्फ कोटेश सोड़ी पिता लच्छा उम्र लगभग 28 वर्ष जाति मुरिया निवासी बुर्कलंका थाना किस्टराम जिला सुकमा	02 लाख	प्रक्रियाधीन
42.	काकेर	जमुना उर्फ नीरा नेताम पिता स्व.धनीराम नेताम उम्र 50 वर्ष जाति गोड़ साकिन एन्हूर थाना दुर्गकोदल जिला कांकेर	05 लाख	प्रक्रियाधीन
43.	कांकेर	ममता उर्फ शांता उर्फ ममतक्का उर्फ बसंता बत्तलै पिता स्व.लच्छैया बत्तुलै पति स्व.रामा रेड्डी पासूला उम्र 60 वर्ष जाति मालम साकिन सिरकोण्डा थाना मैट्टीपल्ली मंडल कथलापुर जिला करीमनगर (आं0प्र0)	08 लाख	प्रक्रियाधीन
44.	कांकेर	संजय नरेटी पिता रूपसिंह नरेटी उम्र 23 वर्ष जाति गोड़ साकिन ग्राम नेलसोड़ थाना सिकसोड़ जिला कांकेर	01 लाख	प्रक्रियाधीन
45.	कांकेर	ईतवारिन पद्दा पति तीजू उर्फ सोमा कोरसा पिता रैनू राम पद्दा उम्र 26 वर्ष जाति गोड़ साकिन कृगालमस्पी थाना परतापुर जिला कांकेर	01 लाख	प्रक्रियाधीन
46.	कांकेर	दिनेश मट्टामी उम्र 18 वर्ष जाति गोड़ साकिन ग्राम टेकामेटा थाना छोटेबेठिया जिला कांकेर	08 लाख	प्रक्रियाधीन
47.	कांकेर	तीजू उर्फ सोमा कोरसा उम्र 35 वर्ष जाति गोड़ साकिन बट्टेकाल पंचायत आदनार थाना परतापुर जिला कांकेर	08 लाख	प्रक्रियाधीन
48.	कांकेर	सगनू राम आंचला पिता स्व.मेहतुराम आंचला उम्र 24 वर्ष जाति गोड़ साकिन ग्राम आलपरस थाना कोयलीबेडा जिला कांकेर	01 लाख	प्रक्रियाधीन
49.	कोण्डागांव	लक्ष्मण कोर्राम जुन्नू पिता आयतु कोर्राम उर्म कुमटी उम्र 30 वर्ष साकिन कोटमेटा थाना पुगारपाल	08 लाख	प्रक्रियाधीन
50.	कोण्डागांव	मड्डो उर्फ जरीना उम्र करीबन 25 वर्ष साकिन ग्राम ढंकापरा थाना कोडेनार जिला बस्तर	05 लाख	प्रक्रियाधीन
51.	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	कमला सोडी उर्फ उंगी उर्फ तरूणा उम्र 30 साल सकिन ग्राम अरलम पल्ली तह0 कोटा0 थाना पोलमपल्ली जिला सुकमा	02 लाख	प्रक्रियाधीन
52.	दन्तेवाड़ा	गंगा उर्फ लोकेश उर्फ बरूम मुचाकी पिता स्व0 हड़मा मुचाकी उम्र लगभग 30 वर्ष जाति मुरिया निवासी चिकपाल जंगलपारा थाना कटेकल्याण जिला दन्तेवाड़ा	05 लाख	प्रक्रियाधीन
53.	दन्तेवाड़ा	गंगी मुचाकी पिता स्व0 गंगा मुचाकी उम्र 34 वर्ष जाति मुरिया निवासी पुसगुन्ना दुनमपारा थाना कूकानार जिला सुकमा	01 लाख	प्रक्रियाधीन
54.	दन्तेवाड़ा	भीमा कुंजाम पिता कोसा कुंजाम उम्र लगभग 27 वर्ष जाति मुरिया निवासी अरनपुर बण्डीपारा थाना अरनपुर जिला दन्तेवाड़ा।	01 लाख	प्रक्रियाधीन
55.	दन्तेवाड़ा	उमेश उर्फ भीमा हेमला (कश्यप) पिता आप्पू कश्यप उम्र 35 वर्ष जाति मुरिया निवासी ककाड़ी स्कूलपारा थाना अरनपुर जिला दन्तेवाड़ा	01 लाख	प्रक्रियाधीन
56.	दन्तेवाड़ा	चैतु डोडी पिता स्व. सुक्कू डोडी उम्र लगभग 25 वर्ष जाति मुरिया निवासी कोत्तागुडा थाना बासगुडा जिला बीजापुर	08 लाख	प्रक्रियाधीन
57.	दन्तेवाड़ा	माड़वी मुया पिता माड़वी केशा उम्र लगभग 26 वर्ष जाति मुरिया निवासी ग्राम पीलावाया थाना कोन्टा जिला सुकमा	01 लाख	प्रक्रियाधीन

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

	दन्तेवाड़ा	हरेन्द्र उर्फ हुर्रा कुंजाम पिता भीमा कुंजाम उम्र लगभग 21 वर्ष जाति मुरिया निवासी मुदवेण्डी नड़मापारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर	03 लाख	प्रक्रियाधीन
59.	दन्तेवाड़ा	श्रीमती मासे मड़काम पिता स्व0 हड़मा पोडियाम उम्र 41 वर्ष जाति मुरिया निवासी मुनगा स्कूलपारा कटेकल्याण जिला दन्तेवाड़ा।	01 लाख	प्रक्रियाधीन
60.	दन्तेवाड़ा	भीमा उर्फ पवन माड़वी पिता मल्ला माड़वी उम्र लगभग 28 वर्ष जाति मुरिया निवासी तनेली पटेलपारा थाना अरनपुर जिला दन्तेवाड़ा	01 लाख	प्रक्रियाधीन
61.	दन्तेवाड़ा	श्रीमती विमला मड़काम पति भीमा उर्फ पवन माड़वी उम्र लगभग 25 वर्ष जाति मुरिया निवासी तनेली पटेलपारा थाना अरनपुर जिला दन्तेवाडा	02 लाख	प्रक्रियाधीन
62.	दन्तेवाड़ा	हुंगा तामो उर्फ तामो सुर्या पिता स्व0 जोगा तामो उम्र लगभग 37 वर्ष जाति मुरिया निवासी विक्रमपल्ली उईकापारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा	08 लाख	प्रक्रियाधीन
63.	दन्तेवाड़ा	माड़वी आयते पति नुप्पो भीमा उम्र लगभग 38 वर्ष जाति मुरिया निवासी माल्ले थाना अच्चापुरम तेलागांना	01 लाख	प्रक्रियाधीन
64.	दन्तेवाड़ा	कुरामी कोसा पिता कुरामी नंगा उम्र लगभग 20 वर्ष जाति मुरिया निवासी पोरदेम थाना गादीरास जिला सुकमा	01 लाख	प्रक्रियाधीन
65.	दन्तेवाड़ा	शंकर पोडियाम पता स्व. सुकडा पोडियाम उम्र 14 वर्ष जाति माड़िया निवासी ग्राम नयानार थाना कटेकल्याण जिला दन्तेवाडा	02 लाख	प्रक्रियाधीन
66.	दन्तेवाड़ा	पोज्जे नुप्पो पति हिंगा कुहड़ाम उम्र 34 वर्ष जाति मुरिया निवासी पोरदेम कोर्रा पंचायत थाना गादीराम जिला सुकमा	01 लाख	प्रक्रियाधीन
67.	दन्तेवाड़ा	आयता उर्फ नंदू माडवी पिता स्व. सोमडू माड़वी उम्र लगभग 35 वर्ष जाति माडिया निवासी माड़गादम पटेलपारा थाना कटेकल्याण जिला दन्तेवाडा	03 लाख	प्रक्रियाधीन
68.	दन्तेवाड़ा	हिड़मा माड़वी पिता स्व. पाण्डू माड़वी उम्र लगभग 18 वर्ष जाति माडिया निवासी माडगादम पटेलपारा थाना कटेकल्याण जिला दन्तेवाड	02 लाख	प्रक्रियाधीन
69.	दन्तेवाड़ा	हड़मे माडवी पिता हुर्रा माड़वी पति हिड़मा मुचाकी उम्र लगभग 28 वर्ष जाति मुरिया निवासी छोटेलखापाल थाना कूकानार जिला सुकमा	05 लाख	प्रक्रियाधीन
70.	नारायणपुर	जनीला उर्फ जलको कोर्राम पिता लैखन कोर्राम उम्र 36 निवासी ग्राम कौशलनार थाना झाराघाटी जिला नारायणपुर	02 लाख	प्रक्रियाधीन
71.	नारायणपुर	सुक्की मण्डावी पति सोमारू कोवाची पिता पाण्डू उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम गुडरा थाना कुआकोण्डा जिला दन्तेवाड़ा	01 लाख	प्रक्रियाधीन
72.	गरियाबंद	दीपक उर्फ भीमा मण्डावी पिता स्व. मासा मण्डावी ग्राम इत्तन पंचायत पालेसरमा तह. कोटा थाना किस्टाराम जिला सुकमा	05 लाख	प्रक्रियाधीन
73.	गरियाबंद	कैलाश उर्फ भीमा पिता उंगा भोगम उम्र लगभग 27 वर्ष ग्राम चिमिलपेंटा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा	05 लाख	प्रक्रियाधीन
74.	गरियाबंद	रनिता उर्फ पाईकी कारम पिता लच्छू कारम उम्र करीबन 24 वर्ष ग्राम चिमिलमेटा थाना जगरगुडा	05 लाख	प्रक्रियाधीन
75.	कांकेर	मानुराम ध्रुवा उर्फ भारत उर्फ बिरेन्द्र पिता स्व0 रागा राम ध्रुवा उम्र 45 वर्ष जाति गोंड़ निवासी ग्राम कुली थाना परतापुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर	05 लाख	प्रक्रियाधीन
76.	कांकेर	मैनू नेगी उर्फ करिया नरेटी उम्र 36 वर्ष जाति गोड़ पिता रजउ राम नरेटी निवासी कोईनटोला (कोयेपारा) पंचायत भैसासुर थाना सिकसोड़ जिला कांकेर	08 लाख	प्रक्रियाधीन
77.	कांकेर	शीला उर्फ देवली पुडो पति अनिल उर्फ भीमा (पूर्व पति उधम सिंग तुलावी) पिता स्व0 रामसिंग राम पुडो उम्र 37 वर्ष जाति गोड़ निवासी ग्राम मरकेली थाना मानपुर जिला मानपुर-मोहला-अंबागढ़ चौकी	05 लाख	प्रक्रियाधीन

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

	कांकेर	सरादो उर्फ समीला उर्फ संगीता उसेण्डी उम्र 35 वर्ष जाति गोंड़ निवासी मेचानार थाना आमाबेड़ा जिला कांकेर	05 लाख	प्रक्रियाधीन
79.	कांकेर	सोमारी कोर्राम उर्फ कविता पिता स्व0 कोपाराम जाति गोंड़ उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम भाटनार थाना ओरछा जिला नारायणपुर	01 लाख	प्रक्रियाधीन
80.	कांकेर	सुकदू उर्फ पवन पदूदा पिता रैसू राम पदूदा उम्र 20 वर्ष जाति गोंड़ निवासी ग्राम कोरोनार थाना सोनपुर जिला नारायणपुर	01 लाख	प्रक्रियाधीन
81.	कांकेर	कारू वेड़दा उर्फ निलेश वेड़दा पिता बोड़गा उम्र 25 वर्ष जाति गोंड़ निवासी साकिन कोडेलेर थाना ओरछा जिला नारायणपुर	08 लाख	प्रक्रियाधीन
82.	कांकेर	मंगलू उर्फ रूपेश उर्फ अरूण कोमरा पिता स्व. समरत कोमरा उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम आमाकड़ा थाना ताडोकी जिला कांकेर	10 लाख	प्रक्रियाधीन
83.	कांकेर	सुकारो नुरूटी पिता कोटीराम नुरूटी उम्र 20 वर्ष जाति गोड़ निवासी मरकाबेड़ा थाना ओरछा जिला नारायणपुर	1 लाख	प्रक्रियाधीन
84.	कांकेर	सोनमति उर्फ भीमे माडवी पिता सोमारू माडवी उम्र 28 वर्ष जाति गोड़ निवासी ग्राम गोंडेबटूम (भट्टीगुडा) तहसील उसूर थाना बासगुडा जिला बीजापुर	08 लाख	प्रक्रियाधीन
85.	कांकेर	नरेश उर्फ रूपजी दुग्गा उम्र 45 वर्ष जाति गोड़ पिता स्व0 चमार सिंह निवासी अलकानार थाना सिकसोड़ जिला कांकेर	03 लाख	प्रक्रियाधीन
86.	खैरागढ़-छुईखदान गड़ई	रामधेर उर्फ अमरजीत उर्फ मज्जी देव, स्थायी पता-बटीगुडा थाना बासागुडा जिला बीजापुर	40 लाख	प्रक्रियाधीन
87.	खैरागढ़-छुईखदान गड़ई	जानकी जूरी उर्फ लिमि उर्फ रिता, ग्राम धोबीगुड़ा तहसील एटापल्ली थाना कसानसुर जिला गढ़चिरौली महाराष्ट्र।	08 लाख	प्रक्रियाधीन
88.	खैरागढ़-छुईखदान गड़ई	रामसिंग उर्फ सम्पत मरावी पिता ज्ञान सिंह मरावी, पता राशिमेटा तह. बैहर थाना रूपझर, जिला बालाघाट म.प्र.	05 लाख	प्रक्रियाधीन
89.	खैरागढ़-छुईखदान गड़ई	योगिता उर्फ लक्ष्शी पति सागर उम्र 22 साल, ग्राम बड़े बट्टूम थाना बासेगुढा बीजापुर	01 लाख	प्रक्रियाधीन
90.	खैरागढ़-छुईखदान गड़ई	प्रेम उर्फ उमराव मड़ावी, डाबरी तह.कोरची थाना बड़ेगांव जिला गढ़चिरौली महाराष्ट्र।	08 लाख	प्रक्रियाधीन
91.	खैरागढ़-छुईखदान गड़ई	विजय उसेंडी उर्फ चंदू उर्फ चैतराम उर्फ नरेश उर्फ देवचंद पिता वकरी उसेण्डी उम्र 55 ग्राम बोगदेव तहसील ओरछा थाना कुकरझोर जिला नारायणपुर	08 लाख	प्रक्रियाधीन
92.	खैरागढ़-छुईखदान गड़ई	जैनी उर्फ ललिता उर्फ अनिता मज्जी पिता-रामदेर मज्जी ग्राम मज्जीमेन्ड्री थाना भेद्र जिला बीजापुर	08 लाख	प्रक्रियाधीन

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
गृह (सी) शाखा
मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर

प्रपत्र "स"

आत्म समर्पित नक्सलियों के पुनर्वास पर अब तक की गई खर्च की जानकारी

वर्ष	व्यय राशि
2023–24	17008000
2024–25	54092458
2025–26	170237436
कुल योग	**241337894**

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
गृह (सी) शाखा
मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट - पाँच

प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1038) की जानकारी

"प्रपत्र अ"

प्रदेश के राज्यीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की शासकीय विभाग में भर्ती।

राज्यीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की जानकारी:-

स.क्र.	खेल संघ का नाम	प्रदेश के राज्यीय स्तर के खिलाड़ियों की संख्या	प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की संख्या	प्रदेश में अंतराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की संख्या
01	02	03	04	05
01	छ.ग. प्रदेश शतरंज एसो., राजनांदगांव	1293	756	251
02	कुडो एसो. छ.ग. दुर्ग	820	111	99
03	किकबॉक्सिंग एसो. ऑफ छ.ग., कोरबा	2524	766	24
04	वुशू एसो. छ.ग. राजनांदगांव	3450	700	-
05	नेटबॉल स्पोटर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़	2505	168	02
06	छ.ग. एमेच्योर सॉफ्ट टेनिस एसो. रायपुर	-	120	-
07	छ.ग. प्रदेश भारोत्तोलन एसो., रायपुर	-	65	-
08	साइक्लिंग एसो. ऑफ छ.ग., भिलाई, दुर्ग	180	106	-
09	छ.ग. सायकल पोलो एसो., भिलाई, जिला दुर्ग	160	122	-
10	छ.ग. बैडमिंटन एसो. रायपुर	2000	150	15
11	छ.ग. प्रदेश फेंसिंग एसो. भिलाई, जिला दुर्ग	540	96	14
12	छ.ग. बॉल बैडमिंटन एसो., भिलाई जिला दुर्ग	-	36	09
13	छ.ग. एथलेटिक्स एसो. बिलासपुर	7966	1482	03
14	छ.ग. प्रदेश टेनिस एसो. रायपुर	125	55	06
15	छ.ग. हॉकी, राजनांदगांव	-	565	08
16	छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसो.	550	150	02
17	छ.ग. कबड्डी एसो. बिलासपुर	2700	84	01

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

"प्रपत्र ब"

प्रदेश के रा द्राकर

(विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1038 प्रश्नांश "क" की जानकारी)

विभाग द्वारा खिलाड़ियों को निम्नांकित सुविधाए प्रदान की जाती है:-

अकादमी में खिलाड़ियों को बीमा, चिकित्सा व्यय, खेल सामग्री एवं उपकरण, खेल परिधान, एकरूप परिधान, प्रतियोगिता के दौरान यात्रा व्यय, स्वल्पहार भत्ता, विशिष्ट प्रशिक्षण/एडवांस कोचिंग, आवास, भोजन, शैक्षणिक व्यय एवं खेलवृत्ति आदि सुविधाएं प्रदान किया जाता है। अकादमी के खिलाड़ियों का दुर्घटना एवं चिकित्सा बीमा करने का प्रावधान है।

प्रोत्साहन नियम 2005 के कंडिका 05 "फ" खिलाड़ी जोखिम बीमा अंतर्गत निम्नालिखित प्रावधान है:-

5 (फ) 1.1 विभाग से मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय खेल संघ इस हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

5 (फ) 1.2 यह बीमा उन खिलाड़ियों के लिए होगा जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ या भारत का प्रतिनिधित्व कर रहें है।

5 (फ) 1.3 ऐसे खिलाड़ी जो खेल संघ या राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते है उनके उपचार हेतु बीमा कराया जा सकेगा।

5(फ) 1.4 बीमा प्रीमियम का 50% राज्य खेल संघ को वहन करना होगा 50% राशि विभाग वहन करेगा।

5(फ) 1.5 राज्य खेल संघ बीमा कम्पनी का चयन करने हेतु स्वतंत्र होगा।

5(फ) 1.6 प्रति खिलाड़ी प्रतिवर्ष अधिकतम रूप 200/-बीमा प्रीमियम के लिए स्वीकृत किए जा सकेंगे।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग,
नवा रायपुर, अटल

"प्रपत्र स"

प्रदेश के राज्यीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की शासकीय विभाग में भर्ती।

घोषित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की संख्या का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	वित्तीय वर्ष	घोषित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की संख्या
1	2009-10	70
2	2011-12	46
3	2013-14	55
4	2014-15	10
5	2018-19	01

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

"प्रपत्र-द"

"प्रदेश के राज्यीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की शासकीय विभागों में भर्ती"

प्रश्नांश "ख" की जानकारी

प्रदेश के राज्यीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की शासकीय विभागों में भर्ती नियुक्ति संबंधी विभागवार जानकारी :-

1. महिला एवं बाल विकास विभाग :- उत्कृष्ट खिलाड़ी की नियुक्ति पर्यवेक्षक पद पर की गई है जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	कर्मचारी का नाम एवं नियुक्ति वर्ष	कार्यालयीन आदेश/पत्र क्रमांक एवं दिनांक	जिस पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है उस पद का नाम
1	श्रीमती अनिशा सिंह (2024)	क्रमांक/5185/639111/मबावि/स्था.-02/2024-25 दिनांक 16.08.2024	पर्यवेक्षक (अराजपत्रित)

2. वाणिज्यिककर (आबकारी) विभाग :- पदवार एवं वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	कर्मचारी का नाम एवं नियुक्ति वर्ष	कार्यालयीन आदेश/पत्र क्रमांक एवं दिनांक	जिस पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है उस पद का नाम
1	सुश्री श्वेता चंद (2025)	कार्यालयीन आदेश पृ.क्रमांक/आब./स्था.(अराज.)/2025/4813/ दिनांक29-07-2025	सहायक ग्रेड-03
2	श्री व्ही. मोहन राव (2025)	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/आब./स्था.(अराज.)/2025/ 6136,दिनांक29.09.2025	आबकारी आरक्षक
3	श्री प्रदीप कुमार यादव (2025)	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/आब./स्था.(अराज.)/2025/6757,दिनांक04.11.2025	आबकारी आरक्षक
4	कुमारी मुन्नी देवांगन (2025)	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/आब./स्था.(अराज.)/2025/7580/ दिनांक 11-12-2025	आबकारी आरक्षक

Digitally signed by
RATTU LAL DHRUW
Date: 07-05-2026

परिशिष्ट - छः

प्रश्न संख्या 17 (क्र. 1315) की जानकारी

प्रपत्र अ

"दिशा/दर्शन भ्रमण" कार्यक्रम की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23			वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25		वर्ष 2025–26 (10.02.2026 की स्थिति)	
			1 अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 तक की स्थिति में	1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023							
			आबंटित राशि	आबंटित राशि	व्यय राशि	आबंटित राशि	व्यय राशि	आबंटित राशि	व्यय राशि	आबंटित राशि	व्यय राशि
1.	बालोद	सहायक अनुदान मद 14–012	525000	0	525000	525000	454610	550000	350000	280000	261850
2.	कांकेर		525000	0	525000	393750	350000	350000	350000	280000	0
3.	धमतरी		350000	0	350000	525000	350000	350000	350000	280000	0
योग			**1400000**	**0**	**1400000**	**1443750**	**1154610**	**1250000**	**1050000**	**840000**	**261850**

प्रपत्र ब
दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष	ऑडिट				रिमार्क
			ऑडिट की अवधि	ऑडिट का दिनांक	लंबित ऑडिट	लंबित ऑडिट निराकरण की स्थिति	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बालोद	2022–23 (01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक	निरंक				–
		2023–24	निरंक				–
		2024–25	निरंक				–
		2025–26 (10 फरवरी 2026 की स्थिति में)	वर्ष 2023–24 एवं 2024–25	01 से 05 दिसम्बर 2025	–	–	वर्ष 2025–26 समाप्त न होने के फलस्वरूप ऑडिट होना शेष।
2	कांकेर	2022–23 (01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक	उक्त अवधि का ऑडिट शेष है।				–
		2023–24	उक्त अवधि का ऑडिट शेष है।				–
		2024–25	उक्त अवधि का ऑडिट शेष है।				–
		2025–26 (10 फरवरी 2026 की स्थिति में)	वर्ष 2025–26 समाप्त न होने के फलस्वरूप ऑडिट होना शेष।				–
3	धमतरी	2022–23 (01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक	उक्त अवधि का ऑडिट शेष है।				–
		2023–24	वर्ष 2021–22 एवं 2022–23	09 से 13 अक्टूबर 2023	–	–	–
		2024–25	उक्त अवधि का ऑडिट शेष है।				–
		2025–26 (10 फरवरी 2026 की स्थिति में)	वर्ष 2025–26 समाप्त न होने के फलस्वरूप ऑडिट होना शेष।				–

टीप :– महालेखाकार/कोष एवं लेखा के ऑडिट दल द्वारा समय–समय पर विभागीय योजनाओं का ऑडिट किया जाता है।

प्रपत्र स
दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	वर्ष का नाम	प्राप्त आबंटन	dqy vkgfjr vfxze jkf"k	समायोजित राशि	
					योजना क्रियान्वयन पर व्यय में समायोजित	चालान द्वारा जमा से समायोजित
1	बालोद	1 अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 तक की स्थिति में	525000	—	—	—
		1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023	—	525000	525000	—
		वित्तीय वर्ष 2023–24	525000	454610	454610	—
		वित्तीय वर्ष 2024–25	550000	550000	350000	200000
		वित्तीय वर्ष 2025–26 (10.02.2026) तक	280000	261850	261850	—
		योग	**1880000**	**1791460**	**1591460**	**200000**
2	कांकेर	1 अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 तक की स्थिति में	525000	—	—	—
		1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023	—	525000	525000	—
		वित्तीय वर्ष 2023–24	393750	350000	350000	—
		वित्तीय वर्ष 2024–25	350000	350000	350000	—
		वित्तीय वर्ष 2025–26 (10.02.2026) तक	280000	—	—	—
		योग	**1548750**	**1225000**	**1225000**	**0**
3	धमतरी	1 अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 तक की स्थिति में	350000	—	—	—
		1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023	—	350000	350000	—
		वित्तीय वर्ष 2023–24	525000	525000	350000	175000
		वित्तीय वर्ष 2024–25	350000	350000	350000	—
		वित्तीय वर्ष 2025–26 (10.02.2026) तक	280000	—	—	—
		योग	**1505000**	**1225000**	**1050000**	**175000**
		महायोग	**4933750**	**4241460**	**3866460**	**375000**

परिशिष्ट - सात

प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1829) की जानकारी

प्रपत्र

वित्तीय वर्ष –2022–23 से 2024–25 तक (कार्य एजेंसी– संजय संचेती)

(राशि लाख में)

स.क	मद का नाम	स्वीकृति क.	दिनांक	स्वीकृत कार्यो का विवरण	स्वीकृत राशि	प्रगति पूर्ण	प्रगति प्रगतिरत	प्रगति अप्रारम्भ	निविदा दिनांक	कार्यादेश दिनांक	कार्य एजेंसी	मूल्यांकन दिनांक	बिल प्रस्तुत दिनांक	सत्यापन दिनांक	अंतिम भुगतान	अद्यतन कुल भुगतान की राशि	कार्य पूर्णता दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	अधोसंरचना	3409	23.09.2022	पेंशनर्स भवन से मनोज जोगी घर तक पी.सी.सी. रोड निर्माण कार्य ।	7.88	पूर्ण	–	–	02.11.2022	27.02.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	6/24/2023	6/26/2023	8/28/2023	8/28/2023	7.88	6/24/2023	पूर्ण भुगतान
2	अधोसंरचना	3409	23.09.2022	संजय मसीह घर से सोनू सोनी घर तक पी.सी.सी. रोड निर्माण कार्य ।	2.77	पूर्ण	–	–	02.11.2022	27.02.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	8/6/2024	8/7/2024	8/13/2024	8/24/2024	2.57	8/6/2024	वर्तमान में कार्य की भौतिक स्थिति से मूल्यांकित राशि इंद्राज माप (एम.बी.) में अधिक दर्ज किया गया है। जिसके कारण ठेकेदार को रोकी गई एस.डी. राशि रू. 13524.00 का भुगतान नहीं किया जा सकता है ।
3	अधोसंरचना	3409	23.09.2022	विनोद ठाकुर घर से टेम्बुरकर घर तक पी.सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	6.42	पूर्ण	–	–	02.11.2022	27.02.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	9/9/2023	9/11/2023	10/12/2023	10/12/2023	6.04	9/9/2023	पूर्ण भुगतान
4	अधोसंरचना	3409	23.09.2022	संतोष शर्मा घर से टेम्बुकर घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	2.76	पूर्ण	–	–	02.11.2022	27.02.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	9/9/2023	9/11/2023	10/12/2023	10/12/2023	2.60	9/9/2023	पूर्ण भुगतान
5	अधोसंरचना	3409	23.09.2022	बालकृष्ण चौरे घर से अटल आवास परिसर तक पी.सी.सी. रोड निर्माण कार्य	11.07	पूर्ण	–	–	02.11.2022	27.02.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	10/15/2023	10/16/2023	10/20/2023	6/21/2024	10.13	10/15/2023	पूर्ण भुगतान
6	अधोसंरचना	3409	23.09.2022	राजेन्द्र टेलर घर से गुप्ता भवन तक पी.सी.सी. रोड निर्माण	1.98	पूर्ण	–	–	02.11.2022	27.02.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	1/20/2024	1/21/2024	1/23/2024	1/24/2024	1.92	1/20/2024	पूर्ण भुगतान
7	अधोसंरचना	3409	23.09.2022	मोहन पटेल घर से मेनरोड तक पी. सी.सी. रोड निर्माण कार्य ।	3.02	पूर्ण	–	–	02.11.2022	27.02.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	4/28/2023	5/1/2023	7/14/2023	7/14/2023	3.02	4/28/2023	पूर्ण भुगतान
8	अधोसंरचना	3409	23.09.2022	मेश्राम सर घर से लखन पटेल घर तक पी.सी.सी. रोड	1.58	पूर्ण	–	–	02.11.2022	27.02.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	1/1/2024	1/2/2024	1/24/2024	1/24/2024	1.57	1/1/2024	पूर्ण भुगतान
9	अधोसंरचना	3409	23.09.2022	संतोष पटेल घर से उत्तम पटेल घर तक पी.सी.सी. रोड निर्माण	3.47	पूर्ण	–	–	02.11.2022	27.02.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	12/26/2023	12/28/2023	1/24/2024	1/24/2024	3.35	12/26/2023	पूर्ण भुगतान
10	अधोसंरचना	3409	23.09.2022	दीना पटेल घर से मेनरोड तक आर. सी.सी. नाली निर्माण कार्य ।	0.64	पूर्ण	–	–	02.11.2022	27.02.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	4/28/2023	5/1/2023	10/12/2023	10/12/2023	0.72	4/28/2023	पूर्ण भुगतान
11	अधोसंरचना	3409	23.09.2022	चन्द्रशेखर उईके घर से लखन पटेल तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य ।	5.07	पूर्ण	–	–	02.11.2022	27.02.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	3/3/2023	3/6/2023	3/13/2023	3/14/2023	5.16	3/3/2023	पूर्ण भुगतान
12	अधोसंरचना	3409	23.09.2022	नाली एवं सड़क निर्माण (पाठक घर से मुक्तिधाम गेट तक) सतनामी पारा वार्ड क्र. 03	9.85	पूर्ण	–	–	02.11.2022	27.02.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	8/8/2024	8/8/2024	8/21/2024	8/21/2024	7.25	8/8/2024	पूर्ण भुगतान
13	अधोसंरचना	253	12.04.2023	वार्ड क. 2में मजार से सुलभ शौचालय तक कांक्रीटीकरण कार्य।	3.60	पूर्ण	–	–	29.05.2023	8/25/2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	1/2/2023	1/6/2024	1/24/2024	1/24/2024	3.44	1/2/2023	पूर्ण भुगतान
14	अधोसंरचना	253	12.04.2023	वार्ड क. 2में तालाब पार से पतिराम साहू घर तक कांक्रीटीकरण कार्य	3.09	पूर्ण	–	–	29.05.2023	8/25/2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	1/8/2024	1/9/2024	1/24/2024	1/24/2024	2.94	1/8/2024	पूर्ण भुगतान
15	अधोसंरचना	253	12.04.2023	वार्ड क. 2में मनोज यादव से यादराम साहू घर तक कांक्रीटीकरण कार्य।	3.36	पूर्ण	–	–	29.05.2023	8/25/2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	1/9/2024	1/10/2024	2/15/2024	2/15/2024	3.24	1/9/2024	पूर्ण भुगतान
16	अधोसंरचना	253	12.04.2023	वार्ड क. 2में दीपक यादव से गार्डन तक कांक्रीटीकरण कार्य।	4.12	पूर्ण	–	–	29.05.2023	8/25/2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	1/8/2024	1/9/2024	2/15/2024	2/15/2024	4.05	1/8/2024	पूर्ण भुगतान

स.क	मद का नाम	स्वीकृति क. / दिनांक		स्वीकृत कार्यो का विवरण	स्वीकृत राशि	प्रगति			निविदा दिनांक	कार्यादेश दिनांक	कार्य एजेंसी	मूल्यांकन दिनांक	बिल प्रस्तुत दिनांक	सत्यापन दिनांक	अंतिम भुगतान	अद्यतन कुल भुगतान की राशि	कार्य पूर्णता दिनांक	रिमार्क
						पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	**अधोसंरचना**	253	12.04.2023	वार्ड क. 6में मखियार समाज भवन से गोपी घर तक कांक्रीटीकरण कार्य	4.23	पूर्ण	–	–	29.05.2023	8/25/2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	3/25/2024	3/26/2024	8/21/2024	8/21/2024	4.18	3/25/2024	पूर्ण भुगतान
18	**अधोसंरचना**	253	12.04.2023	वार्ड क. 9 मे प्रकाश देवांगन घर से सालिक साहू घर तक कांक्रीटीकरण कार्य	3.61	पूर्ण	–	–	29.05.2023	8/25/2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	12/26/2023	12/28/2023	1/24/2024	1/24/2024	3.51	12/26/2023	पूर्ण भुगतान
19	**अधोसंरचना**	253	12.04.2023	वार्ड क. 10मे अमरोतिन, प्रीतम घर से नहर नाली तक कांक्रीटीकरण कार्य	2.68	पूर्ण	–	–	29.05.2023	8/25/2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	1/8/2024	1/9/2024	1/24/2024	1/24/2024	2.60	1/8/2024	पूर्ण भुगतान
20	**अधोसंरचना**	253	12.04.2023	वार्ड क. 14मे हल्बा समाज भवन से इमरत लाल निषाद घर तक कांक्रीटीकरण कार्य	1.85	पूर्ण	–	–	29.05.2023	8/25/2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	1/3/2024	1/4/2024	1/24/2024	1/24/2024	1.83	1/3/2024	पूर्ण भुगतान
21	**अधोसंरचना**	1796	29.05.2023	वार्ड क. 15 मे आई.एच.एस.डी.पी. मे पाईप लाईन विस्तार कार्य	5.00	पूर्ण	–	–	01.06.2023	25.08.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	3/11/2024	3/12/2024	4/2/2024	5/3/2024	7.10	3/11/2024	पूर्ण भुगतान
22	**अधोसंरचना**	1796	29.05.2023	वार्ड क. 01 मोंगरा कालोनी गेट से महावीर उइके एवं नायक सर घर तक पाईप लाईन विस्तार कार्य	5.00	पूर्ण	–	–	01.06.2023	25.08.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	3/28/2024	4/1/2024	4/2/2024	4/2/2024	4.96	3/28/2024	पूर्ण भुगतान
23	**15 वें वित्त**	679	30.01.2023	वार्ड क्र. 05 सदर लाईन देशराज जैन के घर के पास (देशराज जैन घर से रामकिशन महेश्वरी घर तक) आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य	3.82	–	–	**अप्रारंभ**	31.01.2023	25.08.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	–	–	–	–	निरस्त	–	कार्य अप्रारंभ होने के कारण शासन के पत्र कमांक 1481 दिनांक 27.02.2024 द्वारा जारी निर्देशानुसार उक्त कार्य निरस्त ।
24	**15 वें वित्त**	679	30.01.2023	वार्ड क्र. 05 नरसिंग रजक के घर से सीसी रोड तक रोड निर्माण कार्य	0.70	पूर्ण	–	–	31.01.2023	25.08.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	2/11/2024	3/13/2024	3/13/2024	15.03.2024	0.69	2/11/2024	पूर्ण भुगतान
25	एसबीएम	5820	13.12.2024	सार्वजनिक सह सामुदायिक शौचालय वार्ड कमांक 11 बोधीटोला में टाईल्स, दरवाजा, रेलिंग, रंग रोगन, सीट मरम्मत एवं अन्य कार्य	4.74	प्रगतिरत्	–	–	12/23/2024	\15.10.2025	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	-	-	-	-	-	-	कार्य प्रगतिरत्
26	छ.ग.रा. ग्रामीण विकास प्राधिकरण	10448	23.11.2022	बाजार चबुतरा निर्माण मटिया वार्ड	9.70	-	प्रगतिरत	-	26.09.2022	09.12.2022	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	24.03.2023	4/5/2023	06.04.2023	06.04.2023	3.76		कार्य प्रगतिरत्
27	छ.ग.रा. ग्रामीण विकास प्राधिकरण	2301	19.06.2023	वार्ड क. 09 में सामुदायिक भवन (झेरिया यादव पारा) में अतिरिक्त कार्य	5.00	पूर्ण	–	–	10.07.2023	21.09.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	27.10.2023	19.02.2024	3/15/2024	15.03.2024	4.19	27.10.2023	वर्तमान में कार्य की भौतिक स्थिति से मूल्यांकित राशि इंद्राज माप (एम.बी.) में अधिक दर्ज किया गया है। जिसके कारण ठेकेदार को रोकी गई एस.डी. राशि रू. 24650.00 का भुगतान नहीं किया जा सकता है ।
28	छ.ग.रा. ग्रामीण विकास प्राधिकरण	2301	19.06.2023	वार्ड क.09 में सामुदायिक भवन (देवांगन पारा) में टाईल्स कार्य	3.00	पूर्ण	–	–	10.07.2023	15.10.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	02.04.2024	09.07.2025	02.04.2024	02.04.2024	2.85	02.04.2024	वर्तमान में कार्य की भौतिक स्थिति से मूल्यांकित राशि इंद्राज माप (एम.बी.) में अधिक दर्ज किया गया है। जिसके कारण ठेकेदार को रोकी गई अंतिम मूल्यांकित राशि रू. 14776.00 का भुगतान नहीं किया जा सकता है ।
29	छ.ग.रा. ग्रामीण विकास प्राधिकरण	7078	03.10.2023	वार्ड क 06 में जागृति सहकारी उपभोक्ता भंडार में बाउडी वाल का निर्माण कार्य	3.00	पूर्ण	–	–	12.09.2023	07.10.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	6/11/2024	08.09.2025	19.02.2026	19.02.2026	2.99	6/11/2024	पूर्ण भुगतान
30	छ.ग.रा. ग्रामीण विकास प्राधिकरण	7335	5-Oct-23	वार्ड के 10 में सरस्वती शिशु मंदिर के पास शौचालय का निर्माण कार्य	3.00	पूर्ण	–	–	12.09.2023	07.10.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	29.02.2024	29.02.2024	21.03.2024	21.03.2024	2.73	29.02.2024	वर्तमान में कार्य की भौतिक स्थिति से मूल्यांकित राशि इंद्राज माप (एम.बी.) में अधिक दर्ज है। जिसके कारण ठेकेदार को रोकी गई राशि रू. 15005.00 का भुगतान नहीं किया जा सकता है ।

स.क	मद का नाम	स्वीकृति क. / दिनांक		स्वीकृत कार्यों का विवरण	स्वीकृत राशि	प्रगति			निविदा दिनांक	कार्यादेश दिनांक	कार्य एजेंसी	मूल्यांकन दिनांक	बिल प्रस्तुत दिनांक	सत्यापन दिनांक	अंतिम भुगतान	अद्यतन कुल भुगतान की राशि	कार्य पूर्णता दिनांक	रिमार्क
						पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	छ.ग.रा. ग्रामीण विकास प्राधिकरण	7335	5-Oct-23	खेल सामग्री (ब्राम्हण पारा)	2.00	अप्रारंभ		—	12.09.2023	05.10.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	-	-	-	-	-	-	लो.नि.वि. द्वारा प्रस्तावित स्थल में रोड निर्माण कार्य सामग्री रखे जाने के कारण कार्य अप्रारंभ
32	राजगामी संपदा	15	18.01.2023	किसान सभागृह निर्माण कार्य (तहसील परिसर प्रथम तल पर) डोंगरगॉव	15.00	पूर्ण	—	&	31.01.2023	16.05.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	3/15/2024	15.03.2024	9/19/2025	9/19/2025	13.90	3/15/2024	पूर्ण भुगतान
33	विधायक निधि	1952(A)	15.09.2023	सामुदायिक भवन निर्माण (नगर साहू पारा) वार्ड क. 15 डोंगरगॉव	5.00	पूर्ण	—	—	12.09.2023	10/5/2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	13.03.2025	13.03.2025	7/9/2025	09.07.2025	4.70	13.03.2025	पूर्ण भुगतान
34	विधायक निधि	2324	13.12.2024	सामुदायिक भवन निर्माण (गोड पारा वार्ड नं.02) डोंगरगांव	5.00	—	प्रगतिरत	—	12/16/2024	19.05.2025	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	26.12.2025	01.01.2026	2/13/2026	13.02.2026	2.50	26.12.2025	कार्य प्रगतिरत्
35	समग्र शिक्षा	1398	29.11.2022	प्राथमिक शाला डोंगरगॉव मे अतिरिक्त कक्ष निर्माण	7.54	पूर्ण	—	—	29.08.2023	05.10.2023	मे. संजय कुमार संचेती, डोंगरगांव	30.04.2024	30.04.2024	5/3/2024	5/3/2024	4.30	30.04.2024	प्राथमिक शाला डोंगरगांव में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य की शिकायत प्राप्त होने पर कार्यपालन अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग संभाग का पत्र कमांक 579 दिनांक 16.02.2026 द्वारा जांच अनुसार बिना सक्षम तकनीकी स्वीकृति के प्राक्कलन में उल्लेखित यथा तकनीकी प्रावधानों का पूर्ण पालन किये बगैर निर्माण किया गया है, साथ ही मूल्यांकन भी प्रश्नाधीन है, जिसके लिए निकाय में पदस्थ अभियंता व संबंधित ठेकेदार उत्तरदायी है। चूंकि निर्माण कार्य विद्यालय के अध्यापन कक्ष से संबंधित है, ऐसी स्थिति में उपयोग के पूर्व स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी टेस्ट/यथोचित गुणवत्ता परीक्षण कराये जाने का लेख है। जांचकर्ता अधिकारी कार्यपालन अभियंता क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग द्वारा नगर पंचायत डोंगरगांव में गठित समिति के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। निर्णय उपरांत भुगतान की कार्यवाही किया जावेगा।

परिशिष्ट - आठ

प्रश्न संख्या 25 (क्र. 1836) की जानकारी

"प्रपत्र अ"

"खेल कोटे छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय पदों पर नियुक्ति"

प्रश्नांश "क" की जानकारी

प्रश्नाधीन अवधि में खेल कोटे के अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति संबंधी विभागवार जानकारी :-

1. महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत वर्ष 2024 में 01 उत्कृष्ट खिलाड़ी की नियुक्ति पर्यवेक्षक पद पर की गई है जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	कर्मचारी का नाम एवं नियुक्ति वर्ष	कार्यालयीन आदेश/पत्र क्रमांक एवं दिनांक	जिस पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है उस पद का नाम
1	श्रीमती अनिशा सिंह (2024)	क्रमांक/5185/639111/मबावि/स्था.-02/2024-25 दिनांक 16.08.2024	पर्यवेक्षक (अराजपत्रित)

2. वाणिज्यिककर (आबकारी) विभाग पदवार एवं वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	कर्मचारी का नाम एवं नियुक्ति वर्ष	कार्यालयीन आदेश/पत्र क्रमांक एवं दिनांक	जिस पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है उस पद का नाम
1	सुश्री श्वेता चंद (2025)	कार्यालयीन आदेश पृ.क्रमांक/आब./स्था.(अराज.)/2025/4813/ दिनांक29-07-2025	सहायक ग्रेड-03
2	श्री व्ही. मोहन राव (2025)	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/आब./स्था.(अराज.)/2025 / 6136,दिनांक29.09.2025	आबकारी आरक्षक
3	श्री प्रदीप कुमार यादव (2025)	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/आब./स्था.(अराज.)/2025 /6757,दिनांक04.11.2025	आबकारी आरक्षक
4	कुमारी मुन्नी देवांगन (2025)	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/आब./स्था.(अराज.)/2025 /7580/ दिनांक 11-12-2025	आबकारी आरक्षक

Digitally signed by
RATTU LAL DHRUW
Date: 07-05-2026
12:20:53

"प्रपत्र- ब"

खेल कोटे छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय पदों पर नियुक्ति।

1. प्रश्नाधीन अवधि (जनवरी 2024 से 31.01.2026 तक) में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत स्टेडियम एवं मिनी स्टेडियम निर्माण कार्यों की जानकारी -

क्र.	खेल अधोसंरचना निर्माण कार्य का नाम	स्थान का नाम		खेल का नाम
		वि.ख.	जिला	
01	बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स स्टेडियम ग्राम महापल्ली जिला रायगढ़	ग्राम महापल्ली	रायगढ़	फुटबॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट, खो-खो, साफ्टबॉल, बेसबॉल, तीरंदाजी आदि
02	बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स स्टेडियम ग्राम पुसौर, जिला रायगढ़	ग्राम पुसौर	रायगढ़	फुटबॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट, खो-खो, साफ्टबॉल, बेसबॉल, तीरंदाजी आदि
03	जिला स्तरीय बहुउद्देशीय स्टेडियम जिला सारंगढ बिलाईगढ़	सारंगढ़	सारंगढ बिलाईगढ़	फुटबॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट, खो-खो, साफ्टबॉल, बेसबॉल, तीरंदाजी आदि
04	नवा रायपुर में खेल काम्पलेक्स निर्माण (प्रथम चरण)	नवा रायपुर	रायपुर	फुटबॉल, बास्केटबॉल, व्हालीबाल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कबड्डी, तैराकी, कुश्ती आदि
05	मिनी स्टेडियम निर्माण ग्राम सरोरा	ग्राम सरोरा, वि.ख. तिल्दा नेवरा	रायपुर	फुटबॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट, खो-खो, साफ्टबॉल, बेसबॉल, तीरंदाजी आदि
06	मिनी स्टेडियम एवं इंडोर हॉल निर्माण	ग्राम दुलदुला	जशपुर	फुटबॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट, खो-खो, साफ्टबॉल, बेसबॉल, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, व्हालीबाल, बैडमिंटन, कबड्डी आदि

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

07	मिनी स्टेडियम एवं इंडोर हॉल निर्माण	ग्राम बागबहार	जशपुर	फुटबॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट, खो-खो, साफ्टबॉल, बेसबॉल, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, व्हालीबाल, बैडमिंटन, कबड्डी आदि
08	मिनी स्टेडियम निर्माण ग्राम मटिया	ग्राम मटिया, वि.ख. सिमगा	बलौदाबाजार भाटापारा	फुटबॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट, खो-खो, साफ्टबॉल, बेसबॉल, तीरंदाजी आदि
09	इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स निर्माण जशपुर	कुनकुरी	जशपुर	फुटबॉल, बास्केटबॉल, व्हालीबाल, बैडमिंटन, क्रिकेट, तीरंदाजी, कबड्डी, तैराकी, कुश्ती, साफ्टबाल, बेसबाल, आदि
10	इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स निर्माण रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़	फुटबॉल, बास्केटबॉल, व्हालीबाल, बैडमिंटन, क्रिकेट, तीरंदाजी, कबड्डी, तैराकी, कुश्ती, साफ्टबाल, बेसबाल, आदि
11	अंर्तराष्ट्रीय बैडमिंटन अकादमी की स्थापना के लिए निर्माण	ग्राम लाभांडी	रायपुर	बैडमिंटन
12	इंडोर स्टेडियम काम्पलेक्स निर्माण	बलौदाबाजार भाटापारा	बलौदाबाजार भाटापारा	कबड्डी, खोखो, व्हालीबाल, बैडमिंटन, कुश्ती, आदि
13	खेलो इंडिया योजना के तहत स्वीकृत कार्य- बिलासपुर में मल्टीपरपस इंडोर हॉल हेतु अतिरिक्त राशि	मोपका	बिलासपुर	कबड्डी, खोखो, व्हालीबाल, बैडमिंटन, कुश्ती, आदि

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

14	खेलो इंडिया योजना के तहत स्वीकृत कार्य- जिला बलौदाबाजारा भाटापारा में 08 लेन सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार भाटापारा	एथलेटिक्स
15	राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी निर्माण	रायपुर	रायपुर	तीरंदाजी
16	स्टेडियम निर्माण कार्य	मैनपाट	सरगुजा	फुटबॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट, खो-खो, साफ्टबॉल, बेसबॉल, तीरंदाजी आदि

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

2. प्रश्नाधीन अवधि (जनवरी 2024 से 31.01.2026 तक) में नये स्टेडियम/मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य के लंबित प्रस्ताव की जानकारी -

क्र.	खेल अधोसंरचना निर्माण कार्य का नाम	जिला/स्थान का नाम	लंबित प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु संभावित तिथि
01	क्रीड़ा प्रोत्साहन योजनांतर्गत सरगुजा संभाग में बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण कार्य	सरगुजा	समय - सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।
02	क्रीड़ा प्रोत्साहन योजनांतर्गत दुर्ग संभाग में बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण कार्य	दुर्ग	
03	क्रीड़ा प्रोत्साहन योजनांतर्गत ज़िला भरतपुर- मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी में बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण	एमसीबी	
04	क्रीड़ा प्रोत्साहन योजनांतर्गत जिला सूरजपुर में बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण	सूरजपुर	
05	क्रीड़ा प्रोत्साहन योजनांतर्गत ज़िला मुंगेली में बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण	मुंगेली	
06	क्रीड़ा प्रोत्साहन योजनांतर्गत ज़िला सक्ती में बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण	सक्ती	
07	क्रीड़ा प्रोत्साहन योजनांतर्गत ज़िला गरियाबंद में बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण	गरियाबंद	
08	क्रीड़ा प्रोत्साहन योजनांतर्गत ज़िला महासमुंद में बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण	महासमुंद	
09	क्रीड़ा प्रोत्साहन योजनांतर्गत ज़िला बेमेतरा में बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण	बेमेतरा	
10	क्रीड़ा प्रोत्साहन योजनांतर्गत ज़िला कांकेर में बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण	कांकेर	
11	क्रीड़ा प्रोत्साहन योजनांतर्गत ज़िला बीजापुर में बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण	बीजापुर	
12	आमानाका जिला रायपुर में इंडोर बहुउद्देशीय हॉल निर्माण	आमानाका रायपुर	
13	जिला जशपुर में फुटबॉल स्टेडियम निर्माण कार्य	जशपुर	
14	नवा रायपुर में स्पोर्टस् काम्पलेक्स निर्माण द्वितीय चरण	नवा रायपुर	

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - नौ
प्रश्न संख्या 33 (क्र. 2206) की जानकारी

प्रपत्र–अ

संचालनालय कृषि के पत्र क्र. 711 दिनांक 04.10.2023 से संबंधित पत्राचारों की जानकारी

क्र.	पत्र किनके द्वारा प्रेषित किया गया	पत्र किनको प्रेषित किया गया	पत्र क्रमांक एवं दिनांक	पत्राचार का विषय
1	2	3	4	5
1	कलेक्टर जिला राजनांदगांव	कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर	पत्र क्र./मु.म.भे.मु./कृषि/2022–23/13019 दिनांक 21.02.2023	किसान सुविधा केन्द्र आलीवारा जिला राजनांदगांव के भवन एवं मशीन हेतु रू. 3.5795 करोड़ का प्रस्ताव।
2	कलेक्टर जिला राजनांदगांव	प्रशासकीय स्वीकृति आदेश (कृषक प्रशिक्षण केन्द्र भवन) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग–राजनांदगांव	प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्र. 277/2023/एस.सी.ए.–एल.डब्लू.ई दिनांक 14.09.2023	ग्राम आलीवारा जिला राजनांदगांव में कृषक प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति आदेश।
3	उप संचालक कृषि जिला राजनांदगांव	संचालक कृषि छ.ग. रायपुर	पत्र क्र./स्था./2023–24/4180 दिनांक 22.09.2023	किसान सुविधा केन्द्र आलीवारा जिला राजनांदगांव के भवन एवं मशीन हेतु रू. 3.5795 करोड़ का प्रस्ताव शासन स्तर से स्वीकृत कराने बाबत्।
4	उप संचालक कृषि जिला राजनांदगांव	एस के एस कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र सुरगी जिला राजनादगांव	पत्र क्र./स्था./कृ.सू.के./2024–25/ 4709 दिनांक 13.11.2024	ग्राम आलीवारा जिला राजनांदगांव में वैज्ञानिक पद्वति से मशीन, उपकरण, रसायन एवं अन्य आवश्यक सामाग्रियों सहित आधुनिक अधोसंरचनायुक्त कृषक सूचना सहायता एवं प्रशिक्षण केन्द्र की वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान करने एवं तकनीकी स्वीकृति की कार्यवाही करने बाबत्।
5	एस के एस कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र सुरगी जिला राजनादगांव	संचालक अनुसंधान सेवाएं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर	जावक क्र. 993 दिनांक 14.11.2024	विश्वविद्यालय स्तर पर विभाध्यक्षों तथा विशेषज्ञ वैज्ञानिकों द्वारा चाही गई तकनीकों का अध्ययन कर तकनीकी स्वीकृति हेतु कार्यवाही करने बाबत्।
6	कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग–राजनांदगांव	उप संचलक कृषि जिला राजनांदगांव	पत्र क्र. 394/क्ले.लि./ग्रायासेवा/ 2024–25 दिनांक 21.02.2025	ग्राम आलीवारा, विकासखण्ड डोगरगढ़, जिला राजनांदगांव में कृषक प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत आलीवारा, जनपद पंचायत डोगरगढ़ को भवन हस्तांतरण की सूचना बाबत्।
7	उप संचालक कृषि जिला राजनांदगांव	संचालक अनुसंधान सेवाएं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर	पत्र क्र./स्था./कृ.सू.के./2024–25/ 8079 दिनांक 06.03.2025	ग्राम आलीवारा जिला राजनांदगांव में वैज्ञानिक पद्वति से मशीन, उपकरण, रसायन एवं अन्य आवश्यक सामाग्रियों के विश्वविद्यालय स्तर पर चयन कर आधुनिक सूचना एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के संबंध में।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 03-07-2026
14:25:20

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र– ब

मानननीय विधायक डोंगरगांव के पत्र दिनांक 25.06.2025 (जिस पर माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा दिनांक 25.06.2025 को टीप अंकित की गई) से संबंधित पत्राचारों की जानकारी

क्र.	पत्र किनके द्वारा प्रेषित किया गया	पत्र किनको प्रेषित किया गया	पत्र कमांक एवं दिनांक	पत्राचार का विषय
1	2	3	4	5
1	छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर	संचालनालय कृषि, छ.ग. रायपुर	पत्र क. कम्प. नं. 68045 / फाईल नं. जेनकोर–35010 / 1690 / 2025–एग्री सेक्शन (तक.) दिनांक 31.07. 2025	किसान सुविधा केन्द्र आलीवारा जिला राजनांदगांव के संबंध में माननीय विधायक द्वारा किये गये अनुरोध का परीक्षण कर अभिमत सहित जानकारी उपलब्ध कराने।
2	संचालनालय कृषि, छ.ग. रायपुर	उप संचालक कृषि जिला राजनांदगांव	पत्र क. / एक्स.रि. / कि.सु.के. / 99 / 2025–26 / 105 दिनांक 10.06. 2026	किसान सुविधा केन्द्र आलीवारा जिला राजनांदगांव के संबंध में माननीय विधायक द्वारा किये गये अनुरोध का परीक्षण कर अभिमत सहित जानकारी उपलब्ध कराने दल का गठन।
3	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर	1. कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र राजनांदगांव 2. कृषि विज्ञान केन्द्र राजनांदगांव	पत्र क्र. / स्था–3 / 2026 / 1058 रायपुर दिनांक 23. 06.2026	किसान सुविधा केन्द्र आलीवारा जिला राजनांदगांव के संबंध में माननीय विधायक द्वारा किये गये अनुरोध का परीक्षण कर अभिमत सहित जानकारी उपलब्ध कराने दल गठन हेतु वैज्ञानिकों का नामांकन।

Digitally signed by Vikas Mishra
Date: 03-07-2026 14:26:23

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - दस

प्रश्न संख्या 34 (क्र. 2220) की जानकारी

i|i=

प्रश्नांश "क" की जानकारी

उत्कृष्ट खिलाड़ी स्पोर्टस कोटे से नौकरी में नियुक्ति संबंधी विभागवार जानकारी :-

1. महिला एवं बाल विकास विभाग :- उत्कृष्ट खिलाड़ी की नियुक्ति पर्यवेक्षक पद पर की गई है जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	**कर्मचारी का नाम एवं नियुक्ति वर्ष**	**कार्यालयीन आदेश/पत्र क्रमांक एवं दिनांक**	**जिस पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है उस पद का नाम**
1	श्रीमती अनिशा सिंह (2024)	क्रमांक/5185/639111/मबावि/ स्था.-02/2024-25 दिनांक 16.08.2024	पर्यवेक्षक (अराजपत्रित)

2. वाणिज्यिककर (आबकारी) विभाग :- पदवार एवं वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं नियुक्ति वर्ष	जिस पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है उस पद का नाम
1	श्री पीताम्बर चौधरी (2021)	आबकारी आरक्षक
2	श्री अमर पिल्ले (2021)	आबकारी आरक्षक
3	सुश्री श्वेता चंद (2025)	सहायक ग्रेड-03
4	श्री व्ही. मोहन राव (2025)	आबकारी आरक्षक
5	श्री प्रदीप कुमार यादव (2025)	आबकारी आरक्षक
6	कुमारी मुन्नी देवांगन (2025)	आबकारी आरक्षक

परिशिष्ट - ग्यारह

प्रश्न संख्या 38 (क्र. 2516) की जानकारी

प्रपत्र

क्रमांक	जिला	प्राप्त शिकायतों की संख्या	विवरण
1	महासमुन्द	02	1. नरेश कुमार आंगरे द्वारा उप पंजीयक कार्यालय सरायपाली में शिकायत किया गया है कि मूल खसरे का त्रुटि पूर्ण तीन बटांकन होकर स्वतः नामांतरण हो गया है जिसका सुधार करने बाबत्। 2. वेब द्वारा प्राप्त शिकायते (प्रभा तिवारी)-पक्षकारों द्वारा अपाइटमेंट के समय ग्राम पैकिन में क्रेता के नाम का पूर्व से धारित खसरा/बसरा नंबर का एंट्री नहीं किया गया था जिसके कारण रजिस्ट्री के बाद ग्राम पैकिन में क्रेता के नाम का एक नया खाता (बी-1) बन गया। उक्त त्रुटि को ठीक करवाने (अर्थात् ग्राम पैकिन में क्रेता के नाम का एक ही खाता बी-1 करवाने)
2	दुर्ग	निरंक	निरंक
3	कांकेर	निरंक	निरंक
4	बालोद	निरंक	निरंक
5	बलौदबाजार	निरंक	निरंक
6	बस्तर	निरंक	निरंक
7	कोण्डागांव	निरंक	निरंक
8	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	निरंक	निरंक
9	सरगुजा	निरंक	निरंक
10	बेमेतरा	निरंक	निरंक
11	कोरबा	निरंक	निरंक
12	जशपुर	निरंक	निरंक
13	रायगढ़	निरंक	निरंक
14	दन्तेवाड़ा	निरंक	निरंक
15	सुकमा	निरंक	निरंक
16	बीजापुर	निरंक	निरंक
17	बिलासपुर	निरंक	निरंक
18	मुंगेली	निरंक	निरंक
19	धमतरी	निरंक	निरंक
20	जांजगीर-चांपा	निरंक	निरंक
21	सक्ती	निरंक	निरंक
22	खेरागढ़-छुईखदान- गंडई	निरंक	निरंक
23	गरियाबंद	निरंक	निरंक
24	बलरामपुर-रामानुजगंज	निरंक	निरंक
25	कबीरधाम	निरंक	निरंक
26	राजनांदगांव	निरंक	निरंक
27	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	निरंक	निरंक
28	रायपुर	निरंक	निरंक
29	कोरिया	निरंक	निरंक
30	सूरजपुर	निरंक	निरंक
31	नारायणपुर	निरंक	निरंक
32	सारंगढ़-बिलाईगढ़	निरंक	निरंक
33	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	निरंक	निरंक

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र

परिशिष्ट - बारह

प्रश्न संख्या 39 (क्र. 2528) की जानकारी

क्रमांक	जिला	असर्वेक्षित ग्रामों की संख्या
1	कबीरधाम	0
2	कांकेर	3
3	कोंडागांव	21
4	कोरबा	122
5	कोरिया	6
6	खैरागढ-छुईखदान-गण्डई	6
7	गरियाबंद	2
8	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	0
9	जशपुर	11
10	जांजगीर-चांपा	5
11	दन्तेवाड़ा	1
12	दुर्ग	1
13	धमतरी	45
14	नारायणपुर	244
15	बेमेतरा	8
16	बलरामपुर-रामानुजगंज	3
17	बलौदाबाजार-भाटापारा	48
18	बस्तर	7
19	बालोद	17
20	बिलासपुर	22
21	बीजापुर	95
22	मुंगेली	46
23	मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर	4
24	महासमुंद	0
25	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	0
26	राजनांदगाँव	0
27	रायगढ	17
28	रायपुर	4
29	सक्ती	0
30	सुकमा	112
31	सरगुजा	4
32	सूरजपुर	0
33	सारंगढ-बिलाईगढ	3
Total		857

क्रमांक	जिला	सर्वेक्षित ग्रामों की संख्या
1	कबीरधाम	1012
2	कांकेर	1003
3	कोंडागांव	537
4	कोरबा	792
5	कोरिया	281
6	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	494
7	गरियाबंद	702
8	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	225
9	जशपुर	766
10	जांजगीर-चांपा	478
11	दन्तेवाड़ा	234
12	दुर्ग	452
13	धमतरी	632
14	नारायणपुर	422
15	बेमेतरा	708
16	बलरामपुर-रामानुजगंज	641
17	बलौदाबाजार-भाटापारा	694
18	बस्तर	591
19	बालोद	687
20	बिलासपुर	771
21	बीजापुर	618
22	मुंगेली	685
23	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	372
24	महासमुंद	1151
25	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	499
26	राजनांदगाँव	697
27	रायगढ़	944
28	रायपुर	546
29	सक्ती	477
30	सुकमा	288
31	सरगुजा	582
32	सूरजपुर	552
33	सारंगढ़ बिलाईगढ़	756
Total		20289

जिला	क्रमांक	तहसील	सर्वेक्षित ग्रामों की संख्या
कबीरधाम	1	कुकदूर	96
	2	कुंडा	89
	3	कवर्धा	84
	4	पंडरिया	103
	5	पिपरिया	100
	6	बोडला	245
	7	रेंगाखारकला	97
	8	सहसपुर लोहारा	198
कांकेर	9	अन्तागढ	94
	10	आमाबेडा	70
	11	कांकेर	105
	12	कोयलीबेडा	56
	13	चारमा	98
	14	दुर्गुकोंडल	141
	15	नरहरपुर	58
	16	पखांजुर	113
	17	बांदे	95
	18	भानुप्रतापपुर	112
	19	सरोना	61
कोंडागांव	20	केशकाल	73
	21	कोंडागांव	101
	22	धनोरा	53
	23	फरसगांव	87
	24	बड़ेराजपुर	54
	25	मकडी	94
	26	मर्दापाल	75
कोरबा	27	अजगरबहार	41
	28	कटघोरा	51
	29	करतला	37
	30	कोरबा	46
	31	दर्री	48
	32	दीपका	59
	33	पसान	82
	34	पाली	91
	35	पौड़ी उपरोदा	137
	36	बरपाली	85
	37	भैसमा	67
	38	हरदीबाजार	48
कोरिया	39	पटना	48
	40	पोड़ी-बचरा	36
	41	बैकुंठपुर	93
	42	सोनहत	104
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	43	खैरागढ़	230
	44	गंडई	78
	45	छुईखदान	108
	46	साल्हेवारा	78
गरियाबंद	47	अमलीपदर	81
	48	गरियाबंद	164
	49	छुरा	166
	50	देवभोग	94
	51	फिंगेश्वर	56
	52	मैनपुर	96
	53	राजिम	45

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	54	पेण्ड्रा	24
	55	पेण्ड्रारोड	87
	56	मरवाही	80
	57	सकोला	34
जशपुर	58	कुनकुरी	91
	59	कांसाबेल	62
	60	जशपुर	101
	61	दुलदुला	66
	62	पत्थलगांव	57
	63	फरसाबहार	99
	64	बगीचा	78
	65	बागबहार	53
	66	मनोरा	95
	67	सन्ना	64
जांजगीर-चांपा	68	नवागढ़	41
	69	अकलतरा	92
	70	चांपा	11
	71	जांजगीर	53
	72	पामगढ़	82
	73	बम्हनीडिह	39
	74	बलोदा	75
	75	शिवरीनारायण	35
	76	सारागॉव	50
दन्तेवाड़ा	77	कटेकल्याण	43
	78	कुवाकोंडा	26
	79	गीदम	40
	80	दंतेवाडा	48
	81	बड़ेबचेली	46
	82	बारसूर	31
दुर्ग	83	अहिवारा	56
	84	दुर्ग	114
	85	धमधा	78
	86	पाटन	150
	87	बोरी	32
	88	भिलाई-3	22
धमतरी	89	कुकरेल	45
	90	कुरुद	81
	91	धमतरी	143
	92	नगरी	102
	93	बेलरगाव	81
	94	भखारा	73
	95	मगरलोड	107
नारायणपुर	96	ओरछा	82
	97	कोहकामेटा	156
	98	छोटेडोंगर	56
	99	नारायणपुर	128
बेमेतरा	100	थान खमरिया	78
	101	देवकर	46
	102	दाढ़ी	74
	103	नवागढ़	105
	104	नांदघाट	83
	105	बेमेतरा	118
	106	बेरला	98
	107	भिंभौरी	39

	108	साजा	67
बलरामपुर-रामानुजगंज	109	चलगली	14
	110	चांदो	22
	111	चांदो-सामरी	24
	112	डौरा कोचली	48
	113	बलरामपुर	77
	114	रघुनाथनगर	48
	115	राजपुर	88
	116	रामचन्द्रपुर	61
	117	रामानुजगंज	53
	118	वाड्रफ नगर	60
	119	शंकरगढ़	86
	120	सामरी	60
बलौदाबाजार-भाटापारा	121	कसडोल	84
	122	टुण्डरा	35
	123	पलारी	133
	124	बलौदाबाजार	75
	125	भाटापारा	113
	126	लवन	75
	127	सुहेला	50
	128	सिमगा	78
	129	सोनाखान	51
बस्तर	130	करपावण्ड	43
	131	जगदलपुर	70
	132	तोकापल	70
	133	दरभा	54
	134	नानगुर	52
	135	बकावंड	66
	136	बस्तर	55
	137	बास्तानार	42
	138	भानपुरी	57
	139	लोहांडीगुड़ा	82
बालोद	140	अर्जुन्दा	62
	141	गुंडरदेही	101
	142	गुरूर	114
	143	डौंडिलोहारा	115
	144	डौंडी	112
	145	बालोद	87
	146	मार्री बंगला-देवरी	96
बिलासपुर	147	कोटा	51
	148	तखतपुर	112
	149	पचपेड़ी	69
	150	बेलगहना	64
	151	बेलतरा	51
	152	बिल्हा	62
	153	बिलासपुर	62
	154	बोदरी	46
	155	मस्तुरी	56
	156	रतनपुर	49
	157	सकरी	89
	158	सीपत	60
	159	[illegible]	132
	160	[illegible]	97
बीजापुर	161	[illegible]	35

बीजापुर	162	बीजापुर	46
	163	भैरमगढ़	122
	164	भोपालपटनम	186
मुंगेली	165	जरहागांव	46
	166	पथरिया	114
	167	मुंगेली	245
	168	लालपुर थाना	93
	169	लोरमी	135
	170	सरगांव	57
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	171	केल्हारी	73
	172	कोटाडोल	75
	173	खड़गवां	42
	174	चिरमिरी	15
	175	भरतपुर	108
	176	मनेन्द्रगढ़	59
महासमुंद	177	कोमाखान	119
	178	पिथोरा	250
	179	बसना	227
	180	बागबहारा	123
	181	महासमुंद	193
	182	सराइपालि	239
मोहला-मानपुर-अ.चौकी	183	औंधी	50
	184	खडगाँव	35
	185	चौकी	158
	186	मानपुर	85
	187	मोहाला	171
राजनांदगाँव	188	कुमरदा	99
	189	घुमका	62
	190	छुरिया	124
	191	डोंगरगढ़	112
	192	डोंगरगांव	114
	193	राजनांदगांव	116
	194	लालबहादुर नगर	70
रायगढ़	195	कापू	58
	196	खरसिया	138
	197	घरघोड़ा	83
	198	छाल	48
	199	तमनार	117
	200	धरम्जैगढ़	78
	201	पुस्सोर	148
	202	मुकडेगा	29
	203	रायगढ़	155
	204	लैलुंगा	90
रायपुर	205	अभनपुर	55
	206	आरंग	95
	207	खरोरा	70
	208	गोबरा नवापारा	54
	209	तिल्दा	67
	210	धरसीवा	73
	211	मंदिर हसौद	72
	212	रायपुर	60
	213	अडभार	50
	214	चंद्रपुर	40
	215	जैजैपुर	31

सक्ती	216	डभरा	86
	217	नया बाराद्वार	35
	218	भोथिया	42
	219	मालखरोदा	61
	220	सक्ती	90
	221	हसौद	42
सुकमा	222	कोंटा	39
	223	गादीरास	22
	224	छिंदगढ़	57
	225	जगरगुण्डा	66
	226	तोंगापाल	33
	227	दोरनापाल	41
	228	सुकमा	30
सरगुजा	229	अम्बिकापुर	83
	230	उदयपुर	87
	231	दरिमा	51
	232	बतौली	54
	233	मैनपाट	46
	234	लखनपुर	98
	235	लुंडरा	112
	236	सीतापुर	51
सूरजपुर	237	ओड़गी	64
	238	प्रतापपुर	116
	239	प्रेमनगर	47
	240	बिहारपुर	36
	241	भटगांव	42
	242	भैयाथान	49
	243	रामानुजनगर	76
	244	लटोरी	64
	245	सूरजपुर	58
सारंगढ़-बिलाईगढ़	246	बरमकेला	174
	247	बिलाईगढ़	74
	248	भटगांव	74
	249	सरसींवा	74
	250	सरिया	73
	251	सारंगढ़	287
Total			20289

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट - तेरह

प्रश्न संख्या 41 (क्र. 2727) की जानकारी

प्रपत्र

ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत क्षमता विस्तार परियोजनाओं की छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कराये गये लोकसुनवाई के दौरान प्राप्त किये गये लिखित सुझाव/आपत्ति की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित परियोजना का विवरण	लोक सुनवाई का दिनांक	प्राप्त लिखित सुझाव/आपत्ति की संख्या
1	2	3	4	5
1.	मेसर्स मेसर्स एनयू विस्टा लिमिटेड (पूर्व नाम ईमामी सीमेंट लिमिटेड), ग्राम रिसदा एवं धनधनी, तहसील बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	क्षमता विस्तार के तहत् क्लिंकराईजेशन क्षमता 1.98 से 3.2 मिलियन टन/वर्ष	30.12.2015	16
2.	मेसर्स श्री रायपुर सीमेंट प्लांट (पूर्व नाम श्री सीमेंट लिमिटेड), ग्राम खपराडीह, तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	क्षमता विस्तार के तहत् क्लिंकर 2 x 1.5 मिलियन टन/वर्ष से 2 x 2.6 मिलियन टन/वर्ष, सीमेंट 2 x 2.6 मिलियन टन/वर्ष से 2 x 3.0 मिलियन टन/वर्ष, वेस्ट हीट रिकवरी पॉवर प्लांट 15 मेगावॉट से 30 मेगावॉट, कैप्टिव थर्मल पॉवर प्लांट 25 मेगावॉट (सिंथेटिक जिप्सम ईकाई 65 टन/घंटा के साथ) एवं डी.जी. सेट्स 2,000 केवीए	22.01.2016	14
3.	मेसर्स मेसर्स एनयू विस्टा लिमिटेड (पूर्व नाम ईमामी सीमेंट लिमिटेड), ग्राम कुकुरडीह एवं रिसदा, तहसील बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	क्षमता विस्तार के तहत् लाईम स्टोन माईन क्षमता 3.17 मिलियन टन/वर्ष से 5.5 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज क्षेत्र-395.05 हेक्टेयर)	01.04.2017	42
4.	मेसर्स श्री रायपुर सीमेंट प्लांट (पूर्व नाम श्री सीमेंट लिमिटेड), ग्राम-खपराडीह, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	क्षमता विस्तार के तहत् क्लिंकर क्षमता- 2x2.6 मिलियन टन/वर्ष से 3x4.5 मिलियन टन/वर्ष, सीमेंट क्षमता-2x3.0 मिलियन टन/वर्ष से 3x5.5 मिलियन टन/वर्ष, केप्टिव पॉवर प्लांट क्षमता-25 मेगावाट से 125 मेगावाट, वेस्ट हीट रिकव्हरी पॉवर प्लांट क्षमता-30 मेगावाट से 100 मेगावाट	01.08.2018	41
5.	मेसर्स मेसर्स एनयू विस्टा लिमिटेड (पूर्व नाम ईमामी	क्षमता विस्तार के तहत् इंटीग्रेटेड सीमेंट संयंत्र	18.10.2019	33

	सीमेंट लिमिटेड), ग्राम-रिसदा एवं धनधनी, तहसील व जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग.)	क्लिंकर- 3.2 मिलियन टन/वर्ष से 5.5 मिलियन टन/वर्ष, सीमेंट-3.0 मिलियन टन/वर्ष से 5.0 मिलियन टन/वर्ष, केप्टिव पॉवर प्लांट-30 मेगावाट से 45 मेगावाट और डब्ल्यूएचआरबी-15 मेगावाट से 27 मेगावाट एलांग विथ प्रपोस्ड स्टैंडबाय बॉयलर 100 टन/घंटा एवं डी.जी. सेट 2180 किलोवाट		
6.	मेसर्स एनयू विस्टा लिमिटेड, (पूर्व नाम-मेसर्स ईमामी सीमेंट लिमिटेड) ग्राम-रिसदा एवं कुकुरडीह, सुहेला रोड, पोस्ट-बलौदाबाजार, तहसील व जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग.)	क्षमता विस्तार के तहत लाईम स्टोन माईन क्षमता-5.50 मिलियन टन/वर्ष (लाईम स्टोन-5.00 मिलियन टन/वर्ष एवं स्क्रीन रिजेक्ट-0.50 मिलियन/टन वर्ष) से 9.00 मिलियन टन/वर्ष (लाईम स्टोन-8.10 मिलियन टन/वर्ष एवं स्क्रीन रिजेक्ट-0.90 मिलियन/टन वर्ष) एवं अधिकतम मृदा/उपरी मिट्टी-0.91 मिलियन टन/वर्ष, ओव्हर बर्डन-0.40 मिलियन टन/वर्ष (अधिकतम कुल उत्खनन क्षमता-10.31 मिलियन टन/वर्ष), के साथ एक नये अतिरिक्त क्रशर एवं वॉबलर क्षमता-1200 टन/घंटा एवं 300 टन/घंटा एवं लाईम स्टोन रिकव्हरी सिस्टम (वॉशरी)-450 टन/घंटा x 2=900 टन/घंटा	16.02.2022	15

परिशिष्ट - चौदह

प्रश्न संख्या 42 (क्र. 2831) की जानकारी

विगत वर्ष 2023—24, 2024—25 एवं 2025—26 में 15.02.2026 तक खरीफ/रबी में कृषकों को भुगतान एवं लंबित की स्थिति

प्रपत्र—अ

क्र.	वर्ष	सीजन	पैक्ड बीज मात्रा (क्वि.में)	कृषकों को भुगतान की गई राशि	कृषकों को भुगतान हेतु लबित राशि रू.
1	2	3	4	5	6
1	2023—24	खरीफ 2023	2,85,608.13	84,38,19,785	
2		रबी 2023—24	53,694.70	28,38,68,654	
योग :—			**3,39,302.83**	**1,12,76,88,439**	
3	2024—25	खरीफ 2024	3,97,059.36	1,18,75,23,405	8,01,97,010
4		रबी 2024—25	82,812.48	44,71,38,761	1,87,02,055
योग :—			**4,79,871.84**	**1,63,46,62,166**	**9,88,99,065**
5	2025	खरीफ 2025 (कच्चा बीज)	4,96,482.40	75,07,90,910	कच्चा बीज मात्रा के विरूद्व अग्रिम भुगतान प्रक्रियाधीन है।

टीप :— कालम क्रमांक —6 में कृषकों को भुगतान हेतु लंबित राशि मंडी निधि के अन्तर्गत देय है।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 25-06-2026
11:16:41

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 के दौरान बीज निगम में किसानों का पंजीयन एवं बीज उपार्जन विवरण

प्रपत्र–ब

क.	वर्ष	सीजन	बीज उपार्जन				रिमार्क
			कृषक संख्या	पंजीकृत रकबा (हेक्टे.में)	कच्चा बीज मात्रा (क्विं. में)	पैक्ड बीज मात्रा (क्विं. में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2023–24	खरीफ 2023	4953	11,603.913	3,51,041.84	2,85,608.13	बीज उत्पादन कार्यक्रम में वृद्धि हुई हैं।
2		रबी 2023–24	2354	6,751.180	73,064.85	53,694.70	
योग :–			**7307**	**18,355.093**	**4,24,106.69**	**3,39,302.83**	
3	2024–25	खरीफ 2024	7552	16,376.737	5,16,541.45	3,97,059.36	
4		रबी 2024–25	8609	13,419.690	1,01,504.82	82,812.48	
योग :–			**16161**	**29,796.427**	**6,18,046.27**	**4,79,871.84**	
5	2025–26	खरीफ 2025	11413	20,964.443	4,96,482.40	संसाधन कार्य प्रगतिरत	
6		रबी 2025–26	6836	13,263.754	-	उपार्जन होना शेष	
योग :–			**18249**	**34,228.197**	**4,96,482.40**		

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 25-06-2026
11:17:37

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - पन्द्रह

प्रश्न संख्या 46 (क्र. 2898) की जानकारी

प्रपत्र

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023–24 से फरवरी, 2026 तक फसलवार, मौसमवार एवं विकासखण्डवार वितरित दलहन तिलहन बीज मात्रा एवं किसान संख्या की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	मौसम	फसल का नाम	वितरित बीज मात्रा (क्विं)	फसलवार बीज वितरण किये गये किसानों की संख्या	कॉलम 07 के किसानों में से बीज बोने वाले किसानों की संख्या
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**बिल्हा**	2023–24	खरीफ	अरहर	5.40	135	135
2				उड़द	7.40	93	93
3				मूंग	7.80	97	97
			योग		**20.60**	**325**	**325**
1			रबी	मसूर	7.72	84	84
2				चना	64.10	200	200
3				मूंग	4.80	60	60
4				उड़द	20.20	253	253
5				मटर	5.00	31	31
6				सरसों	2.52	126	126
7				मूंगफली	15.00	57	57
			योग		**119.34**	**811**	**811**
			महायोग		**139.94**	**1136**	**1136**
1		2024–25	खरीफ	उड़द	3.20	40	40
2				अरहर	3.32	69	69
3				मूंग	4.10	51	51
4				मूंगफली	7.20	28	28
			योग		**17.82**	**188**	**188**
1			रबी	चना	150.00	429	429
2				मूंग	1.00	12	12
3				उड़द	1.00	10	10
4				मटर	3.70	23	23
5				सरसों	2.80	140	140
6				मूंगफली	18.00	54	54
7				अलसी	1.05	10	10
			योग		**177.55**	**678**	**678**
			महायोग		**195.37**	**866**	**866**
1		2025–26 फरवरी 2026 तक	खरीफ	अरहर	10.12	253	253
			योग		**10.12**	**253**	**253**
1			रबी	चना	101.00	268	268
2				मूंग	4.00	50	50
3				उड़द	6.00	75	75
4				सरसों	2.75	138	138
5				मूंगफली	34.80	87	87
			योग		**148.55**	**618**	**618**
			महायोग		**158.67**	**871**	**871**
1	कोटा	2023–24	खरीफ	मूंग	0.32	4	4
2				उड़द	0.24	3	3
3				अरहर	0.48	12	12
			योग		**1.04**	**19**	**19**
1			रबी	मसूर	0.56	7	7
2				चना	9.60	29	29
3				सरसों	0.20	10	10
			योग		**10.36**	**46**	**46**

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	मौसम	फसल का नाम	वितरित बीज मात्रा (क्विं)	फसलवार बीज वितरण किये गये किसानों की संख्या	कॉलम 07 के किसानों में से बीज बोने वाले किसानों की संख्या
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			महायोग		**11.40**	**65**	**65**
1	कोटा	2024–25	खरीफ	मूंग	0.40	5	5
				योग	**0.40**	**5**	**5**
1			रबी	मसूर	1.84	23	23
2				चना	5.76	18	18
3				सरसों	0.60	22	22
			योग		**8.20**	**63**	**63**
			महायोग		**8.60**	**68**	**68**
1		2025–26 फरवरी 2026 तक	खरीफ	अरहर	1.20	30	30
				योग	**1.20**	**30**	**30**
1			रबी	मसूर	0.24	3	3
2				चना	4.80	8	8
3				उड़द	0.80	4	4
4				सरसों	0.86	33	33
			योग		**6.70**	**48**	**48**
			महायोग		**7.90**	**78**	**78**
			कुल योग		**521.88**	**3084**	**3084**

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 08-06-2026
11:31:45

(विकास मिश्रा)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

फरवरी–मार्च, 2026 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्रों की सूची

क्र.	दिनांक	प्रश्न संख्या (क्रमांक)	विभाग का नाम	संशोधन
1	24/02/2026	ता.प्र.सं.–01 (क्र.–276)	जल संसाधन	संशोधन
2	24/02/2026	ता.प्र.सं.–07 (क्र.–417)	ऊर्जा	संशोधन
3	25/02/2026	ता.प्र.सं.–06 (क्र.–467)	नगरीय प्रशासन एवं विकास	संशोधन
4	25/02/2026	ता.प्र.सं.–11 (क्र.–699)	वाणिज्य एवं उद्योग	संशोधन
5	26/02/2026	ता.प्र.सं.–04 (क्र.–389)	तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार	संशोधन
6	26/02/2026	ता.प्र.सं.–06 (क्र.–336)	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	संशोधन
7	26/02/2026	ता.प्र.सं.–08 (क्र.–137)	चिकित्सा शिक्षा	संशोधन
8	**दिनांक 26/02/2026 का शुद्धि पत्र**			
9	**दिनांक 27/02/2026 का शुद्धि पत्र**			
10	09/03/2026	ता.प्र.सं.–06 (क्र.–69)	महिला एवं बाल विकास	संशोधन
11	09/03/2026	ता.प्र.सं.–15 (क्र.–1464)	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	संशोधन
12	**दिनांक 09/03/2026 का शुद्धि पत्र**			
13	11/03/2026	ता.प्र.सं.–09 (क्र.–1648)	श्रम	संशोधन
14	11/03/2026	परि.अता.प्र.सं.–19 (क्र.–976)	श्रम	संशोधन
15	**दिनांक 11/03/2026 का शुद्धि पत्र**			
16	12/03/2026	ता.प्र.सं.–02 (क्र.–1917)	गृह	संशोधन
17	12/03/2026	परि.अता.प्र.सं.–42 (क्र.–1877)	गृह	संशोधन
18	**दिनांक 12/03/2026 का शुद्धि पत्र**			
19	13/03/2026	ता.प्र.सं.–04 (क्र.–2212)	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	संशोधन
20	16/03/2026	ता.प्र.सं.–02 (क्र.–2261)	महिला एवं बाल विकास	संशोधन
21	**दिनांक 18/03/2026 का शुद्धि पत्र**			
22	19/03/2026	ता.प्र.सं.–02 (क्र.–2025)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संशोधन
23	19/03/2026	ता.प्र.सं.–06 (क्र.–2678)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संशोधन
24	19/03/2026	परि. अता.प्र.सं.–03 (क्र.–1051)	चिकित्सा शिक्षा	संशोधन
25	19/03/2026	अता.प्र.सं.–08 (क्र.–1517)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संशोधन

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज **दिनांक 24.02.2026** को प्रश्नोंत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 01 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या **01** (**क्रमांक 276**) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग 'ग' से संबंधित प्रारूप उत्तर में **वर्ष अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2026 तक रू. 24.51 लाख व्यय की गई** के स्थान पर कृपया संलग्न पुनरीक्षित प्रारूप उत्तर में अंकित **वर्ष अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2026 तक राशि रू. 76.30 लाख व्यय की गई** पढ़ा जावे।

(विष्णु देव साय)
मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

प्रश्न

(1)	प्रश्न क्रमाँक	-	276
(2)	उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक	-	17/02/2026
(3)	सदन में उत्तर देने का दिनांक	-	24/02/2026
(4)	वर्ग जिसके लिये वह तिथि नियत है	-	वर्ग-01 जल संसाधन विभाग

विषय :- जल संसाधन विभाग के अंतर्गत निर्माण कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति।

श्री भोलाराम साहू तारांकित प्रश्न

क्या **मुख्यमंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि–

(क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बजट 2024-2025 एवं 2025-26 में जल संसाधन विभाग के किन-किन कार्यो को बजट में सम्मिलित किया गया था ? जानकारी देवें ?

(ख) प्रश्नांक "क" अनुसार बजट में सम्मिलित किन-किन कार्यो को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किन-किन कार्यो की निविदा जारी हो चुकी है ? यदि नहीं तो क्यों ? कार्यो के नामवार जानकारी देवें ?

(ग) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा जर्जर कार्यो की मरम्मत, नहर लाइनिंग एवं रखरखाव हेतु वर्ष अप्रेल, 2024 से 31 जनवरी, 2026 तक कितनी राशि व्यय की गई है ? कार्यो के नामवार व्यय की गई राशि बतावें ?

उत्तर

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत बजट वर्ष 2024-25 में 16 कार्य एवं वर्ष 2025-26 में 01 कार्य बजट में सम्मिलित किया गया है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।**

(ख) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत बजट वर्ष 2024-25 में सम्मिलित कार्यों में से 01 कार्य को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है एवं निविदा जारी कर कार्य पूर्ण करा लिया गया है। शेष 15 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति विभाग में प्रक्रियाधीन है। बजट वर्ष 2025-26 में शामिल कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति विभाग में प्रक्रियाधीन है। विस्तृत विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।**

(ग) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा जर्जर कार्यों की मरम्मत, नहर लाईनिंग एवं रखरखाव हेतु वर्ष अप्रेल 2024 से 31 जनवरी 2026 तक रू. 76.30 लाख व्यय की गई। नामवार व्यय राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

(विष्णु देव साय)
मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

प्रश्न में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 24.02.2026 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 4 एवं 5 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–7 (क्रमांक 417) में, मै निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँः–

''छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को 5 एच.पी., 3 एच.पी. तथा उससे कम हार्सपॉवर के सिचाई पंप कनेक्शनों पर फ्लैट रेट विकल्प चयन करने पर प्रथम पंप कनेक्शन पर रूपये 100/– प्रति एच.पी. प्रतिमाह, समान नाम पर द्वितीय पंप कनेक्शन पर रूपये 200/– प्रति एच.पी. प्रतिमाह, समान नाम पर तृतीय या अधिक पंप कनेक्शन एवं 5 एच.पी. से अधिक विद्युत भार वाले सभी पंप कनेक्शनों हेतु रूपये 300/– प्रति एच.पी. प्रतिमाह बिजली बिल लिए जाने का प्रावधान है।''

के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावेः–

''छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को 5 एच.पी., 3 एच.पी. तथा उससे कम हार्सपॉवर के सिचाई पंप कनेक्शनों पर फ्लैट रेट विकल्प चयन करने पर प्रथम पंप कनेक्शन पर रूपये 100/– प्रति एच.पी. प्रतिमाह, समान नाम पर 5 एच.पी. तक द्वितीय पंप कनेक्शन पर रूपये 200/– प्रति एच.पी. प्रतिमाह की दर से बिल किये जाने का प्रावधान है। 5 एच.पी. से अधिक क्षमता के प्रथम एवं द्वितीय पंप पर रूपये 200/– प्रति एच.पी. प्रतिमाह एवं सभी क्षमता के समान नाम पर तृतीय या अधिक पंप कनेक्शनों पर रूपये 300/– प्रति एच.पी. प्रतिमाह बिजली बिल लिए जाने का प्रावधान है।''

(विष्णुदेव साय)
मुख्यमंत्री एवं भारसाधक मंत्री
ऊर्जा विभाग

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 25.02.2026 को प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ कमांक 3 एवं 4 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्रमांक 467) में, मै निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग क में

(क) प्रदेश के 12 नगरीय निकायों में संचालित 18 एस.टी.पी. का विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र–''अ'' अनुसार है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :–

(क) प्रदेश के 12 नगरीय निकायों में संचालित 21 एस.टी.पी. का विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र–''अ'' अनुसार है।

(अरूण साव)
मा. उप मुख्यमंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

प्रपत्र–"अ"

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 467

द्वारा डॉ. चरण दास मंहत (वि.स.स.)

प्रदेश में पूर्ण एवं संचालित एसटीपी का विवरण

क्र.	निकाय का नाम	मद का नाम	संचालित एसटीपी का स्थल	एसटीपी के संचालन प्रारंभ होने की तिथि	एसटीपी की स्थापित क्षमता (एमएलडी में)	वर्तमान में एसटीपी की उपयोगित क्षमता (एमएलडी में)
1	2	3	4	5	6	7
1	न.नि. रायपुर	मिशन अमृत	कारा	01-08-2022	35.00	35.00
2			निमोरा	01-08-2022	90.00	90.00
3			चंदनडीह	30-09-2023	75.00	51.00
4		पर्यावरण विभाग से प्राप्त राशि से	भाठागांव	20-08-2021	6.00	6.00
5	न.नि. जगदलपुर	मिशन अमृत	बालीकोंटा	01-04-2022	25.00	13.80
6	न.नि. रायगढ़	मिशन अमृत	बांझीनपाली	09-02-2022	25.00	24.25
7			अतरमुड़ा		7.00	6.23
8	न.नि. राजनांदगांव	मिशन अमृत	मोहड़	31-07-2021	6.20	3.20
9	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	स्मार्ट सिटी मद	कोनी	जून–2025	6.00	2.36
10			मंगला–1	फरवरी–2026	6.00	वर्तमान में ट्रायल एवं रन प्रगतिरत
11			पचरी घाट	मार्च–2025	1.00	1.00
12	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	स्मार्ट सिटी मद	तेलीबांधा तालाब	26-12-2018	1.50	1.50
13	न.नि. धमतरी	राज्य बजट	ग्राम – मुजगहन, धमतरी	01-11-2024	19.60	5.00
14	न.पा. कांकेर	राज्य बजट	वार्ड क्रमांक 14 अन्नपूर्णापारा	01-10-2024	7.70	3.00
15	न.पा. गोबरानवापारा	राज्य बजट	वार्ड क्रमांक 4 मुक्तिधाम के पास गोबरा नवापारा	06-09-2023	7.60	2.90
16	न.पा. चांपा	राज्य बजट	वार्ड न. 13 घोघरानाला चाम्पा	25-06-2025	5.30	0.75
17	न.पा. सिमगा	राज्य बजट	वार्ड क्रमांक 01 भवानी नगर सिमगा	15-11-2025	2.80	0.70
18	न.पं. राजिम	राज्य बजट	वार्ड क्रमांक 01 देवार पारा राजिम	28-10-2023	2.80	1.00
19	न.पा. कवर्धा	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा निर्मित	मिनीमाता चौक वार्ड नं. 17, कवर्धा	वर्ष 2013	2.10	1.80
20	न.नि. बिलासपुर	यूआईडीएसएसएमटी	चिल्हाटी	अप्रैल–2013	17.00	14.27
21			दोमुहानी	जनवरी–2018	54.00	25.73
योग					**402.60**	**289.49**

(अरूण साव)
उप मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
लोक नि.वि., लोक स्वा. यां., न.प्रशा. एवं विकास
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग

प्रश्नों में संशोधन पढने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 25.02.2026 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 06 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या– 11 (क्रमांक–699) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (क)

''वर्षवार कुल लागत राशि एवं प्रदत्त अनुदान राशि प्रपत्र 'अ' के कॉलम क्रमांक 9 तथा 10 अनुसार है।''

के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे :–

''वर्षवार कुल लागत राशि एवं प्रदत्त अनुदान राशि प्रपत्र 'अ' के **कॉलम क्रमांक 8,** 9 तथा 10 अनुसार है।''

शेष मुद्रित जानकारी यथावत् पढ़ी जावे।

(लखन लाल देवांगन)
मंत्री
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

प्रश्नों में संशोधन पढने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 25.02.2026 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 06 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या– 11 (क्रमांक–699) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (क)

''वर्षवार कुल लागत राशि एवं प्रदत्त अनुदान राशि प्रपत्र 'अ' के कॉलम क्रमांक 9 तथा 10 अनुसार है।''

के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे :–

''वर्षवार कुल लागत राशि एवं प्रदत्त अनुदान राशि प्रपत्र 'अ' के **कॉलम क्रमांक 8,** 9 तथा 10 अनुसार है।''

शेष मुद्रित जानकारी यथावत् पढ़ी जावे।

(लखन लाल देवांगन)
मंत्री
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 26.02.2026 की प्रश्नोत्तरी सूची के पृष्ठ क्रमांक...2....में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या....4.... (क्रमांक 389) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर में " प्राचार्य वर्ग -02 के 64 पद रिक्त " के स्थान पर " प्राचार्य के 69 पद रिक्त पढ़ा जावे।

(गुरू खुशवंत साहेब)

मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

संशोधित उत्तर

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

मान. अध्यक्ष, महोदय,

आज दिनांक 26.02.2026 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक ...3.से.4 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या ...6... (क्रमांक 336) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग **ग** में **संलग्न प्रपत्र "स"** एवं **"द"** में-

(ग) जानकारी **संलग्न प्रपत्र "स"** अनुसार है। जुर्माना संबंधी जानकारी **संलग्न प्रपत्र "द"** अनुसार है। एमडीटी (लोकेशन ट्रेक डिवाईस) के लिए निविदा में पृथक से राशि का उल्लेख नहीं किया गया है। पृथक से इंगित नहीं है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें:-

(ग) **जानकारी संलग्न प्रपत्र "स" अनुसार है।** जुर्माना संबंधी **जानकारी संलग्न प्रपत्र "द" अनुसार है।** एमडीटी (लोकेशन ट्रेक डिवाईस) के लिए निविदा में पृथक से राशि का उल्लेख नहीं किया गया है। पृथक से इंगित नहीं है।

(श्याम बिहारी जायसवाल)
मंत्री
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(श्याम बिहारी जायसवाल)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
चिकित्सा शिक्षा एवं बीस सूत्रीय
कार्यान्वयन विभाग

संशोधित प्रपत्र–'स'

स्वीकृत निविदा की प्रमुख शर्ते तथा पूर्व प्रचलित व नवीन निविदा शर्तो में किये गये परिवर्तन की तुलनात्मक जानकारी–

Sl. No	01/DHS/2019, DT. 08-07-2019 (पूर्व प्रचलित निविदा शर्ते)	194(R1)/CGMSCL/108 Sanjeevani Express /2025-26/Date 24.09.2025 (नवीन स्वीकृत निविदा शर्तो)
1	Having at least 02 (two year) experience of operating minimum 100 Ambulances of which minimum 10 % ambulance should be Advanced Life support (ALS) ambulances and remaining Basic Life support ambulances (BLS).	Having experience of 5 years for operating medical response ambulances, out of which 3 years should be with a combined fleet of 250 emergency medical response ambulances for any state / central government in single work order.
2	Experience of running EMS with 20 seat call center services for at least 02 (two year) without any discontinuity.	Experience of minimum 3 year in establishing and running a 30-seater call center during the last 5 years.
3	Bidder should have capability of hiring minimum 200 or more trained EMTs or should have capablity of hiring 200 or more trained EMTS.	Bidder should have Experience in hiring minimum 320 or more trained EMTs/Doctors/Paramedical Staff (i.e. ANMs /GNMs /Lab Tech /Pharmacists)
4	The bidder should have turnover of not less than Rs. 45 crores of which at least 10% in similar services (Ambulatory services) in each of the last three financial Years (2015-16, 2016-17, 2017-18))	The bidder should have an average annual turnover of Rs. 150 Crore in the last three financial years 2022-23, 2023-24, and 2024-25 certified by the auditor.
5	The bidder should have positive Net worth in those three years	• The bidder should have positive cash flow in previous financial year of bid submission date, certified by the auditor. • The bidder should have a Net worth of 75 Crore in the last audited financial year by 2024- 25.
6	Experience is in central Government / State Government or Government undertaking institutions shall be considered Experience certificate issued by the contracting authority shall only be considered.	Experience in central Government / State Government/Union Territories. Experience certificates issued by the contracting authority shall only be considered. Certificates from the organizations to whom services have been provided need to be submitted along with the proposal with the name & mobile number of the signing authority. Certificates of ongoing projects must bee issued on October 1, 2024, or onwards from the state/central government.
7	Consortium of Companies (Bidding Consortium) with one of the companies acting as the lead member of bidding consortium. Minimum of 2 companies coming together to form consortium. Company should have joint venture agreement prior to bidding date.	Consortium not allowed
8	Method evaluation: L1	QCBS 70:30
9	All ambulances should be fitted with Automatic vehicle Location Tracking System (AVLT) to establish real time tracking of vehicle through GPS.	All ambulances should be digitally equipped and fitted with an Automatic vehicle Location Tracking System (AVLT) to establish real-time tracking of vehicles through GPS along with Mobile data terminal systems (MDTs).

अनुभाग अधिकारी
एवं परिवार कल्याण विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर

संशोधित प्रपत्र–'द'

स्वीकृत निविदा की प्रमुख शर्ते तथा पूर्व प्रचलित व नवीन निविदा शर्तो में किये गये परिवर्तन की जुर्माना तुलनात्मक जानकारी–

01/DHS/2019, DT. 08-07-2019 (पूर्व प्रचलित निविदा शर्ते)		194(R1)/CGMSCL/108 Sanjeevani Express /2025-26/Date 24.09.2025 (नवीन स्वीकृत निविदा शर्तो)	
Description of minimum performance benchmark	**Penalty**	**Description of minimum performance benchmark**	**Penalty**
Deployment of new ambulances as per scheduled	Rs.10000 per vehicle per month shall be levied as penalty for non adherence to the time schedule for deployment of new ambulances.	Deployment of new ambulances as per scheduled	Rs.50000 per vehicle per month shall be levied as penalty for non-adherence to the time schedule for deployment of new ambulances along with non-payment for that ambulance.
Replacement of ambulances after 2.5 Lakhs Km of travel distance	The penalty for such instances of non replacement shall be charged at the rate of 10% of the invoice raised for the particular ambulance per month and 20% for the second month and so on, Till the penalty is 50%. thereafter show cause notice shall	Replacement of ambulances after 3 Lakhs Km of travel distance	The penalty for such instances of non-replacement shall be charged at the rate of 100% of the invoice raised for the particular ambulance per month and 10% Penalty overall. Therefore show cause notice shall be given
108 Sanjeevani Trip: • Average Minimum 3 Trips per Ambulance per Day for BLS Ambulances and • 1 Trip per Day Per ALS Ambulance. (to be calculated monthly)	1. Penalty of Rs 10,000 per vehicle per month which have performed below the benchmark a. Average trip per is- • From 2.99-2.75 Rs 5000/ • From 2.74-2.5 Rs.10000/ • From 2.5 -2.0, Rs. 15000/ • Less than 2.0 liable for notice b. Uptime 100% not on road – Rs. 4000/per ambulance c. Response time- not meeting the response time 2000/per ambulance 2. If the situation does not improve within three months, penalty up to Rs15,000 per	108 Sanjeevani Trip: • Minimum 4 Trips per Ambulance per Day for BLS Ambulances. • Minimum 3 Trip per Day Per ALS Ambulance, and • Minimum 2 Trip per Day per Neo-natal ALS (to be calculated monthly)	• Average trip per ambulance- if the average trip per ambulance is • From 3.99 - 3.75Rs 5000/ • From 2.74 - 2.5Rs 10,000/ • From2.5- 2 Rs. 15,000/ • From 1.99 -1.0 Rs. 20,000/ • Less than 2.0 Liable for notice • Uptime 100% not on road- Rs 4000/ per ambulance • Response time- not meeting the response time 2000/ per ambulance • If the situation does not improve within three months, penalty up to Rs10,000 per ambulance 1. If number of ambulances more than 10% not achieving minimum bench marks-a poor performance notice shall

	ambulance. If number of ambulance more than 10% not achieving minimum benchmarks-a poor performance notice shall be issued. (Also, average trips will be calculated for the total state). After three such notices the agreement is liable to be terminated.		be issued. After three such notices, the agreement is liable to be terminated.
Permissible Response Time : • Urban- 20 min • Rural- 30 min • Tribal- 45 min [In corrigendum, Permissible response time modified to 30 mins for all] (In case of inter-district and inter-state, the above timeline is not applicable) (to be calculated monthly	• Response time- not meeting the response time 2000/per ambulance • In case the services not improving after imposing penalty subsequently for 3 months for the same clause as specified above, it shall attract conditions of termination.	• Permissible Response Time : - 30 min for Rural (In case of inter-district and inter-state, the above timeline is not applicable) • Permissible Response Time : - 15 min for Urban (In case of inter-district and inter-state, the above timeline is not applicable)	**For Rural** • From 31- 40 min Rs. 30,000/- per ambulance for each minute of such delay. • From 41- 50 min Rs. 40,000/- per ambulance for each minute of such delay. • From 51- 60 min Rs. 50,000/- per ambulance for each minute of such delay. **For Urban** • From 16- 25 min Rs. 30,000/- per ambulance for each minute of such delay • From 26- 35 min Rs. 40,000/- per ambulance for each minute of such delay • From 36- 45 min Rs. 50,000/- per ambulance for each minute of such delay
Ambulance uptime should be 100% (to be calculated monthly). Only 24 hour allowed per ambulance per month met with accident or any major shut-down but the service provider shall arrange another ambulance other back up ambulance immediately.	In case the service provider fails to arrange back up ambulance within 24 hour shall attract penalty of Rs. 10,000 per day per ambulance or equivalent to 5% of monthly bill shall be deducted as penalty.	Ambulance uptime should be 100% (to be calculated monthly). Only 24 hours allowed per ambulance per month met with an accident or any major shut-down but the service provider shall arrange another ambulance or other back up ambulance immediately.	In case the service provider fails to arrange backup ambulance within 24 hours shall attract penalty of Rs. 10,000 per day per ambulance or equivalent to 5% of the monthly bill shall be deducted as a penalty.
		All ambulances have to attend the 100% calls received in the call center Service	Un-availability of services / Ambulance Dispatches per ambulance-

		Levels for ambulances: All emergency cases to be served without any non-availability of services / ambulance dispatches. Ambulance not dispatched due to repairs / staff unavailability will be considered as default of services. In case nearest vehicle is busy, service provider has to assign the case to next available nearest ambulance. 99% of the genuine emergency cases to be served by the ambulances. Any deviations / UADs / Non-availability of services will be penalized by the DHS/CGMSCL.	• If the calls and trips not attended • Up to 1% of monthly case assignments / Ambulance - Rs 10,000/ • Above 1% Up to 2% Rs 20,000/ • Above 2% up to 3% Rs. 30,000/ • Above 3% up to 4% Rs. 40,000/ • Above 4% - Liable for notice • If the situation does not improve within three months, penalty up to Rs.50,000 per ambulance • If number of un-availed dispatches are more than 4% not achieving minimum bench marks-a poor performance notice shall be issued. • After three such notices the agreement is liable to be terminated. • (Complaint for Non- availability of service shall be registered in 104 Grievance redressal System, shall be verified by concerned District CM&HO, BMO and Applicant)
		Unserved Service Request	Penalty of Rs. 2500/ per unserved service request by service provider. To be computed based on data provided by the service provider for the Integrated Command Centre (Complaint for Non- availability of service shall be registered in 104 Grievance redressal System.
		Unavailability of Medical Equipment, Medicines and Consumables	Unavailability/ Non-functional of any Medical Equipment's – Rs. 15000 per Equipment per Ambulance per month Unavailability of any Medicines and any Consumables – Rs. 5000 per Medicines and per Consumables per Ambulance per month
		Violation of any other mandatory requirements like, as mentioned in Scope of work and related to services.	Penalty Rs. 20,000 per incident per day.

अनुभाग अधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 26.02.2026 की प्रश्नोत्तरी सूची के पृष्ठ कमांक 05 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–137 (कमांक.08) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ–

प्रश्नोत्तरी सूची में मुद्रित उत्तर के प्रश्नांक (क) की जानकारी में टंकण त्रुटि के कारण उपयुक्त पाये गये निजी नर्सिंग महाविद्यालयों की संख्या 78 अंकित हो गया है जिसके स्थान पर उपयुक्त निजी नर्सिंग महाविद्यालयों की संख्या 71 पढ़ा जाये।

(श्याम बिहारी जायसवाल)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन,
चिकित्सा शिक्षा विभाग

ile No. PLGMJ-2401(1)/68/2026-MEDICAL EDUCATION SECTION (Computer No. 254047)
enerated from eOffice by Shyam Bihari Jaiswal, MINISTER(MEDICAL EDUCATION), MINISTER(MEDICAL EDUCATION), MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT on 24/02/2026 01:16 pm

<u>छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय</u>

<u>शुद्धि–पत्र</u>

गुरूवार, दिनांक 26 फरवरी, 2026 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धि को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

गुरूवार, दिनांक 26 फरवरी, 2026 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित **तारांकित प्रश्न संख्या–03 (क्र.–721)** एवं तारांकित प्रश्न संख्या–10 (क्र.–527) **का पुनरीक्षित उत्तर** पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 25 फरवरी, 2026

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

सदन में उत्तर देने हेतु नियत दिनांक 09.03.2026 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक ...04... सरल क्रमांक ...06... में उल्लेखित तारांकित प्रश्न क्रमांक 69 में निम्नानुसार संशोधन करना चाहती हूँः–

तारांकित प्रश्न क्रमांक 69 के उत्तर के भाग (घ), सुरक्षित प्रसव व मातृ मृत्युदर कम करने हेतु स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से गर्भवती माताओं का पंजीयन कर आयरन की गोली, गर्भ की जॉच, टीटी का टीका प्रदाय कर संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावेः–

सुरक्षित प्रसव व मातृ मृत्युदर कम करने हेतु स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से गर्भवती माताओं का पंजीयन कर आयरन की गोली, गर्भ की जॉच, टीटी का टीका प्रदाय कर संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। **जिले द्वारा अपने संसाधनों से पृथक से इन हितग्राहियों को गर्म भोजन व अंडा दिया जा रहा है।**

(लक्ष्मी राजवाड़े)
मंत्री,
महिला एवं बाल विकास विभाग

प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय

आज दिनांक **09.03.2026** की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक **....08....** में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या **...15....(*क्रमांक 1464)** में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:-

उत्तर (क) तालिका के कॉलम **04** में अंकित धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य

एवं

(ख) जिला कोण्डागांव अंतर्गत 7734 किसान के द्वारा धान विक्रय किया गया है। जिला कोण्डागांव में जिन पंजीकृत किसानों द्वारा पात्रता अनुसार टोकन जारी करवाकर उपार्जन केन्द्रों में विक्रय हेतु धान लाया गया है, उनसे धान की खरीदी की गई है। उपार्जन केन्द्रों से धान उठाव की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं राज्य शासन द्वारा जारी धान उपार्जन नीति अनुसार उपार्जन केन्द्रों से संपूर्ण धान का उठाव 31 मार्च 2026 तक किये जाने की कार्ययोजना है। शेष प्रश्नांश विपणन संघ से संबंधित नहीं है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे:-

(क) "धान खरीदी का अनुमान"

एवं

(ख)) जिला कोण्डागांव अंतर्गत 7734 किसानों के द्वारा धान विक्रय हेतु नहीं लाया गया। जिला कोण्डागांव में जिन पंजीकृत किसानों द्वारा पात्रता अनुसार टोकन जारी करवाकर उपार्जन केन्द्रों में विक्रय हेतु धान लाया गया है, उनसे धान की खरीदी की गई है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता।

शेष मुद्रित जानकारी यथावत् **पढ़ी** जावे।

हस्ताक्षर एवं पदनाम

(मा.मंत्री)

मंत्री
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

<u>छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय</u>

<u>शुद्धि–पत्र</u>

सोमवार, दिनांक 09 मार्च, 2026 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धि को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

सोमवार, दिनांक 09 मार्च, 2026 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित **तारांकित प्रश्न संख्या–10 (क्र.–1315)** का **पुनरीक्षित उत्तर** पढ़ा जावे।
प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित परिशिष्ट के पृष्ठ क्रमांक 15 में मुद्रित तालिका **(प्रपत्र–ब)** को पृष्ठ क्रमांक 14 में प्रतिस्थापित कर तारांकित प्रश्न संख्या–13 (क्र.–1013) की जानकारी के रूप में पढ़ा जावे।
प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित परिशिष्ट के पृष्ठ क्रमांक 14 में मुद्रित तालिका **(प्रपत्र–अ)** को पृष्ठ क्रमांक 15 में प्रतिस्थापित कर तारांकित प्रश्न संख्या–13 (क्र.–1013) की जानकारी के रूप में पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 08 मार्च, 2026

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 11.03.2026 की प्रश्नोत्तर सूची के **पृष्ठ क्रमांक**–..05..... में मुद्रित **तारांकित प्रश्न संख्या**–..09..**(क्रमांक–1648)** में, मै निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग **''क''** में जी हां, श्रम विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 एवं विभिन्न श्रम अधिनियमों के अतंर्गत माह नवम्बर 2024 से जनवरी 2025 के मध्य में कारखाना जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड सिलतरा रायपुर के विभिन्न प्रभाग जैसे ब्लास्ट फर्नेस, पावर प्लांट, स्टील प्लांट तथा फ्लैट प्रोडक्ट डिवीजन में निरीक्षण किया गया है। उक्त निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां तथा इस पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र–''अ''अनुसार है।**

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :–

भाग **''क''** में जी हां, श्रम विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 एवं विभिन्न श्रम अधिनियमों के अतंर्गत माह नवम्बर 2024 से जनवरी 2025 के मध्य में कारखाना जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड सिलतरा रायपुर के विभिन्न प्रभाग जैसे ब्लास्ट फर्नेस, पावर प्लांट, स्टील प्लांट तथा फ्लैट प्रोडक्ट डिवीजन में निरीक्षण किया गया है। उक्त निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां तथा इस पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे संशोधित प्रपत्र–''अ''अनुसार है।**

(लखन लाल देवांगन)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 11.03.2026 की प्रश्नोत्तर सूची के **पृष्ठ क्रमांक–22–23** में मुद्रित **परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या–19 (क्रमांक–976)** में, मै निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग **''क''** में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना अंतर्गत भोजन केन्द्र के संचालन हेतु निविदा दिनांक 08 फरवरी 2022 को जारी की गई।

निविदा प्रक्रिया द्वारा चयनित मेसर्स आर0के0एसोसिएट्स एंड होटेलियर्स प्राईवेट लिमिटेड दिल्ली के साथ दिनांक 06 जून 2022 को 03 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध किया गया।

निविदा की शर्तो के अनुसार भोजन की प्रतिथाली दर रूपये 52.65/– (समस्त कर सहित) हैं, जिसमें 5 रूपये भोजन प्राप्त करने वाले हितग्राही द्वारा तथा शेष रूपये **45.65/–** मंडलों द्वारा दिये जाने का प्रावधान है।

उक्त निविदा की कार्य अवधि अनुबंध तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत थी जिसे अनुबंध में उल्लेखित शर्तो के आधार पर 31 मार्च 2026 तक अथवा नई निविदा होने या दोनों में से जो पहले हो, तक की अवधि हेतु बढ़ाई गई है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :–

भाग **''क''** में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना अंतर्गत भोजन केन्द्र के संचालन हेतु निविदा दिनांक 08 फरवरी 2022 को जारी की गई।

निविदा प्रक्रिया द्वारा चयनित मेसर्स आर0के0एसोसिएट्स एंड होटेलियर्स प्राईवेट लिमिटेड दिल्ली के साथ दिनांक 06 जून 2022 को 03 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध किया गया।

निविदा की शर्तो के अनुसार भोजन की प्रतिथाली दर रूपये 52.65/– (समस्त कर सहित) हैं, जिसमें 5 रूपये भोजन प्राप्त करने वाले हितग्राही द्वारा तथा शेष रूपये **47.65/–** मंडलों द्वारा दिये जाने का प्रावधान है।

निरंतर..2..

उक्त निविदा की कार्य अवधि अनुबंध तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत थी जिसे अनुबंध में उल्लेखित शर्तो के आधार पर 31 मार्च 2026 तक अथवा नई निविदा होने या दोनों में से जो पहले हो, तक की अवधि हेतु बढ़ाई गई है।

(लखन लाल देवांगन)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2026 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धि को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2026 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित **तारांकित प्रश्न संख्या–07 (क्र.–1011)** एवं **तारांकित प्रश्न संख्या–14 (क्र.–1829)** का **पुनरीक्षित उत्तर** पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 10 मार्च, 2026

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 12.03.2026 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 02 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्रमांक–1917) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग **(क)** में **प्रश्नाधीन अवधि की विधानसभावार जानकारी संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार है के स्थान पर कृपया **प्रश्नाधीन अवधि की विधानसभावार जानकारी संशोधित "प्रपत्र"** अनुसार है। पढ़ा जावे।

(विजय शर्मा)
उप मुख्यमंत्री, गृह

संशोधित "प्रपत्र"

विधानसभा–अकलतरा

अवधि	दुर्घटना	मृतक	घायल
वर्ष– 2024	155	76	144
वर्ष– 2025	165	89	123
वर्ष– 2026 (जन. से 14 फरवरी, 2026 तक)	26	13	27
योग–	346	178	294

विधानसभा–जांजगीर

अवधि	दुर्घटना	मृतक	घायल
वर्ष– 2024	126	49	109
वर्ष– 2025	161	70	146
वर्ष– 2026 (जन. से 14 फरवरी, 2026 तक)	17	01	22
योग–	304	120	277

विधानसभा–पामगढ़

अवधि	दुर्घटना	मृतक	घायल
वर्ष– 2024	114	68	108
वर्ष– 2025	115	51	95
वर्ष– 2026 (जन. से 14 फरवरी, 2026 तक)	19	08	20
योग–	248	127	223

विधानसभा–सक्ती

अवधि	दुर्घटना	मृतक	घायल
वर्ष– 2024	33	15	20
वर्ष– 2025	34	20	27
वर्ष– 2026 (जन. से 14 फरवरी, 2026 तक)	04	01	03
योग–	71	36	50

विधानसभा–जैजैपुर

अवधि	दुर्घटना	मृतक	घायल
वर्ष– 2024	36	17	21
वर्ष– 2025	35	20	29
वर्ष– 2026 (जन. से 14 फरवरी, 2026 तक)	05	03	05
योग–	76	40	55

	दुर्घटना	मृतक	घायल
कुल योग–	**1045**	**501**	**899**

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 12.03.2026 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ कमांक 34 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 42 (कमांक 1877) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (क) 3/(i) में डॉयल–112 सेवा के संचालन हेतु आईटी स्कोप एवं फ्लीट स्कोप के कार्यो को अलग–अलग किया जाकर आईटी स्कोप के कार्य हेतु कैबिनेट के निर्णय के आधार पर नॉमीनेशन के आधार पर सी–डेक को दिनांक 30/06/2025 को कार्यादेश जारी किया गया है। फ्लीट स्कोप के कार्य के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 03.10.2025 को निविदा जारी किया गया। एवं (घ) डॉयल–112 सेवा का (द्वितीय चरण) के संचालन हेतु फ्लीट स्कोप के कार्य के पूर्व अनुभव के लिए RFP में प्रावधान कर निविदा प्रकिया पूर्ण की गई है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :–

क) 3/(i) डॉयल–112 सेवा के संचालन हेतु आईटी स्कोप एवं फ्लीट स्कोप के कार्यो को अलग–अलग किया जाकर आईटी स्कोप के कार्य हेतु कैबिनेट के निर्णय के आधार पर नॉमीनेशन के आधार पर सी–डेक को दिनांक 30/06/2025 को कार्यादेश जारी किया गया है। फ्लीट स्कोप के कार्य के लिए जेम पोर्टल (बिड संख्या GEM/2025/B/6746828) के माध्यम से दिनांक 03.10.2025 को निविदा जारी किया गया।

(घ) अन्य राज्यो की सेवाओं एवं भुगतान का परीक्षण नही कराया गया, क्योंकि जारी RFP में इसका कोई प्रावधान नही था। तथापि RFP के प्रावधानों के अनुरूप सभी बिडर्स से समान कार्य के पूर्वानुभव की जानकारी प्राप्त की गई थी।

(केदार कश्यप)

<u>छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय</u>

<u>शुद्धि–पत्र</u>

गुरूवार, दिनांक 12 मार्च, 2026 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धि को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

गुरूवार, दिनांक 12 मार्च, 2026 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित **तारांकित प्रश्न संख्या–10 (क्र.–1661)** के उत्तर में मुद्रित **''जानकारी संलग्न प्रपत्र–अ एवं प्रपत्र–ब अनुसार है।''** के स्थान पर **''पुस्तकालय में रखे प्रपत्र–अ एवं प्रपत्र–ब अनुसार है।''** पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 11 मार्च, 2026

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

प्रश्नों में संशोधन पढने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 13.3.2026 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ कमांक– 03 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या–04(क्र.–2212) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँः–

प्रश्नोत्तरी सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "क" में अंकित **कुल 74** के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित पढ़ा जावेः–

कुल 73

(राजेश अग्रवाल)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व

प्रश्नों में संशोधन

मानननीय अध्यक्ष महोदय

आज दिनांक 16 मार्च 2026 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 01–02 में मुद्रित **तारांकित प्रश्न संख्या 02 (*क्रमांक 2261)** के उत्तर में, निम्नानुसार आंशिक संशोधन करना चाहती हूं :–

उत्तर के भाग ''ख'' में मुद्रित **962 भवन जर्जर**

के स्थान पर कृपया संशोधित उत्तर

1021 भवन जर्जर पढ़ा जावे ।

(लक्ष्मी राजवाड़े)
मंत्री
महिला एवं बाल विकास विभाग

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2026 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 5 (क्र. 2691) उत्तर (क)	जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।	जानकारी संलग्न **प्रपत्र अ** अनुसार है।

दिनांक 18/03/2026 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित ता.प्र.सं.–13 (क्र.–1366) का पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावे

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 17 मार्च, 2026

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 19 मार्च, 2026 को प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 02 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्रमांक – 2025) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के **प्रश्नांश ''क''** जी हॉ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जी.एस.टी., परफॉरमेंस सिक्योरिटी, सुरक्षा निधि, परफॉरमेंस गारंटी, रायल्टी की राशि एवं सड़कों के संधारण एवं पुराने कार्यों के भुगतान हेतु वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में राशि रू. 139.80 करोड (एक सौ उन्चालीस करोड़ अस्सी लाख) प्रदान की गई। **प्रश्नांश ''ख''** जी हॉ, उक्त राशि का व्यय छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के सहमति अनुसार जी.एस.टी. परफॉरमेंस सिक्योरिटी, सुरक्षा निधि, परफॉरमेंस गारंटी, रायल्टी एवं अनुरक्षण मद के अंतर्गत लंबित देयकों का भुगतान किया गया है। अतः प्रश्न उद्भूत नहीं होता। **के स्थान पर संशोधित** प्रश्नांश ''क'' जी हॉ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत अनुरक्षण मद से जी.एस.टी. ,अतिरिक्त परफॉरमेंस सिक्योरिटी, सुरक्षा निधि, ईएमडी एवं अनुरक्षण के कार्यो के भुगतान के लिए वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में राशि 139.80 करोड़ प्रदान की गई एवं **कंडिका ''ख''** जी हॉ। अनुरक्षण मद में से जी.एस.टी. एवं अतिरिक्त परफॉरमेंस सिक्योरिटी के लिये राशि रू. 21.29 करोड़ (इक्कीस करोड़ उन्तीस लाख) दी गई है। इसके अलावा अनुरक्षण मद के नियम अनुसार दिए गए राशि से नियमित संधारण (Under Five Year) के लिये रू 36.18 करोड़, नियमित संधारण (Post Five Year) के लिये रू 27.62 करोड़ तथा पूर्व के संधारण (अनुरक्षण मद) कार्यो के लिए रू 54. 25 करोड़ की राशि दी गई। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। **पढ़ा जाये।**

(विजय शर्मा)
उप मुख्यमंत्री,
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 19 मार्च, 2026 को प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक ...3... में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या ...6... (क्रमांक – 2678) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर **प्रश्नांश (ख)** में वित्तीय वर्ष 2024–25 में मूलभूत राशि एवं 15वें वित्त की राशि में भुगतान में विलम्ब के मामले संज्ञान में नहीं आये है, शेष प्रश्न उद्‌भूत नहीं होता है। के स्थान पर संशोधित **(ख) केन्द्र सरकार से राज्य को 15वें वित्त अनुदान की राशि प्राप्त होने पर समयसीमा में जिलों को राशि हस्तांतरित कर दी गई थी। किंतु त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन प्रभावशील होने के कारण जिलों द्‌वारा पंचायतों को राशि हस्तांतरित नहीं की गई। केन्द्र सरकार द्‌वारा इसे विलंब मानते हुए विलंब अवधि का ब्याज भुगतान हेतु निर्देशित किया गया जिसके परिपालन में अबद्‌ध अनुदान अंतर्गत राशि रू. 3.52 करोड़ एवं बद्‌ध अनुदान राशि रू. 2.78 करोड़ इस प्रकार कुल राशि रू. 6.30 करोड़ ब्याज राशि त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को जारी किया गया। राशि विलंब से जारी किये जाने हेतु कोई दोषी नहीं है।** पढ़ा जाये।

(विजय शर्मा)
उप मुख्यमंत्री,
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

<u>प्रश्नों में संशोधन पढने का प्रारूप</u>

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 19/03/2026 की प्रश्नोत्तरी सूची के **भाग-2** के **पृष्ठ क्रमांक-15** के **सरल क्रमांक-3** में **मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-1051 (क्रमांक-3)** में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ-

प्रश्नोत्तरी सूची में मुद्रित उत्तर के प्रश्नांक (ग) की पूर्व में प्रेषित जानकारी के स्थान पर निम्नानुसार जानकारी पढ़ा जाये:-

(ग) उक्त निजी महाविद्यालयों की स्टेट कोटा एवं मैनेजमेंट कोटा के फीस निर्धारण करने हेतु शासन द्वारा दिनांक 09 मई, 2008 क्रमांक 4848/136/21-अ/प्रा./छ.ग./08 (प्रपत्र-"ई" संलग्न) के माध्यम से प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति (ए.एफ.आर.सी.) का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना में अध्याय-दो, बिन्दु क्रमांक-4 में फीस तय करने का प्रावधान समिति को दिया गया है एवं समिति द्वारा पारित संकल्प को राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया जाता है। निजी महाविद्यालयों में एन.आर.आई. कोटा हेतु फीस का निर्धारण स्वयं महाविद्यालयों द्वारा किया जाता है।

जी हॉ, फीस संबंधी अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसकी जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ई"** अनुसार है।

(श्याम बिहारी जायसवाल)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

<u>प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप</u>

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 19 मार्च, 2026 को प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक ....48..... में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या ..08.... (क्रमांक - 1517) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर में संलग्न **"प्रपत्र-ब"** के स्थान पर संशोधित संलग्न **"प्रपत्र-ब"** पढ़ा जाये।

(विजय शर्मा)
उप मुख्यमंत्री,
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रपत्र– ब

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र.1517 द्वारा माननीय डॉ. चरण दास महंत, सदस्य विधानसभा

एफ.आई.आर./शिकायत दर्ज होने के पश्चात भी पदोन्नति प्रदान किये गये अधिकारी/कर्मचारी का विवरण

क्र.	कर्मचारी/अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कार्यालय का नाम	पदोन्नत पद का नाम	पदोन्नत तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	श्री हरिओम शर्मा, मुख्य अभियंता	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रायपुर	मुख्य अभियंता	27.06.2024	(1) राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्र. जी–13695, दिनांक 25.10.2024 अनुसार श्री मोहन कुर्रे, निवासी कसडोल की शिकायत पर ब्यूरो में जांच उपरांत अपराध क्र. 27/2019 धारा 1–13(1)क, 13(2) भ्र.नि.अधि. 1988 यथा संशोधित 2018 का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया, जिसमें प्रकरण की विवेचना के संबध में पूर्वानुमोदन हेतु प्रचलन में। (2) छ.ग. लोक आयोग के पत्र दिनांक 06.02.2025 अनुसार छ.ग. लोक आयोग में विविध प्रकरण क्र. 57/2020 दर्ज है। (3) उपरोक्त दोनों प्रकरण में आरोप–पत्र/ अभियोजन–पत्र जारी नहीं हुआ है।
2	श्री कमल राम साहू, अधीक्षण अभियंता	छ.ग.ग्रा.स.वि.अभि., परि. मण्डल, रायगढ़	अधीक्षण अभियंता	25.04.2023	(1) छ.ग. लोक आयोग के पत्र दिनांक 28.03.2023 अनुसार श्री अहमद खान द्वारा प्रस्तुत शिकायत को आयोग में प्रकरण क्र. 209/2013 के रूप में पंजीबद्ध किया गया था। श्री कमल राम साहू के विरूद्ध प्रकरण में धारा–2(ज) छ.ग. लोक आयोग अधिनियम 2002 के तहत् आरोपित के विरूद्ध अनुशासनात्मक विभागीय कार्यवाही संस्थित कर किये गये औचार के अनुपात में शास्ति अधिरोपित करने एवं शासन को हुई क्षति की वसूली करने तथा गंभीर औचार के अनुपात में उचित दण्ड दिया जाकर कृत कार्यवाही से छ.ग. लोक आयोग रायपुर को तीन माह के भीतर सूचित करने हेतु लेख किया गया था। (2) इस प्रकरण में आरोप–पत्र/ अभियोजन–पत्र जारी नहीं हुआ था एवं छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 30.06. 2025 के द्वारा भविष्य के लिए सचेत किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर

क्र.	कर्मचारी/अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कार्यालय का नाम	पदोन्नत पद का नाम	पदोन्नत तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
3	श्री अनिल कुमार मिश्रा, सहायक अभियंता (से. नि.)	ग्रा.यां.सेवा संभाग बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया	सहायक अभियंता	07.07.2025	(1) छ.ग. लोक आयोग में प्रारंभिक प्रकरण क्र. 202/2012 दर्ज था। (2) इस प्रकरण में आरोप पत्र/अभियोजन पत्र जारी नहीं हुआ था एवं विभागीय पत्र दिनांक 17.10.2025 अनुसार प्रकरण का निराकरण किया जाकर छ.ग. लोक आयोग को अवगत् करा दिया गया है।
4	श्री हरिशंकर चौहान, संयुक्त आयुक्त	उपायुक्त संभागीय आयुक्त कार्यालय बिलासपुर	संयुक्त आयुक्त	27.12.2024	श्री हरिशंकर चौहान, संयुक्त आयुक्त के विरूध्द लोग आयोग जांच प्रकरण क. 46/2019 एवं विविध जांच प्रकरण क. 147/2018 प्रचलन में है।
5	श्री एस. आलोक, अपर विकास आयुक्त	विकास आयुक्त कार्यालय नवा रायपुर	अपर विकास आयुक्त	26.12.2025	लोक आयोग में दर्ज शिकायत प्रकरण क्र. 152/2022 दिनांक 13.01.2026 को एवं 115/2024 दिनांक 30.09.2025 को नस्तीबद्ध की गई।

अनुभाग अधिकारी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नया रायपुर